ध्येयIAS®
most trusted since 2003

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

अगस्त 2018 अंक 01

विषय सूची

अगस्त 2018
अंक-1

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-17

- पर्यावरण का प्रहरी NGT : कितना कारगर
- मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017: एक अवलोकन
- एंटीबैलिस्टिक मिसाइलः राष्ट्रों का सुरक्षा कवच
- गंगा की सफायी का अब तक का सफर
- नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस की 100वीं वर्षगॉठ
- भारत में कृषि नीति की समीक्षा की आवश्यकताः OECD रिपोर्ट
- डिजिटल इण्डिया की राह में आती चुनौतियाँ

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 18-22

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें 23-30

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 31-39

सात महत्वपूर्ण तथ्य 40

सात महत्वपूर्ण सूचकांक 41

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 42

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. पर्यावरण का प्रहरी NGT: कितना कारगर

चर्चा का कारण

अभी हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली जल बोर्ड से जबाव मांगा है। एनजीटी ने कहा पिछले तीन साल में जमीनी स्तर पर कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। इसके साथ ही एनजीटी ने हरियाणा सरकार को शपथपत्र के साथ यह बताने को कहा है कि उसने अशोधित जल-मल यमुना नदी में बहाए जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने गंगा नदी में प्रदूषण पर सख्त रुख अख्तियार करते हुए हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा के किनारे से 100 मीटर के दायरे को 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित करने का निर्देश दिया है। अधिकरण के चेयरमैन जस्टिस ए.के. गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए गंगा में हो रहे प्रदूषण पर कड़ी नाराजगी जताई। पीठ ने कहा, गंगा की स्थिति आश्चर्यजनक रूप से बहुत खराब है। इस नदी की सफाई की कोशिशों के बावजूद जमीन पर उसका असर नहीं दिख रहा है। अदालत ने कहा, पिछले दो साल में गंगा सफाई के लिए 7000 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं लेकिन अब भी यह गंभीर पर्यावरणीय मुद्दा बना हुआ है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)

पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18 अक्टूबर, 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई। आरंभिक रूप से, एनजीटी को पांच बैठक स्थलों पर स्थापित करना प्रस्तावित है अधिकरण की बैठक का प्रधान स्थल नई दिल्ली है। भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई अधिकरण की बैठकों के अन्य 4 स्थल हैं।

एनजीटी अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि एनजीटी में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, कम से कम 10 न्यायिक सदस्य और 10 विशेषज्ञ सदस्य होने चाहिए, लेकिन यह संख्या 20 पूर्णकालिक न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

एनजीटी की शक्तियाँ

न्यायाधिकरण के पास सिविल (नागरिक) प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय में निहित शक्तियाँ हैं लेकिन यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा। यह न्यायाधिकरण तीव्र पर्यावरणीय न्याय (6 महीने के भीतर आवदेनों का निपटान) प्रदान करेगा और उच्च न्यायालयों में मुकदमे का बोझ कम करने में सहायता करेगा। यह न्यायाधिकरण वन संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम जैसे अधिनियमों से संबंधित वादों पर भी सुनवाई करेगा। इस न्यायाधिकरण को पर्यावरण से संबंधित गंभीर प्रश्नों (अर्थात, जब बड़े पैमाने पर समुदाय या सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावित हो) और प्रदूषण जैसी विशिष्ट गतिविधियों के कारण होने वाली पर्यावरण को क्षति के प्रकरणों में सर्वाधिक अधिकार प्राप्त है।

एनजीटी द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य

- एनजीटी ने केंद्र सरकार से दिल्ली से होकर उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी के 52 किलोमीटर तक के तटीय इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा।
- छत्तीसगढ़ राज्य के हसदेओ-अरण्य वन में यूपीए सरकार द्वारा दी गई कोयला खनन की आज्ञा को एनजीटी ने निरस्त किया।
- राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते एनजीटी ने सुनिश्चित किया कि 10 वर्ष से पुरानी सभी डीजल गाड़ियों के चलने पर रोक लगाई जाए।
- एनजीटी के आदेश पर दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कारखानों पर नकेल कसी गई।
- एनजीटी की पुणे बेंच ने महाराष्ट्र सरकार से पटाखों से होने वाला वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के अलावा सार्वजनिक जगहों पर पटाखे छुड़ाने वाले आयोजकों पर पर्यावरण टैक्स लगाने को कहा।
- हिमाचल प्रदेश को एनजीटी से आदेश मिला कि रोहतांग पास से जाने वाली सभी व्यावसायिक डीजल गाड़ियों से ज्यादा कर लिया जाए और उनकी संख्या घटाई जाए।
- ग्रेटर नोएडा समेत कम से कम सात औद्योगिक क्षेत्रों में कथित वायु प्रदूषण फैलाने वाली कई फैक्ट्रियों पर कार्रवाई के निर्देश एनजीटी की तरफ से आए।
- केरल के कोच्चि जिले में एनजीटी की पीठ ने छह प्रमुख शहरों में 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी डीजल (ईंधन) वाहनों का अगले 30 दिनों में सड़कों से हटा लेने का आदेश दिया था। ये छह शहर हैं- तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोच्चि, त्रिशुर, कोझीकोड और कन्नूर। इसके साथ ही, सार्वजनिक परिवहन को छोड़कर 2000 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले वाहनों के लिए कोई नया परमिट भी नहीं दिया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर 5000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
- रेत खनन आदेश ने नदी और सागरतल से सभी प्रकार के अवैध रेत खनन, जो देश भर में व्याप्त हो गया था, पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह कदम संधारणीय विकास और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
- केंद्र सरकार के फैसले के विरुद्ध निर्णय देते हुए हसदेओ-अरण्य जंगलों में कोयला ब्लॉक

(खंड) की मंजूरी को निरस्त कर दिया। फरवरी 2014 में सी जी कोयला खदानों की मंजूरी को निरस्त किया।

- उड़ीसा में वेदांता और पॉस्को प्रकरण में आदिवासियों के पक्ष में निर्णय दिया।
- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने दिल्ली में विश्व संस्कृति महोत्सव के आयोजन से यमुना के बाढ़ मैदान को हुई क्षति के लिए 5 करोड़ का जुर्माना लगाया।
- बेल्लंदर आर्द्रभूमि पर विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) का निर्माण करने वाले दो बिल्डरों (निर्माता) पर लगभग 140 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाकर निर्माण कंपनियो (संघों) को दंडित किया।
- मार्च 2016 में, हरित न्यायाधिकरण ने केंद्र सरकार से माइक्रोप्लास्टिक (एक मिलीमीटर से कम आकार के प्लास्टिक के खंड और तंतु होते हैं) पर प्रतिबंध के संबंध में जवाब माँगा था। केवल जैव निम्नीकरण योग्य सामग्रियों से बनी गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए तथा सुंदरवन की निगरानी के लिए एक पैनल का गठन करने का आदेश दिया क्योंकि एनजीटी ने पाया कि कुछ मामलों में तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) का उल्लंघन हुआ था जैसे पश्चिमी घाट विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के कार्यान्वियन के लिए गोवा फाउंडेशन का प्रकरण।

इन सभी महत्वपूर्ण कार्य किये जाने के बावजूद भी यदि जमीनी स्तर पर देखा जाय तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। एनजीटी द्वारा जो निर्णय दिये गये हैं उसका सही से पालन नहीं किया जाता है चाहे वह दिल्ली के यमुना नदी का मामला, पुणे की बिल्डिंग निर्माण की घटना या फिर ऑड-इवेन परिवहन का मामला हो। इन सभी घटनाओं पर एनजीटी ने बेहतर निर्णय दिये हैं लेकिन सरकार और आम आदमी दोनों द्वारा इसके निर्णयों की अनदेखी की गई है।

भारत में पर्यावरणीय समस्याएँ

तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या व आर्थिक विकास के कारण भारत में कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं और इसके पीछे शहरीकरण व औद्योगीकरण में अनियंत्रित वृद्धि, बड़े पैमाने पर कृषि का विस्तार तथा जंगलों का नष्ट होना है।

प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दों में वन और कृषि भूमिक्षरण, संसाधन रिक्तीकरण (पानी, खनिज, वन, रेत, पत्थर आदि), पर्यावरण क्षरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता में कमी, पारिस्थितिकी प्रणालियों में लचीलेपन की कमी, गरीबों के लिए आजीविका सुरक्षा शामिल हैं।

यह अनुमान है कि देश की जनसंख्या वर्ष 2018 तक 1.26 अरब तक बढ़ जाएगी तथा 2050 तक भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश होगा और चीन का स्थान दूसरा होगा। दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4% परन्तु विश्व की जनसंख्या का 18% धारण करने से भारत के अपने प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव काफी बढ़ गया है। कई क्षेत्रों में पानी की कमी, मिट्टी का कटाव और कमी, वनों की कटाई, वायु और जल प्रदूषण के कारण बुरी स्थिति है।

किसी देश में पर्यावरण के क्षरण का प्राथमिक कारण जनसंख्या की तीव्र वृद्धि है, जो प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या और पर्यावरण में गिरावट सतत विकास की चुनौती प्रस्तुत कर देती है। अनुकूल प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता या अभाव, सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया को तेज अथवा धीमा कर सकते हैं। जनसंख्या में वृद्धि और आर्थिक विकास भारत में कई गंभीर पर्यावरणीय आपदाओं में योगदान दे रहे हैं। इनसे भूमि पर भारी दबाव, भूमि क्षरण, वन का विनाश और जैव विविधता के नुकसान जैसी समस्यायें पैदा होती हैं। उपभोग के बदलते स्वरूप ने ऊर्जा की बढ़ती मांग को प्रेरित किया है। इसका अंतिम परिणाम वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिग, जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी और जल प्रदूषण के रूप में होता है।

भारत की पर्यावरणीय समस्याओं में विभिन्न प्राकृतिक खतरे (विशेष रूप से चक्रवात और वार्षिक मानसून बाढ़), जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती हुई व्यक्तिगत खपत, औद्योगीकरण, ढांचागत विकास, घटिया कृषि पद्धतियां और संसाधनों का असमान वितरण हैं और इनके कारण भारत के प्राकृतिक वातावरण में अत्यधिक मानवीय परिवर्तन हो रहा है। एक अनुमान के अनुसार खेती योग्य भूमि का 60% भूमि कटाव, जलभराव और लवणता से ग्रस्त है। यह भी अनुमान है कि मिट्टी की ऊपरी परत में से प्रतिवर्ष 4.7 से 12 अरब टन मिट्टी कटाव के कारण खत्म हो रही है।

संविधान के तहत पर्यावरण संरक्षण

महान वैज्ञानिक आंइस्टीन ने कहा है कि दो चीजें असीमित हैं- "एक ब्रह्माण्ड तथा दूसरी मानव की मूर्खता"। मानव ने अपनी मूर्खता के कारण अनेक समस्याएँ पैदा की हैं। इसमें पर्यावरण प्रदूषण अहम है। विधानसभा, संसद, न्यायालय, अखबार, टेलीविजन सभी जगह पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा होती है फिर भी कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ पा रहा है। पर्यावरण को जिस तरह से प्रदूषण से नुकसान पहुंच रहा है इसे देखते हुए ऐसा लगता है कि कुछ ही वर्ष बाद शुद्ध पानी, शुद्ध हवा एवं शुद्ध मिट्टी की समस्या विकराल हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण को लेकर शुरू से ही जागरूकता रही है। पेड़ पौधे, नदी, पशु-पक्षी आदि को किसी न किसी रूप में पर्यावरण संरक्षण का एक अंग मानकर इन्हें संरक्षित करने की बात कही गई है।

ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323-B संसद को श्रम विवाद, पर्यावरण इत्यादि के संबंध में अधिकरण बनाने के लिये विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। इसी के तहत पर्यावरण के उद्देश्य से राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कानून 2010 के माध्यम से एनजीटी की स्थापना की गई। संविधान लागू होने के 28 साल बाद संसद ने 1977 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिये पर्यावरण को संरक्षण तथा बढ़ावा देना अनिवार्य कर दिया। राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद '48 ए' जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के अनुसार, "राज्य पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार और देश के वनों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये प्रयास करेगा।" इसी संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 51 ए (जी) भी जोड़ा गया जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह "प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण तथा सुधार के लिये कार्य करे एवं जीवित प्रणियों के प्रति दया भाव रखे जिनमें वन, झील, नदियाँ तथा वन्यजीव शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में अपने एक फैसले में संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पर्यावरण को जीने के मौलिक अधिकार के बराबर रखते हुए कहा कि कोई भी सत्ताधारी दल सामान्य संशोधन द्वारा इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इसके अलावा पर्यावरण पर जनता द्वारा कानूनों के दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए अदालत ने व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत "जीने का अधिकार" मौलिक अधिकार है तथा इसमें जीवन का आनंद उठाने के लिये प्रदूषण रहित पानी तथा वायु का लाभ शामिल है। यदि कानून का उल्लंघन कर जीवन की इस गुणवत्ता को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया जाता है तो

नागरिकों को अनुच्छेद 32 के तहत यह अधिकार है कि पानी अथवा हवा को प्रदूषण मुक्त करने की मांग करें जो उनके जीवन की गुणवत्ता के मार्ग में बाधक है।

एनजीटी के समक्ष चुनौतियाँ

एनजीटी को पर्यावरण संरक्षण के लिये सरकार ने बनाया है लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान में यह कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। एनजीटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसके स्वतंत्रता को लेकर बहस छिड़ गयी है। सिद्धांत में तो यह एक स्वतंत्र निकाय है लेकिन दिन प्रति दिन इसके अधिकारों में कटौती की जा रही है। इसका प्रमुख कारण है सरकार व एनजीटी के बीच टकराव। एनजीटी ने पर्यावरण को ध्यान में रखकर कई ऐसे फैसले दिये हैं जो सरकार के खिलाफ है।

मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी एनजीटी की राह में एक चुनौती है। इसमें जजों की कम नियुक्ति, सदस्यों का अभाव, कार्य करने की स्थिति, कार्यालय आदि जैसी सुविधाओं की कमी एनजीटी के कार्य को प्रभावित कर रही है।

बजट की कमी भी एनजीटी की एक प्रमुख समस्या है। अक्सर अधिकरण द्वारा सरकार पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह एनजीटी को पर्याप्त धन मुहैया नहीं करा पा रही है जिससे कि एनजीटी को अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैसों के अभाव में एनजीटी के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों का अभाव है तथा कई पद खाली पड़े हैं। सदस्यों की कमी के चलते तब बेहद असहज स्थिति उत्पन्न हो गई, जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संशोधन नियम 2017 में हुए फेरबदल के तहत यह व्यवस्था की गई कि संशोधित नियमों के तहत एक सदस्यी बेंच भी मामलों की सुनवाई कर सकती है। इसी तरह दिल्ली स्थित मुख्य बेंच का हाल यह है कि सदस्यों की कमी की वजह से संयुक्त बेंच से काम चलाना पड़ रहा है, क्योंकि अलग-अलग कोर्ट चलाने के लिये पर्याप्त सदस्य नहीं हैं।

इसके अलावा एनजीटी को सामाजिक दबाव का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि कई बार निरीक्षण के दौरान ऐसे लोगों से सामना होता है जिन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का हाथ होता है। ऐसे हालात में एनजीटी को खुलकर काम नहीं करने दिया जाता है जिसका असर उसके निर्णयों पर पड़ता है। इस तरह की समस्यायें आये दिन अखबारों या फिर शोसल मीडिया में देखने व पढ़ने को मिलती हैं।

आगे की राह

1. एनजीटी या इस जैसी कोई भी संस्था जो पर्यावरण संरक्षण के लिये कार्य कर रही है उसे पूर्ण स्वतंत्रता देने की आवश्यकता है जिससे कि वह बिना किसी बाहरी दबाव के अपना कार्य सही तरीके से कर सके।
2. पर्यावरण संरक्षण का कार्य किसी एक संस्था, एनजीओ या फिर सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसके लिए आम नागरिकों को भी आगे आना होगा। सभी को मिलजुल कर देशहित में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा।
3. एनजीटी को भी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए बल्कि उसे पर्यावरण संरक्षण के लिये हर संभव प्रयास करना चाहिए।
4. सरकार और एनजीटी के बीच जो गतिरोध उत्पन्न होता है उसके समाधान के लिये मिलबैठकर सोचना होगा जिससे जनता में एनजीटी को लेकर जो विश्वास है वह बना रहे।
5. सरकार को एनजीटी की जो समस्यायें हैं उस पर त्वरित कार्यवाही करनी होगी जिससे कि यह संस्था अपने उद्देश्यों को पाने में सफल हो सके।
6. एनजीटी का क्षेत्रीय विस्तार पूरे भारत में होना चाहिए जिससे कि लोगों को उनके गृह राज्य या जिले में ही न्याय मिल सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व।

■

2. मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017: एक अवलोकन

चर्चा में क्यों

विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर सड़क सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इनका कहना है कि देश में हर दिन हजारों लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हो रही है। इसे रोकने के लिए मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 का लागू होना जरूरी है। पीएम मोदी से मांग करते हुए संस्थाओं ने बताया कि ये विधेयक पिछले दो वर्ष से लंबित पड़ा है। देश में प्रतिवर्ष होने वाली सड़क दुर्घटनाएं सरकार और आमजन के लिए चिंता का विषय है। यह दुर्घटनाएं राजमार्गों पर अधिक हो रही हैं। यदि तीन वर्षों के सड़क हादसों पर नजर दौड़ाएं तो वर्ष 2015 में पांच लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं। इसमें एक लाख 46 हजार लोग मौत के शिकार हुए। वर्ष 2016 में चार लाख 80 हजार सड़क दुर्घटनाएं हुई, इसमें एक लाख 50 हजार लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह से वर्ष 2017 में चार लाख 60 हजार दुर्घटनाए हुई, इसमें एक लाख 46 हजार लोग बेवजह मौत के शिकार हुए। कंज्यूमर वॉयस की आशिम सन्याल ने बताया कि संसद में लंबे समय से मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2017 लंबित है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2016 को लोकसभा ने अप्रैल, 2017 में पारित कर दिया था। उसके बाद उसे राज्यसभा की प्रवर समिति के पास भेज दिया गया था। समिति ने 22 दिसंबर, 2017 को इस पर अपनी रिपोर्ट दी थी।

पृष्ठभूमि

भारत में सड़क सुरक्षा एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह विधेयक कितना महत्वपूर्ण है यह समझने

के लिये कुछ हाल के आंकड़ों पर गौर करने की आवश्यकता है। सरकारी आंकड़ें दर्शाते हैं कि वर्ष 2017 में भारत में लगभग 1.5 लाख लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गवाई। आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2013 से वर्ष 2016 के बीच 11836 लोगों की मृत्यु एवं लगभग 36000 लोग सड़क में गड्ढों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।

इन सड़क हादसों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जताई है। संगठन का कहना है अगर इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाये गए तो 2020 तक सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या 19 लाख से ज्यादा होगी। संगठन का दावा है कि 78 फीसदी सड़क हादसों में गलती वाहन चालकों की होती है।

वर्तमान स्थिति

भारत में सड़क सुरक्षा की राज्यवार स्थिति देखने से पता चलता है कि क्रमशः मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र सड़क दुर्घटनाओं के शीर्ष पर हैं। यहाँ सड़कों की खराब हालत, गड्डे सड़कों के रखरखाव की खराब स्थिति, खराब सिंग्नल व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा दिशा-निर्देशों का पालन न होना इन दुर्घटनाओं के लिये प्रमुखतः जिम्मेदार हैं। भारत में मानसून के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि देखी जाती है।

सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण-

- खराब सड़कें दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण हैं। सड़कों के निर्माण में मानकों का उल्लंघन किया जाता है, सड़क संरचना डिजाइन व गुणवत्ता पूर्ण सामग्री के उपयोग को नजरअंदाज किया जाता है।
- भारतीय सड़क कांग्रेस ने सड़क सुरक्षा एवं सड़कों के निर्माण को लेकर 100 दिशा-निर्देश दिए हैं जिनका पालन नहीं किया जाता।
- वर्तमान का मोटर वाहन अधिनियम सड़कों की खराब डिजाइन, सड़क निर्माण में खराब सामग्री के प्रयोग व बेकार रख-रखाव के लिये सड़क निर्माताओं पर किसी प्रकार का दण्ड नहीं लगाता।
- इसके अलावा नाबालिकों को वाहन चलाने पर दंडित किए जाने की कड़ी व्यवस्था नहीं है जिससे धरातल पर सड़क कानूनों का उल्लंघन किया जाना आम बात है।
- सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार जिससे लोग सड़क कानूनों का उल्लंघन कर आसानी से बच जाते हैं। भ्रष्टाचार के सहारे ऐसे लोग भी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें वाहन चलाना नहीं आता तथा सड़क परिवहन के नियम पता नहीं होते।
- भारत में वाहनों के रख-रखाव व उनकी गुणवत्ता निम्न होती है जिसके कारण कई बार दुर्घटनायें होती हैं।
- देश के राष्ट्रीय राजमार्गों का कुल विस्तार 97000 किमी. है, जिसे अगले 5 वर्षों में 200000 किमी. तक बढ़ाने का सरकार का लक्ष्य है। देश में सड़कों की कुल लम्बाई 52 लाख किमी. है। परन्तु यहाँ समझने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर 40% ट्रैफिक है जबकि वे देश की कुल सड़कों का महज 2% हैं।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2017 के प्रमुख प्रावधानः

1. यह ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य करता है।
2. हिट एण्ड रन मामलों में मौतों के लिए सरकार पीड़ित परिवार को 2 लाख या उससे अधिक का मुआवजा मुहैया करायगी। वर्तमान में यह राशि केवल 25000 रु. है।
3. अव्यस्कों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर उनके अभिभावकों या वाहन मालिकों को जिम्मेदार ठहराने की व्यवस्था करता है। इसके अतिरिक्त वाहन का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है एवं किशोर न्याय अधिनियम के तहत किशोरों को सजा देने का प्रावधान किया गया है।

- यह विधेयक दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाले लोगों को संरक्षित करता है। ऐसे लोगों से पुलिस या चिकित्सा कर्मी उनकी पहचान नहीं पूंछ सकते।
- नशे में ड्राइव करने पर 10000 रुपये तक का जुर्माना, तेज ड्राइव करने पर 5000 रुपये का जुर्माना, बिना लाइसेंस ड्राइव करने पर 5000 रुपये का जुर्माना, सीटबेल्ट न पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।
- विधेयक में विकलांग लोगों को ध्यान में रखा गया है। यह विकलांग लोगों के अनुकूल वाहन बनाने को अनिवार्य करता है।
- विधेयक सड़कों का खराब निर्माण, खराब रख-रखाव तथा इस कारण हुई दुर्घटनाओं के लिए ठेकेदारों, कंसट्रक्शन कंपनियों को जिम्मेदार ठहराने का प्रावधान करता है।
- सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित मुआवजे का निपटारा 6 माह के अन्दर करना होगा।
- 1988 के कानून के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 20 वर्ष है (उम्र 50 से कम), उम्र 50 वर्ष के ऊपर होने पर वैधता 5 वर्ष तक रहती है। नये प्रावधानों के अन्तर्गत 30 वर्ष से कम उम्र में लाइसेंस बनवाने पर इसकी वैधता 40 वर्ष की उम्र तक, 30 से 50 वर्ष की उम्र के बीच में लाइसेंस बनावाने पर लाइसेंस अगले 10 वर्ष तक वैध होगा, 50 से 55 वर्ष के बीच में लाइसेंस बनवाने पर लाइसेंस वैधता 60 वर्ष की उम्र तक होगी, 55 से अधिक उम्र में लाइसेंस बनवाने पर वैधता अगले 5 वर्षो तक।
- यह विधेयक तीसरी पार्टी पर लगने वाली बीमा राशि की सीमा को हटाता है। 2016 के विधेयक में यह सीमा मौत के मामले में 10 लाख एवं गंभीर चोट के मामले में 5 लाख रुपये की थी।

महत्वः वर्तमान की यातायात चुनौतियों व सड़क सुरक्षा की स्थिति को देखते हुए एक सशक्त मोटर वाहन अधिनियम की आवश्यकता है। यह संशोधन विधेयक सड़क के नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए उत्तरदायित्व को तय करता है। यह अव्यस्कों को वाहन दिए जाने पर उनके अभिभावकों का उत्तरदायित्व स्थापित करता है साथ ही मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने का प्रावधन करता है। इससे सड़कों पर अव्यस्कों द्वारा होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी। यह विधेयक पहली बार सड़कों की खराब इंजीनियरिंग, डिजाइन, रखरखाव आदि के दोषों के लिये सड़क प्राधिकरणों, कॉन्ट्रेक्टरों एवं ठेकेदारों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। अभी तक पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं के लिए अक्सर पीड़ितों अथवा ड्राइवरों की लापरवाही को प्रमुख कारण माना जाता था। सड़क निर्माताओं या रखरखाव प्राधिकरणों को शायद ही कभी खराब सड़क के कारण दुर्घटनाओं का जिम्मेदार ठहराया गया हो। विधेयक में यातायात नियमों का उल्लंघन किये जाने पर दंड की राशि को अधिक तर्कसंगत किया गया है। इससे यातायात नियमों के उल्लंघन में कमी आयेगी। हमारे देश में आर्थिक दंड की कम राशि व व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण यातायात नियमों का पालन न किया जाना एक आम बात है।

चिंतायें/चुनौतियाँ

- भारत में कड़े कानून तो बन जाते हैं परन्तु उनका कार्यान्वियन धरातल पर हो ऐसा कम ही हो पाता है। ऐसे में काफी आशंका है कि नये विधेयक के कड़े प्रावधान व उच्च जुर्माना दरें जमीनी स्तर पर लागू हो पायें।

- भारत में आमजन की आर्थिक स्थिति व बढ़ी हुई जुर्माना दरों में काफी अन्तर है। ऐसे में आमजनों पर काफी ज्यादा आर्थिक दबाव पड़ेगा।
- सरकारी मशीनरी में व्याप्त भ्रष्टाचार एक प्रमुख चुनौती है।
- नये विधेयक के विरोध में कई प्रदर्शन हो रहे हैं उनका कहना है कि विधेयक के प्रावधान कर्पोरेट हाउसों व बड़े-बड़े ट्रांसपोर्टरों को फायदा पहुंचाते हैं जबकि छोटे-छोटे ट्रांसपोर्टरों के अत्यधिक नियमों व कड़े प्रावधानों में कसते हैं।
- यह कहा जा रहा है कि इस बिल के माध्यम से परिवहन के ऊपर केन्द्र राज्यों के अधिकार कम कर रहा है। यदि यह विधेयक पारित होता है तो केन्द्र व राज्यों के बीच कई मुद्दों को लेकर विवाद गहरायेंगे। ओला, ऊबर जैसी यातायात सेवा प्रदाता कम्पनियों को लेकर नियम बनाने के राज्यों के अधिकार का हनन किया जा रहा है।
- विकलांगों के अनुकूल वाहन बनाने के लिये वाहन निर्माताओं पर जिम्मेदारी दी गई है परन्तु इसका कार्यान्वयन न किए जाने पर अथवा केवल सांकेतिक क्रियान्वयन किए जाने पर वाहन निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी यह एक चुनौती है।
- उच्च स्तरीय सड़कों की कमी, यातायात अवसंरचनाओं को सुधारने के लिये वित्त की कमी, सड़कों के मरम्मत व सुधार के लिये तकनीकी एवं मानवबल की कमी एक प्रमुख चुनौती है।

आगे की राह

आमतौर पर सड़क दुर्घटनायें सड़कों में हुए गड्डों की वजह से होती है। अत: सड़क निर्माण के समय अच्छी जल निकास प्रणाली, सड़कों के निर्माण के समय मानकों का पालन और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग करना चाहिए। हाल में परिवहन मंत्रालय ने आम लोगों की मदद से राजमार्गो पर सड़क दुर्घटनाओं से बचाव के लिये ब्लैक स्पॉट्स पहचानने की कोशिश की है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह के अन्य नवाचारी उपाय खोजे जाने चाहिये।

सड़क सुरक्षा पर अपनाये गये “गुवाहाटी घोषणापत्र” व “ब्राजीलिया घोषणापत्र” आदि के दिशा-निर्देशों को अपनाये जाने की जरूरत है। इसके अन्तर्गत सभी राज्य सड़क दुर्घटना आंकड़ों का विश्लेषण कर सड़क दुर्घटना कम करने के उपाय करेंगे। इसके लिए साल भर सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जायेगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति एवं संहिता तैयार करने के लिये समिति का गठन किया जाना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को मजबूती प्रदान की जाए, इसमें मानवीय हस्तक्षेप के बजाय प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। वाहनों की जांच के लिये जगह-जगह तकनीकी केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

केवल मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को पारित करने से सड़कें दुर्घटना मुक्त हो जायेंगीं यह सोचना जल्दबाजी है। सड़क दुर्घटनाओं का एक बड़ा कारण उनका संकरा हो जाना है। देश की अधिकांश सड़के गलियाँ बन चुकी हैं। नगर निकायों का भ्रष्टाचार सड़कों पर स्कूल खुलवा चुका है, धर्मस्थल बनवा चुका है और फुटपाथों को व्यापारियों के हवाले कर चुका है। बहुत जगह तो फुटपाथ गायब हो चुके हैं। अदालतें आदेश पर आदेश दे रही हैं लेकिन नगर निगम न उन्हें सुन रहा है और न अवारा पशुओं और मंडियों को शहर से बाहर कर पा रहा है। परिवहन विभाग के पास प्रवर्तन मानवबल लगभग नहीं हैं। केवल संपर्क मार्गों के लिए लाए गए ई-रिक्शे बेधड़क मुख्य मार्गों पर बसों व ऑटो के साथ रेस मिला रहे हैं। अत: हमें यह समझना होगा कि यह विधेयक सभी समस्याओं का हल नहीं है, लेकिन यह विधेयक यदि कानून बनता है तो यह सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में कमी लायेगा यह निश्चित है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

■

3. एंटीबैलिस्टिक मिसाइलः राष्ट्रों का सुरक्षा कवच

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत रूस से पाँच अत्याधुनिक S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तथा इस सिस्टम को खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 39,000 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की है। रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार 4 साल के भीतर यह मिसाइल देश की सुरक्षा में तैनात कर दी जाएगी। चीन और पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइलों से भारत के शहरों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा इस मिसाइल प्रणाली की खरीद का अहम फैसला लिया गया है। रूस द्वारा निर्मित एस-400 ट्राएम्फ (नाटो जिसे एसए-21 ग्रोवलर के नाम से संबोधित करता है) विश्व में तैनात सबसे खतरनाक आधुनिक और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली (एमएलआरएसएएम) एण्टी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित रक्षाप्रणाली 'थाड' (THAAD) से भी उन्नत माना जा रहा है। एस-400 एबीएमएस 30 किमी. की ऊँचाई पर 400 किमी. के दायरे में आ रहे किसी भी चीज चाहे वो मानवरहित विमान हो या लड़ाकू विमान हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो अथवा क्रूज हो सभी प्रकार के लक्ष्यों को भेद सकता है। यह हवा में ही 100 लक्ष्यों को एक साथ भेद सकता है जिसमें अमेरिका द्वारा निर्मित एफ-35 जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल हैं तथा एक साथ 6 एयरक्राफ्टों पर नज़र रख सकता है।

परिचय

बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने/नष्ट करने के उद्देश्य से निर्मित किसी भी मिसाइलरोधी प्रणाली को बैलिस्टिकरोधी प्रक्षेपास्त्र या एन्टी-बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। फिर भी यह संज्ञा मुख्यत: उन बैलिस्टिकरोधी प्रक्षेपास्त्रों के लिये प्रयोग की जाती है जो लम्बी-दूरी तय करने वाले, नाभिकीय अस्त्रों से सुसज्जित अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों (ICBMs) को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गयी हो। उल्लेखनीय है कि मिसाइल कवच के बारे में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के समय में जिक्र हुआ। रीगन ने शीतयुद्ध के समय में स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशियेटिव (एसडीआइ) प्रस्तावित किया। यह एक अंतरिक्ष आधारित हथियार प्रणाली थी, जिसके सहारे इंटरकांटीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (आइसीबीएम) को हवा में मार गिराने की बात की गई थी।

एंटीबैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम कैसे कार्य करता है?: एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम में संवेदनशील राडार का सबसे ज्यादा महत्व है। ऐसे राडार बहुत पहले ही वायुमंडल में आये बदलाव को भांप कर आ रही मिसाइलों की स्थिति को ट्रेस कर लेते हैं। ऐसी मिसाइलों की पोजिशन लोकेट होते ही गाइडेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और आ रही मिसाइल की तरफ इंटरसेप्टिव मिसाइल दाग दी जाती है। इस मिसाइल का काम दुश्मन की मिसाइल को सुरक्षित ऊँचाई पर ही हवा में नष्ट करना होता है। मिसाइल भेदने के लिये बहुत थोड़ा समय मिलता है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम शत्रु की मिसाइल को निम्नलिखित तीन स्तरों पर भेद सकती है-

- **प्रथम चरण:** इस चरण में मिसाइल को प्रक्षेपित स्थल से प्रक्षेपण के दौरान ही नष्ट कर दिया जाता है। इस चरण में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए उन्नत श्रेणी के राडार प्रणाली की आवश्यकता होती है।
- **द्वितीय चरण:** इस चरण में बैलिस्टिक मिसाइल को मध्य मार्ग में ही नष्ट कर दिया जाता है। अधिकांश प्रणलियों में इसी चरण में मिसाइल को नष्ट करने का लक्ष्य रखा जाता है।
- **तृतीय चरण:** इस चरण में शत्रु देश की बैलिस्टिक मिसाइल को उस समय नष्ट किया जाता है जब वह अपने अंतिम पड़ाव में होती है, अर्थात जब शत्रु मिसाइल पृथ्वी के बाहरी वातावरण से आंतरिक वातावरण में प्रवेश करती है।

पृष्ठभूमि

कोई मिसाइल या रॉकेट अपने लक्ष्य को निशाना बनाये, उसके पहले ही उसे मार गिराने का विचार सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया। जर्मन वी-1 तथा जर्मन वी-2 प्रोग्राम इसी तरह के थे। हालांकि, ब्रिटिश सैनिकों के पास भी यह क्षमता थी और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन देशों के कई ऐसे मिशन नाकाम किये। बैलिस्टिक मिसाइल के इतिहास में जर्मन वी-2 को पहला वास्तविक एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल माना जाता है जिससे एयरक्राफ्ट या अन्य किसी युद्धक सामग्री को नष्ट करना संभव था। इसी से प्रेरित होकर द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिकी सेना ने जर्मन तकनीक की मदद से एंटी मिसाइल तकनीकी पर काम करना शुरू किया। मगर व्यापक सफलता 1957 में सोवियत संघ द्वारा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने के बाद ही मिली, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम (ABMS) का पहला वास्तविक और सफल परीक्षण 1 मार्च, 1961 को सोवियत संघ ने किया। पहला आइसीबीएम-एबीएम सोवियत ए-35 था इसे शीतयुद्ध के दौरान अमेरिका से बढ़ते तनाव के कारण मॉस्को की रक्षा करने के मकसद से विकसित किया गया था। फिर बाद में, 1980 के दशक में इसे और उन्नत किया गया।

भारत: भारत में 1990 के दशक के प्रारम्भ से ही, भारत को पाकिस्तान व चीन से बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का खतरा बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि भारत को अतीत में पाकिस्तान और चीन से कई युद्ध लड़ने पड़े थे। इस क्षेत्र में तनाव बढ़ने के साथ ही पाकिस्तान की चीन से खरीदी गयी एम-11 मिसाइलों के तैनाती के जबाव में भारत सरकार ने अगस्त 1995 को नई दिल्ली एवं अन्य शहरों की रक्षा के लिए रूस की एस-300, सतह से हवा में प्रहार करने वाली मिसाइलों की खरीद की थी। भारत में पहली एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण वर्ष 2006 में किया गया था। तब से लेकर अभी तक 13 बार एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जा चुका है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध दो अघोषित परमाणु शक्तियों के बीच पहला सीधा संघर्ष बन गया। परमाणु हथियार के संभावित उपयोग का पहला संकेत 31 मई को मिली था, जब पाकिस्तानी विदेश सचिव शमशाद अहमद ने एक चेतावनी दी कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो पाकिस्तान अपने शस्त्रागार से "किसी भी हथियार" का इस्तेमाल कर सकता है।

एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली के विकास कार्यक्रम को शुरू करते हुए यह तर्क दिया गया कि भारत परमाणु हथियारों के पहले उपयोग न करने की नीति का अनुसरण करता है जबकि पाकिस्तान परमाणु बम का प्रयोग करने के लिए रास्ते खुले रखता है इसलिए देश की सुरक्षा के लिए यह प्रणाली बेहद जरूरी है।

वर्तमान स्थिति

पिछले दो दशकों से भारत अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने पर विशेष जोर दे रहा है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) लगातार भारत को नयी तकनीकों से लैस मिसाइलें प्रदान कर रहा है। साथ ही पिछले कुछ सालों से भारत रक्षा सौदे में सबसे आगे चल रहा है। मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित करने के प्रयासों के अंतर्गत भारत ने ओडिशा के एक परीक्षण केंद्र से स्वदेश निर्मित सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल धरती से 30 किमी. की ऊँचाई के दायरे में आने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को बीच में ही मार गिराने में सक्षम है। 28 सितम्बर, 2017 को किया गया परीक्षण तीसरा सुपरसोनिक इंटरसेप्टर परीक्षण था। इससे पहले 11 फरवरी और 1 मार्च, 2017 को दो परीक्षण किए जा चुके हैं। यह बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा है।

किन देशों के पास है यह प्रणाली?

दुनिया के कई देशों द्वारा मिसाइल परीक्षण करने के कारण इनसे बचाव की जरूरत सभी को महसूस होने लगी है। यही कारण है कि विकसित देश अब मिसाइल सुरक्षा कवच विकसित करने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। अभी फिलहाल यह प्रणाली दुनिया के चुनिंदा देशों के पास ही है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम फिलहाल अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान और इजराइल के पास ही है। अब भारत भी इन देशों की श्रेणी में आ गया है, जिसके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। हालांकि, हर देश के पास इससे संबंधित अलग-अलग तकनीकी है। मसलन आज दुनिया के छह देशों के पास इंटर कांटीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन, इसे इंटरसेप्ट करने यानी रोकने की तकनीक सिर्फ दो देश- अमेरिका और रूस के पास ही है। हालांकि, आइसीबीएम के अलावा अन्य मिसाइलों को भेदने के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल (एबीएम) हैं, लेकिन ये एबीएम आइसीबीएम को नहीं भेद सकता है। रूस ने सोवियत संघ के जमाने में 1971 में अपनी तकनीक विकसित की थी, जबकि अमेरिका के पास इसके लिए ग्राउंड-बेस्ड मिड कोर्स डिफेंस है। इसे पहले नेशनल मिसाइल डिफेंस के नाम से जाना जाता था। इस संदर्भ में विदित हो कि इजराइल दुनिया का एकलौता ऐसा देश है, जिसका सम्पूर्ण क्षेत्र एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है। इजराइल द्वारा कई बैलिस्टिक मिसाइलों को बनाया गया है, जिनमें सबसे शक्तिशाली एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल (एबीएम) प्रणाली है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्मित इस मिसाइल को एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल (AAD) के नाम से जाना जाता है। परीक्षण के दौरान एक इलेक्ट्रानिक लक्ष्य तय किया गया था ट्रैकिंग राडारों से सिग्नल मिलते ही इंटरसेप्टर ने अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर द्वीप) से उड़ान भरी और तय रास्ते पर आने वाली हमलावार मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। यह परीक्षण स्वदेश विकसित उच्च गति की इंटरसेप्टर मिसाइल के प्रभावशीलता के निरीक्षण करने के लिए किया गया। 7.5 मीटर लंबी एएडी इंटरसेप्टर मिसाइल एक एकल चरण ठोस रॉकेट चलित मिसाइल है जोकि एनर्सियल नेविगेशन प्रणाली से लैस है। इसे एक हाईटेक कंप्यूटर, एक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्टीवेयर से लैस किया गया है। इसका अपना मोबाइल लांचर, इंटरसेप्सन

के लिए सिक्योर डेटा लिंक, स्वतंत्र ट्रेकिंग क्षमता और अत्याधुनिक राडार भी है।

भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली के प्रकार

इसके दो प्रकार हैं-

1. **पृथ्वी एयर डिफेंस (PAD):** यह एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जो पृथ्वी के बाह्य वातावरण से आ रही बैलिस्टिक मिसाइलों को लक्षित करने के लिए विकसित की गयी है। इसे 'प्रद्युम्न बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर' के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल दो चरणों वाली मिसाइल है जिसका पहल चरण ठोस ईंधन युक्त एवं दूसरा चरण द्रव ईंधनयुक्त होता है। इसकी अधिकतम मारक क्षमता 2000 किमी. है जो 50-80 किमी. की ऊँचाई पर लक्ष्य को भेद सकती है। इसकी गति 5 मैक से अधिक है।
2. **एडवांस्ड एयर डिफेंस (AAD):** इसे अश्विन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी कहते हैं। इस एन्टी-बैलिस्टिक मिसाइल को पृथ्वी के आंतरिक वातावरण में आती हुई शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइलों को 30 किमी. की ऊँचाई पर नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। एयर एडवांस डिफेंस ठोस द्रव ईंधन वाली एकल चरणीय मिसाइल है। दिशानिर्देश के मामले में यह पीएडी की तरह ही है। इसकी मारक क्षमता 120-150 किमी. है जो 4.5 मैक की गति से लक्ष्य को भेद सकती है।

भारत में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली की आवश्यकता क्यों?

- भारत पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल की नीति का अनुसरण नहीं करता है अत: यदि कोई शत्रु देश नाभिकीय हमले करता है तो एक मजबूत बीएमडी राष्ट्र को सुरक्षा प्रदान करेगी।
- पाकिस्तान में कट्टरपंथी और गैर-राज्य संगठन मिसाइल प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं तथा उनके पास इस प्रकार की मिसाइल प्रौद्योगिकी हो भी सकती है। बीएमडी गैर-राज्य संगठनों और कट्टरपंथियों द्वारा शुरू किए जाने वाले युद्ध से भी रक्षा प्रदान करेगा। इस प्रकार व्यापक विनाश से बचा जा सकता है।
- भारत के उत्तर में नाभिकीय शक्ति से संपन्न शत्रु देश हैं। इसलिए भी भारत को एक मजबूत बीएमडी की आवश्यकता समय की मांग है।
- चीन पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अपनी एंटी एक्सेस/एशिया डेनियल (ए 2/एडी) रणनीति को लागू करने के लिए नई प्रौद्योगिकीयों का विकास कर रहा है। यह भारतीय जल क्षेत्र के साथ-साथ भारतीय मुख्य भूमि को प्रभावित कर सकता है। चीन की इस रणनीति से निपटने के लिए एक मजबूत बीएमडी आवश्यक हथियार के रूप में काम आ सकता है।
- बीएमडी तकनीकी की उपयोगिता इस कारण भी है कि ये दुश्मन देश को परमाणु हमले करने के लिए हतोत्साहित करता है इस प्रकार क्षेत्र में सामरिक स्थिरता को बढ़ावा मिलता है।
- एक स्वदेशी बीएमडी प्रणाली अन्य देशों से रक्षा प्रणालियों के आयात बिल को कम करने में मदद करेगी।
- बीएमडी के अन्य लाभ भी हैं जैसे- वैश्विक पहचान, खोज, अन्य देशों पर नजर रखने तथा स्थिति को भाँपने में आदि।
- बीएमडी के लिए विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग अन्य क्षेत्रों में विशेष रूप से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किया जा सकता है।

एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को लेकर चुनौतियाँ

- यह शस्त्रों की होड़ में वृद्धि करेगा। भारत द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली की स्थापना के पश्चात पाकिस्तान भी अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रणाली का विकास करेगा।
- क्रूज मिसाइल के विरूद्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली उतनी प्रभावशाली नहीं है। इसके इतर चीन और पाकिस्तान दोनों के पास नाभिकीय शस्त्रों को ले जाने वाली क्रूज मिसाइलें हैं।
- कोई भी बैलिस्टिक प्रतिरक्षा प्रणाली 100% सटीक नहीं होती है। तथा यह प्रणाली बहुत ही महंगी है।
- भारत की भूस्थिति बहुत व्यापक है तथा यहाँ के सभी संवेदनशील केंद्रों को बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा आच्छादित करना बहुत ही दुष्कर है।
- बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा शत्रु देश के मिसाइल को ध्वस्त करने के पश्चात भी खतरा बना रहता है खासकर जब शत्रु मिसाइल को अंतिम चरण में ध्वस्त किया जाता है।
- बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नियंत्रित वातावरण में किया गया है। अत: युद्ध के दौरान इसके सटीकता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
- **अमेरिका का काटसा कानून:** अमेरिका ने काटसा (काउंटरिंग अमेरिकन एडवटाईज थ्रू सैंक्शन्स एक्ट-2017) नामक कानून जनवरी 2018 में पास किया है। यह कानून अमेरिका से सैन्य संबंध रखने वाले देशों को रूस के साथ सैन्य संबंध रखने या व्यापार करने से रोकता है।

आगे की राह

सुरक्षा के वर्तमान वातावरण में भारत को दो तरफा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। चीन की सामरिक बढ़त को देखते हुए अग्नि श्रृंखला के प्रक्षेपास्त्रों को तैनात करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही तेजी से गोता लगाने की क्षमता रखने वाले ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र को तैनात किया जाना चाहिए। भारत को अपनी दिशासूचक एवं निगरानी प्रणाली भी विकसित करनी होगी। डीआरडीओ को अग्नि 5 सेना में शामिल करने की प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता है। भारत में बीएमडी की स्थिति को सुधारने के लिए सरकारी पहल की जरूरत है। भारत को क्रूज मिसाइलों के विकास को गति देने की आवश्यकता है साथ ही बीएमडी के घरेलु विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस को रूस की ट्रायंफ प्रणाली के साथ मिलकर विकसित करना चाहिए ताकि प्रक्षेपास्त्रों से हवाई प्रतिरक्षा की हमारी क्षमता को अधिकाधिक उपयोग किया जा सके। इसके साथ ही भारत को मल्टिपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री-एंट्री व्हीकल एवं मल्टिपल एडजस्टेबल एंड मेन्यूवरेबल टारगेटेड रि-एंट्री व्हीकल का भी विकास करना होगा। प्रक्षेपास्त्रों को अपनी दिशासूचक प्रणाली प्रदान करने के लिए इसरो को पर्याप्त संख्या में उपग्रहों का प्रक्षेपण करना चाहिए। भारत को क्रूज प्रक्षेपास्त्रों के विरूद्ध रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के प्रयास करने होंगे।

- भारत को काटसा प्रतिबंध से पार पाने के लिए अमेरिका के साथ प्रभावी बातचीत की जरूरत है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियाँ; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

4. गंगा की सफायी का अब तक का सफर

चर्चा का करण

हाल ही में गंगा सफाई अभियान को लेकर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार से पिछले 4 वर्षों में किये गए कार्यो और उनसे हुए परिणामों का ब्योरा मांगा है। एनजीटी ने कहा कि सरकार ने गंगा सफाई अभियान पर 7000 करोड़ रुपए खर्च कर दिया है, लेकिन गंगा अभी भी पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई है। केन्द्र सरकार गंगा सफाई के लिए फंड तो जारी कर चुकी है लेकिन सफाई अभियान के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस ए.के. गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने गंगा नदी की सफाई को लेकर सुनवाई करते हुए कहा कि गंगा के पुनर्जीवन के लिए जमीनी स्तर पर किए गए काम पर्याप्त नहीं हैं और स्थिति में सुधार के लिए नियमित निगरानी की जरूरत है। एनजीटी ने असंतोष जाहिर करते हुए कहा कि हालात असाधारण रूप से खराब है। नदी की सफाई के लिए शायद ही कोई प्रभावी कदम उठाया गया है।

गंगा नदी का परिचय

भारत की सबसे महत्त्वपूर्ण नदी गंगा जो भारत और बांग्लादेश में मिलाकर 2525 किमी की दूरी तय करती है। गंगा नदी 2071 कि.मी भारत में तथा उसके बाद बांग्लादेश में अपनी लंबी यात्रा करते हुए यह सहायक नदियों के साथ दस लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अति विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस नदी के जल में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं, जो जीवाणुओं व अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों को जीवित नहीं रहने देते हैं। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा के इस उद्गम स्थल की ऊँचाई 3140 मीटर है। गंगोत्री तीर्थ, शहर से 19 कि.मी. उत्तर की ओर 3892 मी. (12,770 फी.) की ऊँचाई पर इस हिमनद है। यह हिमनद 25 कि.मी. लंबा व 4 कि.मी. चौड़ा और लगभग 40 मी. ऊँचा है। इस हिमनद में नंदा देवी, कामत पर्वत एवं त्रिशूल पर्वत का हिम पिघल कर आता है।

पृष्ठभूमि

ज्ञात हो कि गंगा सफाई अभियान केंद्र की एक ऐसी योजना है जो देश की आस्था से जुड़ी हुई है। 2014 के बाद सरकार ने गंगा सफाई अभियान के लिए कई प्रभावी कदम भी उठाए थे लेकिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने उन प्रयासों को नकाफी बताते हुए असंतोष व्यक्त किया है। यह पहला मामला नहीं है जब एनजीटी ने, गंगा सफाई को लेकर केन्द्र सरकार को फटकार लगाई है। इससे पहले एनजीटी ने गोमुख और उन्नाव के बीच गंगा नदी की सफाई के लिए केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर निपटारा रिपोर्ट दाखिल नहीं करने को लेकर खिंचाई की थी। यदि हम गंगा सफाई अभियान को लेकर अभी तक किए गए प्रयासों की चर्चा करें तो गंगा को साफ करना भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती गंगा में हर तरफ से आ रहा मल-मूत्र का कचरा, औद्योगिक कचरा, बूचड़खानों का कचरा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1984 में गंगा बेसिन में सर्वे के बाद अपनी रिपोर्ट में गंगा के प्रदूषण पर गंभीर चिंता जताई थी। इसके आधार पर पहला गंगा एक्शन प्लान 1985 में अस्तित्व में आया। इसके तहत काम शुरू भी किया गया, लेकिन सफलता बेहद कम मिली। यह 15 साल चला एवं इस पर 901 करोड़ रुपये खर्च हुए। मार्च 2000 में इसे बंद कर दिया गया। इसी बीच अप्रैल 1993 में तीन और नदियों यमुना, गोमती और दामोदर के साथ गंगा एक्शन प्लान-दो शुरू किया गया, जो 1995 में प्रभावी रूप ले सका। दिसंबर 1996 में गंगा एक्शन प्लान-दो को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में विलय कर दिया गया। फरवरी 2009 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन अथॉरिटी (एनआरजीबीए) का गठन किया गया। इसमें गंगा के साथ यमुना, गोमती, दामोदर व महानंदा को भी शामिल किया गया। 2011 में इस कार्य के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन एक पंजीकृत सोसायटी के रूप में किया गया। मोदी सरकार ने 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया। 1995 से 2014 तक की गंगा सफाई की इन योजनाओं पर 4,168 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं और वर्ष 2014 से लेकर अब तक गंगा सफाई में 3475.46 करोड़ रुपए खर्च हो गए लेकिन सरकार को नहीं पता की अब तक गंगा कितने प्रतिशत साफ हुई है।

वर्तमान स्थिति

गंगा के तट पर घने बसे औद्योगिक नगरों के नालों की गंदगी सीधे गंगा नदी में मिलने से गंगा का प्रदूषण पिछले कई सालों से भारत सरकार और जनता की चिंता का विषय बना हुआ है। औद्योगिक कचरे के साथ-साथ प्लास्टिक कचरे की बहुतायत ने गंगा जल को भी बेहद प्रदूषित किया है। वैज्ञानिक जांच के अनुसार गंगा का बायोलाजिकल ऑक्सीजन डिमांड स्तर काफी बढ़ गया है। गंगा में 2 करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा प्रतिदिन गिर रहा है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर-प्रदेश की 12 प्रतिशत बीमारियों की वजह प्रदूषित गंगा जल है। यह घोर चिंता का विषय है कि गंगा-जल न स्नान के योग्य रहा, न पीने के योग्य रहा और न ही सिंचाई के योग्य। इस प्रदूषित जल में उपस्थित जीवाणु, फफूंद, परजीवी और विषाणु के कारण गंगा जल पर निर्भर रहने वाले लगभग 40% भारतीय हैजा, उल्टी, दस्त, बुखार, स्किन की समस्याएं जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (W.H.O) ने इसे विश्व के सबसे प्रदूषित नदियों में से एक मानते हुए इसका प्रदूषण स्तर निर्धारित मानक से 300 गुना अधिक बताया है। कोलीफार्म, घुलित ऑक्सीजन और जैव रासायनिक ऑक्सीजन माँग के आधार पर पानी को पीने, नहाने व कृषि उपयोग के लिए 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पीने के पानी में कोलीफार्म का स्तर 50 के नीचे नहाने के पानी में 500 के नीचे, और कृषि योग्य पानी में इसका स्तर 5000 के नीचे होना

चाहिए। जबकि हाल ही में किये गए अध्ययन से पता चलता है की हरिद्वार में गंगाजल में Coliform का स्तर 3500 पाया गया। पटना विश्व विद्यालय ने बनारस स्थित गंगा के जल में पारा होने की पुष्टि की है। पवित्रता और धार्मिक आस्था से जुडी गंगा इतनी प्रदूषित हो चुकी है की आज ये सम्पूर्ण भारत के लिए चिंता का विषय बन गयी है।

नमामि गंगे योजना की कार्य नीति

स्वच्छ गंगा परियोजना का आधिकारिक नाम एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना या 'नमामि गंगे' है। यह मूल रुप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम मिशन है। इस पर वर्ष 2020 तक 20 हजार करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। गंगा को स्वच्छ करने के लिये पिछले 30 साल में सरकार की ओर से खर्च की गई राशि से यह चार गुना है। जब केंद्रीय बजट 2014-15 में 2,037 करोड़ रुपयों की आरंभिक राशि के साथ नमामि गंगे नाम की एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन परियोजना शुरु की गई तब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि अब तक इस नदी की सफाई और संरक्षण पर बहुत बड़ी राशि खर्च की गई है लेकिन गंगा नदी की हालत में कोई अंतर नहीं आया। इस परियोजना को शुरु करने का यह आधिकारिक कारण है। इसके अलावा कई सालों से अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को भारी मात्रा में नदी में छोड़े जाने के कारण नदी की खराब हालत को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लैगशिप योजना 'नमामि गंगे' को मई 2015 में स्वीकृति दी गई थी।

परियोजना का कवर क्षेत्र

भारत के पांच राज्य उत्तराखण्ड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार गंगा नदी के पथ में आते हैं। इसके अलावा सहायक नदियों के कारण यह हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और दिल्ली के कुछ हिस्सों को भी छूता है। इसलिए स्वच्छ गंगा परियोजना इन क्षेत्रों को भी अपने अंतर्गत लेती है। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से पूछा था कि स्वच्छ गंगा परियोजना कब पूरी होगी? तब कहा गया था कि उन पांच राज्य सरकारों की सहायता भी इस परियोजना को पूरी करने में जरुरी होगी। भारत सरकार ने कहा था कि लोगों में नदी की स्वच्छता को लेकर जागरुकता पैदा करना राज्य सरकारों का काम है।

परियोजना का क्रियान्वयन

नमामि गंगे परियोजना कई चरणों में पूरी होगी। इसकी सटीक जानकारी तो नहीं है पर यह समझा जा सकता है कि सहायक नदियों की सफाई भी इसकी एक प्रमुख गतिविधि होगी। अधिकारियों को उन शहरों का भी प्रबंधन करना होगा जहां से यह नदी गुजरती है और औद्योगिक इकाईयां अपना अपशिष्ट और कचरा इसमें डालती हैं। इस परियोजना का एक प्रमुख भाग पर्यटन का विकास करना है जिससे इस परियोजना हेतु धन जुटाया जा सके। अधिकारियों को इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक एक चैनल भी विकसित करना होगा ताकि जल पर्यटन को बढ़ावा मिले।

परियोजना के प्रमुख मुद्दे

नमामि गंगे परियोजना का सबसे बड़ा मुद्दा नदी की लंबाई है। यह 2,500 किमी. की दूरी कवर करने के साथ ही 29 बड़े शहर, 48 कस्बे और 23 छोटे शहर कवर करती है। इससे अलावा नदी का भारी प्रदूषण स्तर और औद्योगिक इकाईयों का अपशिष्ट एवं कचरा तथा आम जनता के द्वारा डाला गया कचरा भी एक मुद्दा है।

परियोजना से जुड़े विवाद

स्वच्छ गंगा परियोजना से कई विवाद भी जुड़े हैं, जिसमें से एक इसे चलाने के लिए गठित पैनल के सदस्यों के बीच मतभेद होना है। इस कमेटी का गठन जुलाई 2014 को विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ किया गया था। इस परियोजना का एक प्रमुख मुद्दा इन क्षेत्रों में बढ़ती हुई आबादी को बाढ़ क्षेत्र से दूर करना है। इसके अलावा इनलैंड जलमार्ग के महत्व पर मतभेद भी एक मुद्दा है।

चुनौतियाँ

गंगा प्रदूषण: जो नदी कभी पवित्र मानी जाती थी आज उसी नदी के तट पर अनेक महानगर बसा दिए गए हैं। शहरों की सारी गंदगी इसमें ही डाली जाती है। नालों से निकलने वाले मल-जल, कल कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थ, कृषि से सम्बंधित रासायनिक अवशेष, बड़ी संख्या में पशुओं के शव, अधजले मानव शरीर छोड़े जाने और यहाँ तक की धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान बड़ी संख्या में देवी-देवताओं की प्रतिमाएं आदि विसर्जित करने के कारण आज गंगा का पानी अत्यंत दूषित हो गया है।

गंगा में प्रदूषण की समस्या कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1100 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट गंगा में गिर रहा है। इसके अलावा शहरों से 3520 एमएलडी सीवेज गंगा में गिर रहा है। ऐसे में इसे रोकने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है। गंगा महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेन्द्रानंद सरस्वती का कहना है कि समय के साथ-साथ इतनी सारी एजेंसियां और विभाग गंगा के काम से जुड़ गए हैं और इनके बीच समन्वय करना अपने आप में चुनौती है। हम सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 50 साल पुरानी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। गंगा के किनारे जो शहर बसे हैं वहां के स्थानीय निकायों से लेकर संबंधित विभागों तक किसी को भी यह चिंता नहीं है कि इस नदी में प्रदूषण कैसे रोका जाए। गंगा नदी के किनारे तीन आइआइटी स्थित हैं लेकिन उन्होंने भी यह चिंता नहीं की उनके शहर से गंगा में जाने वाले घरेलू और औद्योगिक प्रदूषण को साफ करने की क्या तकनीक अपनायी जाए। गंगा के लिए नेशनल रिवर एक्ट लाने की बात कागज और फाइलों में सीमित है। केवल एनएमसीजी को निदेशालय में बदलने का काम हुआ है।राज्यों में भी गंगा को निर्मल बनाने की योजना को लागू करने के लिए जल बोर्ड से लेकर, स्थानीय निकायों तक कई संस्थाएं हैं। शहरों में जमीन नगर विकास प्राधिकरणों के पास हैं जबकि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की जिम्मेदारी जल निगम या बोर्ड की है। निगरानी का जिम्मा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास है। ऐसे में इन सबके बीच तालमेल बिठाना चुनौती है। जब तक समाज के हर व्यक्ति को इस अभियान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक नदियों को बचाने में सफलता नहीं मिलेगी। उनका कहना है कि स्वच्छ गंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरुक करना आवश्यक है।

समाधान

वैसे तो केंद्र में गंगा के लिए अलग मंत्रालय और इसके अधीन 'राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन' (एनएमसीजी) के रूप में एक समर्पित संस्था है लेकिन जमीनी हकीकत इससे काफी अलग है। व्यवहार में एनएमसीजी की भूमिका काफी सीमित है। यही वजह है कि एनएमसीजी ने गंगा की सफाई में सहयोग के लिए करीब दर्जनभर मंत्रालयों के साथ करार किया है। अत: सरकार इन मंत्रालयों के साथ टास्क फोर्स बनाकर इससे निपटने की कोसिस करेगी। प्रमुख मंत्रालय निम्नलिखित हैं-

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण 2. शहरी विकास मंत्रालय,3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय' 4. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय' 5. कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय'।

प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद नरेन्द्र मोदी ने गंगा नदी में प्रदूषण पर नियंत्रण करने और इसकी सफाई का अभियान चलाया। इसके बाद उन्होंने जुलाई 2014 में आम बजट में नमामि गंगे नामक एक परियोजना आरम्भ की। इसी परियोजना के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने गंगा के किनारे स्थित 48 औद्योगिक इकाइयों को बन्द करने का आदेश दिया है। विभिन्न उपकरणों की मदद से विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। जून 2015 से इसे आठ शहरों कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मथुरा-वृंदावन, पटना, साहिबगंज, हरिद्वार व नवद्वीप में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया। यह काम घाटों पर किया जा रहा है। इसमें ट्रेश स्कीमर, एरेटर्स, बूम आदि उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। ये मशीनें 50 हजार से लेकर 16 करोड़ रुपये तक की हैं। श्रद्धालुओं को उनके परिजनों के नाम से दान देने के लिए कहा जाएगा और शिलापट्ट पर उनके नाम भी लिखे जाएंगे। सफाई के लिए 10 से 20 लोगों के समूहों को 10 से 20 दिन के लिए बुलाया जाएगा। इन वालंटियरों को ठहरने व खाने की व्यवस्था के साथ अच्छी खासी प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। साथ ही आधुनिक शवदाह गृह, मॉडल धोबी घाट और अन्य घाटों पर सोलर पैनल आदि बनाए जाएंगे। इस सबके बावजूद समूची गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसकी सफलता के लिए जरूरी है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, वाणिज्यिक उपक्रम और धार्मिक संस्थान भी पूरी ईमानदारी के साथ इस राष्ट्रीय कार्यक्रम से जुड़े। गंगा के आस-पास रहने वाले प्रत्येक भारतीय का भी यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में जिस रूप में भी संभव हो अपना सकारात्मक योगदान करें।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन

■

5. नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस की 100वीं वर्षगाँठ

चर्चा का कारण

दुनिया के अनेक महापुरुषों को हमने विस्मृत कर दिया है, लेकिन कई महापुरुष ऐसे भी हैं, जिन्हें उनके जीवन में जितना सम्मान मिला, उससे कहीं ज्यादा उनकी मृत्यु के बाद उन्हें दुनिया ने सम्मान दिया, ऐसे ही महापुरूषों में एक नेल्सन मंडेला भी हैं। नेल्सन मंडेला आज भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जब भी दुनिया में शांति की बात आती है तो उन्हें जरूर याद किया जाता है। 18 जुलाई, 2018 को नेल्सन मंडेला का 100वाँ जन्मदिन मनाया गया। उनके जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्रसंघ 'नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगभेद, मानवाधिकारों की रक्षा, लैंगिक समानता की स्थापना और नस्लभेद के खिलाफ आवाज उठाई। वे सम्पूर्ण दुनिया की मानव जाति को अपनी परिधि में लाने वाले राजनीतिक आन्दोलन के जननायक थे।

जीवन परिचय

दक्षिण अफ्रीका में लोग नेल्सन मंडेला को रंगभेद विरोधी संघर्ष में उनके योगदान के कारण सम्मान के रूप में लोकतंत्र के प्रथम संस्थापक, राष्ट्रपिता, राष्ट्रीय मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता, के साथ-साथ 'मदीबा' के नाम से भी पुकारते हैं।

नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई, 1918 को म्वेजो, ईस्टर्न केप, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरी म्फाकेनिस्वा तथा माँ का नाम नेक्यूफी नोसकेनी था। ये अपने पिता की सभी 13 संतानों में तीसरे तथा अपनी माँ की प्रथम संतान थे। इनके पिता म्वेजो कबीले के सरदार थे। वहाँ कबीलाई भाषा में मंडेला नाम का शाब्दिक अर्थ सरदार का पुत्र होता है।

मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल में पूरी की। उसके बाद की स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से प्राप्त की। उनकी स्नातक की शिक्षा अश्वेतों के लिए बनाये गए विशेष कॉलेज हेल्डटाउन में हुई। यहीं पर उनकी मुलाकात 'ओलिवर टाम्बो' से हुई, जो जीवन भर नेल्सन मंडेला के सहयोगी व मित्र बने रहे। कॉलेज के दिनों में ही वे राजनीति में हिस्सा लेने लगे जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया।

राजनीतिक जीवनः 1941 में वे जोहॉन्सबर्ग चले गये और राजनीति के साथ-साथ वे एक कानूनी फर्म में नौकरी करने लगे। उस समय रंग के आधार पर हर जगह भेदभाव होता था। इसके विरूद्ध अफ्रीकन नेशनल काँग्रेस एक आंदोलन चला रही थी इसलिए वे 1944 में अफ्रीकन नेशनल काँग्रेस में शामिल हो गए। 1944 में ही नेल्सन मंडेला ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 'अफ्रीकन नेशलन काँग्रेस यूथ लीग की स्थापना की और 1947 में वे लीग' के सचिव चुने गऐ। 1961 में नेल्सन मंडेला और उनके सहयोगियों पर देशद्रोह का मुकदमा चला पर वे सभी निर्दोष साबित हुए। नेल्सन मंडेला को पुनः 5 अगस्त 1962 को मजदूरों को उकसाने व देश छोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चला जिसमें 12 जुलाई, 1964 को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें रॉबिन द्वीप की जेल में भेजा गया, वहाँ भी मंडेला ने अश्वेतों को एकजुट करने का प्रयास किया।

27 वर्षों की सजा काटने के बाद वे 11 फरवरी, 1990 को रिहा हुए। इसके बाद उन्होंने शांति और समझौते की नीति पर चलते हुए एक बहुजातीय लोकतांत्रिक अफ्रीका की नींव रखी। 1994 में अफ्रीका में चुनाव हुए जिसमें अफ्रीकन नेशनल काँग्रेस ने 62 प्रतिशत वोट प्राप्त कर सरकार बनाई। इस प्रकार 10 मई, 1994 को नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। मंडेला ने 1997 में सक्रिय राजनीति से स्वयं को दूर कर लिया तथा 1999 में अफ्रीकन नेशनल काँग्रेस के अध्यक्ष पद भी छोड़ दिया।

मृत्युः नेल्सन मंडेला की मृत्यु 95 वर्ष की आयु में फेफड़ों में संक्रम के कारण 5 दिसंबर 2013 को जोहॉन्सबर्ग में अपने घर पर हो गई।

अन्य उपलब्धियाँ: भारत रत्न पुरस्कार, निशान ए पाकिस्तान, गाँधी शांति पुरस्कार (2008), ऑर्डर ऑफ लेनिन, प्रेसीडेंट मैडल ऑफ फ्रीडम, नोबल शांति पुरस्कार (1993)। इसके साथ ही रंगभेद को मिटाने में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 जुलाई को मंडेला दिवस मनाने की घोषणा की।

नेल्सन मंडेला के कार्य

नेल्सन मंडेला ने गांधीवादी विचारों से प्रेरणा लेकर रंगभेद के खिलाफ अपने संघर्ष की शुरुआत की और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे गांधी के रूप में विख्यात हुए। उन्होंने अहिंसा का सशक्त रास्ता ढूंढा जिससे अफ्रीका की आजादी के आंदोलन के साथ-साथ व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों में अहिंसक धारा की बात मन में जुड़ी। महात्मा गांधी ने कहा था कि उन्हें आश्चर्य नहीं होगा अगर किसी दिन

कोई अश्वेत नेता उनके सिद्धांतों को आगे ले जाए। जिस समय नेल्सन मंडेला उपनिवेशवाद से लड़ रहे थे, लोगों को जगाने की कोशिश हो रही थी और अपने संघर्ष के लिए जब उन्हें वैश्विक सहयोग की जरूरत थी तब गांधीजी के सिद्धांत इनके आंदोलन में अत्याधिक सहायक साबित हुए।

1964 से 1990 तक रंगभेद और अन्याय के खिलाफ लड़ाई की वजह से जेल में जीवन के 27 साल बिताने वाले टाटा यानी अफ्रीका के पिता नेल्सन मंडेला ने ऐसे समय में अहिंसा, असहयोग और सत्य का रास्ता अपनाया जब दुनिया शीतयुद्ध तथा सशस्त्रीकरण होड़ हो में डूबी हुई थी, दुनिया विश्व युद्ध के नतीजों से जूझ रही थी। नेल्सन मंडेला ने जोहॉन्सबर्ग की खदान में गार्ड बन कर काम करना शुरू किया और फिर यहीं से प्रेस की स्वतंत्रता के लिए तथा रंगभेद के खिलाफ उनकी लड़ाई शुरू हुई। मंडेला के अनुसार "जो लोग राजनीति में अहिंसा का इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें अपने जीवन में भी इसे अपनाने की जरूरत है। गांधी की अहिंसा और असहयोग की नीति वैश्विक है और देश या समय की सीमा में बंधी हुई नहीं है"।

1952 से 1964 के बीच दक्षिण अफ्रीका में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों का दौर चला। इस दौरान शार्पविल का नरसंहार हुआ जिसमें 96 लोग मारे गए। यहां से मंडेला के आंदोलन की दिशा बदली। उन्हें लगने लगा कि अहिंसा से अब कुछ नहीं हो सकता। यही बात मंडेला ने एक अदालती सुनवाई के दौरान भी कही। क्या सच में बिना हिंसा के कुछ नहीं हो सकता? पीटर रुएर कहते हैं, गांधी जी ने भी अपना आंदोलन निष्क्रिय प्रतिरोध के साथ शुरू किया था लेकिन उन्हें जल्द ही समझ में आ गया कि इससे बात नहीं बनेगी तो उन्होंने इसे शांतिपूर्ण असहयोग का नाम दिया। नेल्सन मंडेला के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि अहिंसा से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है।

जब नेल्सन मंडेला को 5 अगस्त 1962 के दिन कैद कर लिया गया तब जेल में भी रंगभेद का बोलबाला था। अश्वेतों को अलग रखा जाता और उन्हें खाना भी कम दिया जाता इसलिए जेल में भी मंडेला ने अपना आंदोलन जारी रखा। जेल में रहने के दौरान मंडेला की लोकप्रियता दुनिया में बढ़ती गई और उन्हें अफ्रीका के सबसे अहम नेताओं में एक माना जाने लगा।

नेल्सन मंडेला जब राष्ट्रपति बने तो उनकी सरकार ने सालों से चली आ रही रंगभेद की नीति को खत्म करने और इसे अफ्रीका की धरती से बाहर करने के लिए भरपूर काम किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को एक नए युग में प्रवेश कराया। 1991 से 1997 तक वह अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। नेल्सन मंडेला ने जिस तरह से देश में रंगभेद के खिलाफ अपना अभियान चलाया उसने दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया। यही कारण है कि भारत सरकार ने साल 1990 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। मंडेला, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी शख्स थे। साल 1993 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी नवाजा गया।

नेल्सन मंडेला का योगदान

नेल्सन मंडेला को लोग प्यार से मदीबा बुलाते थे, उन्हें लोग अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनका संघर्ष जारी रहा एवं 27 साल जेल में रहे, लेकिन न तो उन्होंने खुद कभी हार मानी, न ही अपने समर्थकों को मानने दी। रंगभेद के प्रति नेल्सन मंडेला का संघर्ष कितना महत्वपूर्ण था, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके सम्मान में साल 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को 'मंडेला दिवस' के रूप में घोषित कर दिया। इसमें खास बात यह है कि उनके जीवित रहते ही उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मानाया जाने लगा था।

31 जनवरी 2004 को नई दिल्ली में शांति और अहिंसा पर वैश्विक सम्मेलन में नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शांति का मतलब सिर्फ संघर्ष का खत्म हो जाना नहीं है। शांति तब होती है जब सब संपन्न हों, भले ही वह किसी भी जाति, धर्म, देश, लिंग, समाज के हों। धर्म, जातीयता, भाषा, संस्कृति मानव समाज को समृद्ध करती है, फिर यह क्यों विभाजन और हिंसा का कारण बनती है। मंडेला ने कहा, "दक्षिण अफ्रीका के शांतिपूर्ण बदलाव में गांधी की विचारधारा का योगदान छोटा नहीं है। उनके सिद्धांतों के बल पर ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की घृणित नीति के कारण जो समाज में गहरा भेदभाव था वह खत्म हो सका।" हालांकि नेल्सन मंडेला इस बात पर दु:ख जाहिर करते हैं कि भले ही दुनिया ने बहुत प्रगति कर ली हो लेकिन शांति और अहिंसा आज भी दुनिया में स्वाभाविक रूप से और मुख्य धारा में नहीं आ सकी है। नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को शांतिपूर्ण तरीके से उपनिवेशवाद से मुक्त करवाया जो और किसी अन्य तरीके से संभव नहीं था।

1993 में शांति नोबेल पुरस्कार पाने वाले नेल्सन मंडेला कहते हैं, "विकास और शांति को अलग नहीं किया जा सकता। शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के बगैर कोई भी देश अपने गरीब और पिछड़े हुए नागरिकों को मुख्य धारा में लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता।" मंडेला महात्मा गांधी की स्वावलंबन की नीति से भी बहुत प्रभावित रहे हैं। उन्होंने 2007 के विडियो संदेश में कहा था कि अगर आज देश स्वावलंबन की नीति को आचरण में ला सकें तो विकासशील देशों की गरीबी मिट सकेगी और विकास बढ़ेगा।

20वीं सदी को अगर महात्मा गांधी ने बहुत कुछ दिया है तो नेल्सन मंडेला भी उनसे बहुत पीछे नहीं हैं। पीटर रूएर कहते हैं, नेल्सन मंडेला एक अच्छा उदाहर हैं कि गांधी जी की विचारधारा आज किस तरह से उपयोग में आ सकती है।

नेल्सन मंडेला की प्रासंगिकता

अपने जन्म के 100 साल बाद भी नेल्सन मंडेला न केवल दक्षिण अफ्रीका, बल्कि दुनियाभर के विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, मीडिया, नीति निर्माताओं और स्वप्नदर्शियों का ध्यान लगातार अपनी ओर खींचते रहे हैं। न केवल अफ्रीका बल्कि संपूर्ण मानवता और मानव जाति के लिये मंडेला एक सर्वकालिक प्रासंगिक व्यक्ति हैं। जिन मूल्यों को लेकर वे जिये, उन्हें किसी जाति, वर्ग या देश विशेष की सीमा में नहीं बाँधा जा सकता। नेल्सन मंडेला को गाँधी जी के बाद वैश्विक चेतना की अभिव्यक्ति भी कह सकते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रभावशाली लोगों में नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, मिखाइल गोर्बाचोव, अल्बर्ट श्वाइत्जर, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग (जू.), आंग सान सू की, पोलैंड के लेख वालेसा आदि ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने-अपने देशों में अहिंसा की विचारधारा का उपयोग किया और सफलतापूर्वक अहिंसा से अपने इलाकों/देशों में परिवर्तन लाए। यह एक सबूत है इस बात का कि महात्मा गाँधी के बाद नेल्सन मंडेला ने अफ्रीका में अहिंसा के जरिये अन्याय के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और उसमें विजय भी प्राप्त की। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गाँधी माना जाता है।

आज हिंसा, आर्थिक मंदी, भूख, बेरोजगारी आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता सशस्त्रीकरण और परस्पर शत्रुता जैसे हालातों में विश्व उलझा हुआ है। ऐसे दौर में विश्व को न केवल मंडेला दर्शन की आवश्यकता है, बल्कि उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने की भी आवश्यकता है। युद्ध किसी भी देश को मजबूत नहीं करता, वह उसे सिर्फ कमजोर कर सकता है क्योंकि इसमें संसाधन और मनुष्यों की बलि चढ़ती है। नेल्सन मंडेला

इस बात को अच्छी तरह समझते थे, इसीलिये उनका पूरा सिद्धांत और उनकी लड़ाई हिंसा के खिलाफ खड़ी हुई और उसमें उन्हें सफलता मिली। मंडेला ने पुरातन समझबूझ को नए मायने दिये और उन्हें ऐसे रूप में ढाला कि आधुनिक युग के लोग भी उन्हें समझ सकें, इस्तेमाल कर सकें।

नेल्सन मंडेला ने अहिंसा को एक नीति और एक विश्वास के तौर पर अफ्रीका के लोगों के सामने पेश किया और उनकी इस सोच ने उन्हें दुनिया में सबसे अलग खड़ा कर दिया। गाँधी जी की तरह नेल्सन मंडेला भी मानते थे कि हिंसा की बात चाहे किसी भी स्तर पर क्यों न की जाए, परन्तु वास्तविकता यही है कि हिंसा किसी भी समस्या का सम्पूर्ण एवं स्थायी समाधान नहीं है। सांप्रदायिक कट्टरता और आतंकवाद के इस वर्तमान दौर में नेल्सन मंडेला और उनकी विचारधारा की प्रासंगिकता और बढ़ गई है, क्योंकि उनके सिद्धांतों के अनुसार सांप्रदायिक सद्भावना कायम करने के लिये सभी धर्मों, विचारधारों को साथ लेकर चलना जरूरी है। आज के दौर में उनके सिद्धांत बेहद जरूरी हैं, अफसोस की बात तो यह है कि लोगों ने उस रास्ते को ही बंद कर दिया है, जिस पर आगे बढ़ने की आज के दौर में महती आवश्यकता है।

निष्कर्ष

नेल्सन मंडेला दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक माने जाते हैं। वे अफ्रीका में शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी आदि उपकरणों के सफल प्रयोगकर्त्ता के रूप में याद किये जाते हैं, जिसके बल पर उन्होंने उपनिवेशवादी सरकार के खिलाफ पूरे देश को एकजुट कर आजादी की अलख जगाई। मंडेला ने अपने जीवन के समस्त अनुभवों का प्रयोग अफ्रीका में व्याप्त नश्लभेद मिटाने तथा अफ्रीका को आजाद कराने में किया। आज दुनिया के किसी भी देश में जब कोई शांति मार्च निकलता है या अत्याचार व हिंसा का विरोध किया जाता है या हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाना हो, तो ऐसे सभी अवसरों पर पूरी दुनिया को गांधी जी के साथ-साथ नेल्सन मंडेला भी याद आते हैं। अतः यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं कि नेल्सन मंडेला के विचार, दर्शन तथा सिद्धांत कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं तथा आने वाले समय में भी रहेंगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-4

भारत तथा विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान।

■

6. भारत में कृषि नीति की समीक्षा की आवश्यकताः OECD रिपोर्ट

चर्चा का कारण

पिछले कुछ समय से देश में कृषि और किसानों का मुद्दा चर्चा में है। देश की कृषि संकट में है। किसानों की स्थिति बदहाल है। लेकिन यह सब एकाएक नहीं हुआ है। ऑर्गनाइजेशन ऑफ इकनॉमिक कोऑपरेशन एंड डिवेलपमेंट (ओईसीडी) और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकनॉमिक रिलेशंस (आईसीआरईआईआर) के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में पिछले दो दशकों से खेती लगातार घाटे का सौदा साबित हो रही है। यानी दो दशकों में किसानों की हालत लगातार खराब होती गई है। अध्ययन में शामिल किए गए 26 देशों में भारत के अलावा यूक्रेन और वियतनाम ही हैं जिनके हालात हमारे जैसे हैं। अध्ययन में कहा गया है कि 2014-16 के दौरान इन तीनों देशों का कृषि राजस्व ऋणात्मक रहा है।

क्या है रिपोर्ट?

- 'भारत में कृषि नीतियाँ' विषय पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद तथा बिजली आदि पर सब्सिडी देने के बावजूद वर्ष 2014 से 2016 के बीच सकल कृषि आय में सालाना 6 प्रतिशत की कमी हुई है।
- खेती के लिये जमीन का छोटा आकार, कम उत्पादकता, जलवायु संबंधी चुनौतियाँ, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव, खाद्य सुरक्षा, अल्पविकसित फूड प्रोसेसिंग और रिटेल सेक्टर को इस रिपोर्ट ने समस्याओं के रूप में शामिल किया है।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कृषि संबंधी नीतियों को बनाने तथा लागू करने का कार्य संस्थानों की जटिल प्रणाली द्वारा किया जाता है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि केंद्र व राज्य के नीति निर्माता समस्याओं पर बात कर सकें।
- भारतीय किसानों को जटिल घरेलू बाजार नियमन तथा आयात एवं निर्यात पाबंदी का सामना करना पड़ता है जिसके कारण कई बार किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में कम मूल्य मिलता है।
- कृषि के लाभप्रद न होने के लिए सरकारी नीति को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए अनाज की कीमत कम रखने पर जोर दिया गया, जिससे किसानों को कम कीमत मिली।
- यही नहीं सरकार ने निर्यात को भी नियंत्रित किया और न्यूनतम समर्थन मूल्य भी अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कम रखा।
- अध्ययन में यह भी कहा गया है कि सरकार ने सब्सिडी देने के बजाय कृषि में निवेश बढ़ाया होता तो स्थिति बेहतर होती।
- वास्तव में उदारीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद से ही किसान प्राथमिकता में

नहीं रहे हैं। ज्यादातर नीतियाँ औद्योगिक विकास को ध्यान में रखकर बनीं।

- विकास के नाम पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कमज़ोर किया गया है, जिसकी मार किसानों पर पड़ी है।
- बाहर से जो पूंजी आई वह उद्योग-धंधों और अन्य क्षेत्रों में ही लगी है। कृषि में निवेश नाममात्र का ही हुआ है।
- सरकार किसानों को संतुष्ट करने के लिए समय-समय पर उनके कर्ज माफ कर देती है पर कृषि क्षेत्र के लिए जिस बुनियादी बदलाव की जरूरत है, उसके लिए कोई नीति नहीं है। न ही उस दिशा में कोई सार्थक प्रयास किए गए।
- अभी बिहार में एक किसान की मासिक आय औसतन 3,558 रुपये तो पश्चिम बंगाल में 3,980 रुपये है। वहीं पंजाब के एक किसान की मासिक आय 18,059 रुपये तक होती है। अगर इसे दोगुना भी कर दिया जाए, तो यह आय अन्य छोटी नौकरियों और मामूली कारोबार की तुलना में बेहद कम है।

ओईसीडी क्या है?

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) (Organisation for Economic Co-operation and Development) 35 सदस्य देशों का एक अंतरसरकारी आर्थिक संगठन है, जिसकी स्थापना 1960 में आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु की गई थी। अधिकांश ओईसीडी सदस्य उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्थाएं हैं, जिनका मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) बहुत उच्च है और उन्हें विकसित देशों के रूप में जाना जाता है। ओईसीडी संयुक्त राष्ट्र का प्रेक्षक है। ओईसीडी का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस शहर में है। ओईसीडी को सदस्य देशों से प्राप्त योगदान द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

आईसीआरआईइआर (ICRIER) क्या है?

इक्रियर अगस्त, 1981 में स्थापित एक स्वायत्त, नीति-उन्मुख, गैर-लाभकारी, आर्थिक नीति पर आधारित एक थिंक टैंक है। इक्रियर का मुख्य उद्देश्य विश्लेषणात्मक शोध उपक्रम द्वारा नीति बनाने की ज्ञान आधारित सामग्री को बढ़ाना है ताकि भारत के नीति निर्माताओं को उपयुक्त जानकारी मिल सके। साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव संभव हो सके। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

भारतीय किसानों की समस्याएँ

- **भूमि पर अधिकार:** असमान भूमि वितरण के खिलाफ किसान कई बार आवाज उठाते रहे हैं। भूमि का एक बड़ा हिस्सा बड़े किसानों, महाजनों और साहूकारों के पास है। जबकि छोटे किसानों के पास बहुत कम भूमि क्षेत्र है।
- **फसल का उचित मूल्य न मिलना:** किसानों की एक बड़ी समस्या यह भी है कि उन्हें उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। वहीं किसानों को अपना माल बेचने के लिए तमाम कागजी कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है। ऐसे में कई बार कम पढ़े-लिखे किसान औने-पौने दामों पर अपना माल बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं।
- **अच्छे बीज:** अच्छी फसल के लिए अच्छे बीजों का होना बेहद जरूरी है लेकिन सही वितरण तंत्र न होने से उन्हें अच्छे बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं।
- **सिंचाई व्यवस्था:** देश के तमाम हिस्सों में सिंचाई व्यवस्था की उन्नत तकनीकों का प्रसार नहीं हो सका है। अतः आज भी भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है।
- **मिट्टी का क्षरण:** दरअसल मानवीय कारणों के साथ-साथ प्राकृतिक कारण जैसे हवा और दूषित पानी के चलते मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास हो रहा है।
- **मशीनीकरण का अभाव:** भारत में अब भी ऐसे इलाके हैं जहाँ किसान कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के साथ यह स्थिति अधिक देखने को मिलती है।
- **भण्डारण सुविधाओं का अभाव:** भारत के ग्रामीण इलाकों में अच्छे भंडारण सुविधाओं की कमी है ऐसे में किसानों पर जल्द से जल्द फसल का सौदा करने का दबाव होता है और कई बार किसान औने-पौने दामों में फसल का सौदा कर लेते हैं। हालांकि भण्डारण सुविधाओं को लेकर न्यायालय ने भी कई बार केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई है लेकिन जमीनी हालात अब तक बहुत नहीं बदले हैं।
- **परिवहन की बाधा:** भारतीय कृषि की तरक्की में एक बड़ी बाधा अच्छी परिवहन व्यवस्था की कमी है। आज भी देश के कई गाँव और क्षेत्र ऐसे हैं जो बाजारों और शहरों से सड़कों द्वारा नहीं जुड़े हैं। ऐसे में किसान स्थानीय बाजारों में ही कम मूल्य पर सामान बेच देते हैं।
- **पूंजी की कमी:** सभी क्षेत्रों की तरह कृषि को भी पनपने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। तकनीकी विस्तार ने पूंजी की इस आवश्यकता को और बढ़ा दिया है। छोटे किसान महाजनों, व्यापारियों से ऊंची दरों पर कर्ज लेते हैं हालांकि किसानों ने बैंकों से भी कर्ज लेना शुरू किया है लेकिन हालात बहुत नहीं बदले हैं।

उपरोक्त समस्याएँ किसानों की परंपरागत समस्याएँ हैं लेकिन OECD तथा इक्रियर के अध्ययनों से यह साफ हो जाता है कि किसानों की समस्याएँ सरकारी स्तर पर भी न केवल जटिल है बल्कि अव्यवहारिक भी हैं।

वर्तमान समय में ओईसीडी तथा इक्रीयर के अनुसार भारत में खाद्य सुरक्षा के संबंध में नीति निर्माताओं को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- **पहला:** किसानों को अधिक उत्पादन करने के साथ-साथ धारणीय तरीके से उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- **दूसरा:** समाज के कमजोर वर्गों के लोगों तक सस्ते कीमतों पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

इन दोहरी चुनौतियों से निपटने के लिए भारत सरकार ने अनेक नीतियाँ बनायी तथा उनको लागू भी किया गया जो उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित करती रही हैं, जैसे-

1. घरेलू विपणन विनियमन (उदाहरणस्वरूप- एपीएमसी अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम)
2. बजटीय नीतियाँ (जैसे- सब्सिडी)
3. व्यापार नीतियाँ (न्यूनतम निर्यात मूल्य, निर्यात प्रतिबंध, शुल्क व कर)
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं के लिए खाद्य सब्सिडी।

सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रहीं ये नीतियाँ जटिल होने के साथ-साथ निर्धारित किए गए उद्देश्यों को पूरा करने में पूर्णतः सफल नहीं हुई हैं जिसकी वजह से कृषि क्षेत्र की आय में कमी दर्ज की गई है।

भारत में कृषि से संबंधित समितियाँ

भारत में कृषि सुधार से संबंधित अनेक समितियों का गठन किया गया है कुछ निम्न है-

- शंकरलाल गुरू समिति (कृषि विपणन), राज समिति (कृषि जोतकर), वैद्यनाथ समिति (सिंचाई), आर.वी. गुप्ता समिति (कृषि साख),वी.एस. व्यास समिति (कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार), अभिजीत सेन समिति (कृषिगत उत्पादों के थोक एवं खुदरा मुल्यों पर फ्यूचर ट्रेडिंग की समीक्षा), और स्वामिनाथन समिति।

स्वामीनाथन समिति की रिपोर्टः ज्ञातव्य हो कि देश में हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर एम. एस. स्वामीनाथ की अध्यक्षता में 18 नवंबर, 2004 को "राष्ट्रीय किसान आयोग" का गठन किया गया था। स्वामीनाथन समिति कृषि क्षेत्र में गठित अब तक की सबसे प्रभावशाली समिति है जिसने अपने रिपोर्ट (2006) में निम्न सुझाव दिए हैं:-

1. फसल उत्पादन मूल्य से पचास प्रतिशत ज्यादा कीमत किसानों को मिले।
2. किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज कम दामों में मुहैया करायी जाए।
3. गांवों में किसानों की मदद के लिए विलेज नॉलेज सेंटर या ज्ञान चौपाल बनाया जाए।
4. महिला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएँ।
5. किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर किसानों को मदद मिल सके।
6. सरप्लस और इस्तेमाल नहीं हो रही जमीन के टुकड़ों का वितरण किया जाए।
7. खेतीहर जमीन और वनभूमि को गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को न आवंटित किया जाए।
8. फसल बीमा की सुविधा पूरे देश में हर फसल के लिए मिले।
9. खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था हर जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे।
10. सरकार की मदद से किसानों को दिए जाने वाले कर्ज पर ब्याज दर कम करके चार फीसदी किया जाए।
11. कर्ज की वसूली में राहत, प्राकृतिक आपदा या संकट से जूझ रहे इलाकों में ब्याज से राहत हालात सामान्य होने तक जारी रहे।
12. लगातार प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसान को मदद पहुंचाने के लिए एक एग्रिकल्चर रिस्क फंड का गठन किया जाए।

सरकारी पहल

सरकार ने कृषि विकास के क्षेत्र में अनेक कदम उठायें हैं, जिसमें कुछ निम्न हैं-

- प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना (PMKVY)
- मृदा स्वस्थ्य कार्ड योजना (फरवरी 2015 में सरकार द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड का प्राम्भ किया गया)
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)
- नीम कोटेड यूरिया (Neem Coated Urea)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
- इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM)
- राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) (सरकार ने 2015-16 में "मेरा गाँव मेरा गौरव" योजना प्रारभ की)
- कृषि शोध एवं अनुसंधान
- श्वेत क्रांति के अंतर्गतः-
    - **राष्ट्रीय गोकुल मिशनः** इसके तहत देश में पशुओं की घरेलू प्रजातियों के विकास एवं संरक्षण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
    - **पशु संजीवनीः** यह पशुओं के स्वास्थ्य से जुड़ी योजना है जिसके तहत पशुओं के लिये हेल्थ कार्ड, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड तथा नेशनल डेटाबेस तैयार करने की योजना है।
    - एडवांस्ड ब्रीडिंग तकनीक
    - ई-पशुधन हाट के निर्माण की योजना जिसके तहत पशुओं के क्रेताओं एवं किसानों को एक दूसरे से संपर्क करना आसान होता है।
- **लाइवस्टॉक बीमा योजना (LIS):** पहली बार इसी योजना के तहत देश के सभी जिलों के सभी पशुओं को बीमा के अंतर्गत लाया गया है।
- **नीली क्रांति (Blue Revolution):** मत्स्य पालन, आय वृद्धि एवं रोजगार जनन का सशक्त माध्यम है। इसलिये सरकार ने मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न प्रयास किये हैं। परिणामस्वरुप वर्ष 2011-2014 की तुलना में वर्ष 2014-17 में कुल मत्स्य उत्पादन में लगभग 20% की वृद्धि हुई है।

ओईसीडी और इक्रियर रिपोर्ट में शामिल सुझाव

- इसमें सरकार से कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि तथा किसानों की बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिये नए साहसिक कदम उठाने तथा मौजूदा सुधारों में तेजी लाने का सुझाव दिया गया है।
- इसके अनुसार, सरकार को आयात शुल्कों में कमी करने के साथ ही अन्य पाबंदियों को हटाना चाहिये।
- रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य सब्सिडी एकमुश्त दिए जाने की भी आवश्यकता है।
- बाजार नियमन में सुधार तथा बाजार व्यवस्था को मजबूत करने की वकालत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) जैसे कदम को तेजी से लागू किया जाना चाहिये।
- OECD तथा इक्रियर (ICRIER) ने बजट के जरिये कच्चे माल पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगाने और धीरे-धीरे इसे वापस लेने का सुझाव दिया है।

आगे की राह

- सरकार को राष्ट्रीय कृषक आय आयोग का गठन करना चाहिए। इस आयोग के पास अधिकार होना चाहिए कि वह किसी किसान परिवार की आय का अनुमान उसके उत्पादन और उसके खेतों की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से लगा सके। साथ ही उसे इस बात का अधिकार दिया जाए कि वह किसानों के लिए न्यूनतम आय की भी गणना करे।
- मूल्य निर्धारित करने वाली नीति की जगह आय निर्धारित करने वाली नीति की ओर बढ़ने की जरूरत है।
- केरल में एक शोध किया गया जिसमे पाया गया कि किसानों को 2017 में उस कीमत की आधी राशि मिल रही है जो उन्हें आज से 12 साल पहले मिलनी चाहिए थी।
- 1.3 अरब लोगों को किफायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराने का जिम्मा सिर्फ किसानों के कंधों पर नहीं होना चाहिए। समाज के अन्य वर्गों को भी यह बोझ उठाना होगा।
- देश भर की मंडियों के नेटवर्क को तुरंत मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि ये मंडियाँ किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए एक मंच उपलब्ध कराती हैं।
- देश ने दूध जैसे जल्द खराब होने वाले उत्पाद के लिए बेहतरीन मार्केटिंग नेटवर्क बनाने में कामयाबी पाई है, इसलिए इसी तरह का नेटवर्क फल और सब्जियों के लिए भी बनाया जा सकता है।
- सहकारी कृषि को बढ़ावा देने की जरुरत है। सहकारी समितियों को स्वतंत्र, और असरदार

बनाने के लिए जरूरी कानून बनाने की आवश्यकता है।

- जनता की भोजन आवश्यकता को खेती से जोड़ना होगा। इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता है।
- देश के जिन हिस्सों में हरित क्रांति हुई थी वे आज संकट के दौर से गुजर रहे हैं। इन इलाकों में मिट्टी की उर्वरता खत्म हो गई है, भूजल और नीचे चला गया है, वातावरण रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की वजह से प्रदूषित हो गया है। ये सारे दुष्प्रभाव समूची खाद्य शृंखला और सेहत पर दिखाई देने लगे हैं। सरकार को चाहिए कि वह एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाकर कीटनाशक रहित खेती की तकनीकी को बढ़ावा दे।
- सरकार को चाहिए कि वह कृषि, बागान और डेयरी उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दे और मुक्त व्यापार समझौतों के दबाव के आगे घुटने टेकना बंद कर दे।
- अब समय आ गया है कि व्यापार संधियों पर फिर से विचार हो और घरेलू कृषि क्षेत्र की रक्षा की जाए, जिससे लाखों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी है।
- हमारी प्राथमिकता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की होनी चाहिए। चूंकि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में खेती का 25 फीसदी योगदान होता है, इसलिए खेती में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित मुद्दे और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई-प्रौद्योगिकी।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय, जन वितरण प्रणाली-उद्देश्य, कार्य, सीमाएं, सुधार; बफर स्टॉक तथा खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दे; प्रौद्योगिकी मिशन; पशु पालन संबंधी अर्थशास्त्र।

■

7. डिजिटल इण्डिया की राह में आती चुनौतियाँ

चर्चा का कारण

हाल ही में भारत सरकार एक नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 के नाम से एक राष्ट्रीय दूर संचार नीति लाने वाली है। दूरसंचार के क्षेत्र में फिलहाल 2012 में बनाई गई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति चलन में है। इससे पहले 1994 और 1999 में भी दूरसंचार नीतियाँ बनाई गई थीं। इस नई दूरसंचार नीति का मुख्य उद्देश्य देश में डिजिटल डिवाइड को दूर करना साथ ही भारत में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही भारत को और अधिक डिजिटल बनाने के लिए हाल ही में सरकार ने स्मार्टफोन के लिए उमंग ऐप के माध्यम से कई और सेवाएँ जोड़ी हैं। अब उमंग ऐप 12 राज्यों में 57 विभागों से लगभग 242 सेवाएँ प्रदान करता है।

उमंग ऐप की इस अभूतपूर्व प्रगति के लिए बहुत ही सराहना की जानी चाहिए लेकिन फिर भी भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने में काफी समय लग सकता है क्योंकि भारत में डिजिटल डिवाइड की समस्या आज भी काफी बड़ी है। हाल ही में एक वैश्विक शोध संस्था प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि भारत अभी भी विश्व की 29 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इंटरनेट ऐप उपयोग में सबसे निचले स्थान पर है।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018

- 2020 तक सभी नागरिकों को 50 mbps की ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना।
- 2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को 1 gbps स्पीड वाले ब्रॉडबैंड से जोड़ना।
- इस कनेक्टिविटी को 2022 तक 10 gbps स्पीड वाले ब्रॉडबैंड में बदलना।
- नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के लिये दूरसंचार क्षेत्र में 2022 तक 100 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित करना।
- मोबाइल सब्सक्राइबर घनत्व (Unique Mobile Subscriber Density) को 55 तथा 2022 तक 65 तक बढ़ाना।
- इस नीति में भारत नेट, नगर नेट, ग्राम नेट और जन वाई-फाई की चर्चा भी की गई है कि किस प्रकार देशभर में इंटरनेट का प्रसार किया जाएगा।
- इसके अलावा इस नीति में नेशनल फाइबर अथॉरिटी के गठन के प्रस्ताव के साथ वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स पर भी चर्चा की गई है।
- इस नीति में राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड अभियान (National Broadband Mission) की स्थापना की बात कही गई है, जो USOF और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के वित्त पोषण माध्यम से ब्रॉडबैंड की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही नई नीति के तहत, भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (Satellite Communication Technology) को मजबूत करने का भी उल्लेख किया गया है।
- 50 प्रतिशत घरों तक लैंडलाइन ब्रॉडबैंड की पहुँच सुनिश्चित करना तथा लैंडलाइन पोर्टेबिलिटी सेवाएँ प्रारंभ करना।
- डिजिटल संचार के लिये टिकाऊ और किफायती पहुँच सुनिश्चित करने हेतु स्पेक्ट्रम के इष्टतम मूल्य निर्धारण (Optimal Pricing of Spectrum) की नीति अपनाई जाएगी।
- अगली पीढ़ी के नेटवर्क के लिये मिड बैंड स्पेक्ट्रम, विशेष तौर पर 3 GHz से 24 GHz रेंज को पहचानने का प्रस्ताव किया गया है।

- बढ़ती मांग को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन के अनुसार E (71-76/81-86 GHz) और V (57-64 MHz) बैंड में मोबाइल टावरों के बीच संकेतों को प्रेषित करने के लिये उच्चतम रोडमैप का रेखांकन किया गया है।
- ऋण के बोझ से दबे दूरसंचार क्षेत्र को उबारने की बात भी इस मसौदे में कही गई है। इसके लिये दूरसंचार कंपनियों की लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम शुल्क की समीक्षा करने का प्रस्ताव है, क्योंकि इन सभी शुल्कों के कारण दूरसंचार सेवा की लागत बढ़ती है।
- डिजिटल संचार उपकरण, बुनियादी ढाँचे और सेवाओं पर कर तथा लेवी को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव भी किया गया है।
- निवेश, नवाचार और उपभोक्ता हित को प्रभावित करने वाले विनियामक बाधाओं और नियामिकीय बोझ को कम करना।

भारत में बढ़ता डिजिटल डिवाइड

नियामक आयोग (ट्राई) की फरवरी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 90 करोड़ टेलीफोन उपभोक्ताओं में से औसतन 54 करोड़ शहरी और 35 करोड़ ग्रामीण थे। वहीं इंटरनेट की बात करें तो 22 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ताओं में 15 करोड़ से ज्यादा ब्रॉडबैंड का इस्तेलमाल करने वाले हैं। खुद ट्राई का आंकड़ा यह कहता है कि शहरों में जहां दूरसंचार घनत्व 144 प्रतिशत है, वहीं देश के ग्रामीण इलाकों में यह 41 प्रतिशत से अधिक नहीं बढ़ पाया है। सरकार के ये आंकड़े इस तथ्य को साफ उजागर करते हैं कि देश में दूरसंचार साधनों की उपलब्धता एक समान नहीं है। शहरों में यह बहुत ज्यादा है तो गांवों में बहुत कम।

इसका सबसे अधिक प्रभाव कनेक्टिविटी पर पड़ता है। शहरों में जहां प्रति दो किलोमीटर पर एक मोबाइल टॉवर है वहीं गांवों खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में मीलों दूर तक मोबाइल के टॉवर दिखाई नहीं देते। वायरलाइन टेलीफोन और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात करें तो विकासखंड (ब्लॉक) से आगे टेलीफोन के केबल नहीं बिछाए जा सके हैं। भारत में अभी 4जी और 5जी सेवाओं को शुरू करने की बात हो रही है, लेकिन गांवों में 2जी सेवाओं का भी विस्तार सही से नहीं हो पाया है। यानी हमारे गांव दूरसंचार सेवाओं के मामले में शहरों से लगभग दो दशक पीछे हैं। यह जमीनी हकीकत कई सवाल खड़े करती है। जैसे, अगर शहरों और गांवों के लोगों के लिए मोबाइल और टेलीफोन की कॉल दरें एक समान ही हैं तो ग्रामीणों को एक कॉल करने के लिए घर से निकलकर नेटवर्क की तलाश में दूर क्यों चलना पड़ता है? देश में स्पेक्ट्रम आवंटन की नीति में निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों के लिए इस बात की बाध्यता क्यों नहीं है कि वे शहरों और गांवों में एक समान गुणवत्ता की सेवाएं उपलब्ध कराएं? मोबाइल नेटवर्क को सक्रिय रखने वाली वायु तरंगों (एयर वेव्स) को सुप्रीम कोर्ट ने प्राकृतिक संसाधन मानते हुए सरकार से इनके समान वितरण की व्यवस्था करने के लिए कहा है। इसके बावजूद सरकार निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों को ग्रामीण इलाकों में भी शहरों की तरह दूरसंचार घनत्व बढ़ाने के लिए बाध्य क्यों नहीं कर पाती? ऐसा क्यों है कि निजी टेलीकॉम ऑपरेटरों की कुल कमाई पर लगाए गए सरकारी उपकर से प्राप्त आय को गांव तक इंटरनेट पहुंचाने में खर्च नहीं किया जा रहा है? शहरों में भी गरीब बस्तियों के रहवासियों की कनेक्टिविटी बाकी संभ्रांत क्षेत्रों के मुकाबले बहुत कम है। शहरों के लगातार हो रहे विस्तार और ढांचागत परियोजनाओं के कारण विस्थापित हो रहे लोगों की मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं तक पहुंच और कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है। प्रशासन यह सुनिश्चित कर पाने में काफी हद तक नाकाम रहा है कि शहरों से दूर बसाई गई विस्थापितों की बस्तियों तक बाकी मूलभूत सुविधाओं की तरह दूरसंचार सेवाओं का भी विस्तार हो सके। सिर्फ संचार साधन ही क्यों, प्रसारण सेवाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया ने भी शहरों में एक बड़े वर्ग को सूचना और मनोरंजन के साधनों से वंचित किया है। भारत के राज्यों के बीच टेलीकॉम सुविधाओं के विस्तार में अंतर ने भी सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। एसोचैम की रिपोर्ट के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों के बीच टेली घनत्व में भारी अंतर है जो कि बड़े पैमाने पर डिजिटल विभाजन का इशारा करता है। टेली घनत्व के मामले में जहां दिल्ली 238 प्रतिशत के साथ सबसे आगे है वहीं बिहार और असम करीब 55 प्रतिशत के साथ काफी पीछे हैं।

स्टीम इंजन, एसेंबली लाइन और ऑटोमैटिक मशीनों के बाद उद्योग और काम का स्वरूप बदल रहा है और इसका असर महिलाओं पर भी हो रहा है। मोबाइल के जरिये सुरक्षा से लेकर पेमेंट तक के काम हो रहे हैं लेकिन भारत में जरूरत बन चुके मोबाइल सुविधा पर पुरूष की अपेक्षा महिलाओं की पहुँच कम है। देश की आधे से अधिक महिलाओं के पास मोबाइल नहीं है। इंटरनेट या मोबाइल का उपयोग करने के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा हैं लेकिन मोबाइल क्रांति में महिलाएं पुरुषों से काफी पीछे हैं। इंटरनेट प्रयोग करने के मामले में तो स्थिति और भी खराब है। अतः भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनने के लिए इन सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

भारतनेट क्या है?

भारत नेट परियोजना का नाम पहले ओएफसी नेटवर्क (Optical Fiber Communication Network) था। भारतनेट परियोजना के तहत 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के जरिये हाईस्पीड ब्रॉडबैंड, किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाना है। इसके तहत ब्रॉडबैंड की गति 2 से 20 mbps तक होगी।

उमंग ऐप क्या है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर स्पेस सम्मेलन में 23 नवम्बर 2017 को उमंग (UMANG) एप्प का शुभारंभ किया। यूनिफाइड मोबाइल ऐप्लिकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस को वर्ष 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और नेशनल ई-गवर्नेंस डिविजन ने तैयार किया था। उमंग ऐप का उद्देश्य एक ही मोबाइल ऐप पर लगभग सभी सरकारी सेवाएँ प्रदान करना है। यह 57 विभागों से लगभग 242 सेवाएँ प्रदान करता है। यह अब 12 राज्यों की सेवाओं को प्रदान करता है। यह 13 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है यह ऐप जल्द ही USSD के माध्यम से बिना इंटरनेट के भी उपयोग में लाया जाने लगेगा।

डिजिटल इंडिया की चुनौतियाँ

हालांकि डिजिटल इंडिया पहल का उद्देश्य डिजिटल विभाजन को कम करना है लेकिन भारत को अभी उभरती हुई डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में आने के लिए बहुआयामी रणनीति को अपनाना होगा। भारत सरकार ने अब तक 3 राष्ट्रीय दूरसंचार नीतियों एनटीपी 1994, एनटीपी 1999 और एनटीपी-2012 को प्रस्तुत किया। इसके साथ ही वर्ष 2004 में ब्रॉडबैंड नीति भी पेश की लेकिन ये सभी अपने उद्देश्यों के कार्यान्वियन में असफल रहीं।

- निःशुल्क रोमिंग की सुविधा 2012 की एनटीपी का प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन इसे पूरी तरह कार्यान्वित नहीं किया गया क्योंकि रोमिंग के दौरान आउट गोइंग कॉल पर अभी भी चार्ज किए जाते हैं।
- एनटीपी 2012 के अनुसार ब्रॉडबैंड इंटरनेट की न्यूनतम डाउनलोड गति 2 एमबीपीएस होनी चाहिए थी जबकि आज तक 512 केबीपीएस की इंटरनेट गति को ही ब्रॉडबैंड प्रदान करता है। जबकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में डाउनलोड की न्यूनतम गति 7-20 एमबीपीएस तक पहुँच गई है।

सरकार, नियामक ट्राई और दूरसंचार कंपनियाँ बुनियादी मोबाइल कॉल गुणवत्ता तक प्रदान करने में बुरी तरह विफल रहीं है।

स्पेक्ट्रम की नीलामी में हुई गड़बड़ियों और इनके असमान वितरण से दूरसंचार क्षेत्र में कई तरह की परेशानियाँ आ रही हैं। जिनमें कई कंपनियाँ दिवालियापन की कगार पर भी पहुँच गई हैं। भारतीय दूरसंचार कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए संचयी कर दुनियाँ में सबसे ज्यादा हैं। ये दूरसंचार कंपनियाँ अपने राजस्व का 32 प्रतिशत से अधिक सरकार को स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क, लाइसेंस शुल्क, जीएसटी इत्यादि के रूप में प्रदान करते हैं। जबकि अन्य देशों में यह कर मात्र 3-8 प्रतिशत ही होता है।

अतः सरकार को दूरसंचार पर कर के बोझ को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

आगे की राह

सरकार को एनडीसीपी 2018 को जल्द से जल्द अमल में लाना चाहिए लेकिन इससे पहले इसमें उपरोक्त सुधार कर लेने चाहिए। राज्य स्वामित्व वाली फर्म भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) और MTNL विगत कई सालों से घाटे में चल रही हैं। और इसके उभरने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है।

चूंकि स्पेक्ट्रम एक दुलर्भ संसाधन है और सरकार को इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा अधिग्रहित स्पेक्ट्रम में निजी भागीदारी वाली फर्मो को भी नियंत्रण और संतुलन के साथ शामिल करना चाहिए। हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस के लिए, ब्रॉडबैंड एक निर्धारित विकल्प होता है। वर्ष 2011 में एक भारतनेट नाम की विशेष उद्देश्य वाली योजना चालू की गई थी जो हाई स्पीड आप्टिकल नेटवर्क के माध्यम से देश की लगभग 250000 ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम करेगी। यह योजना भी अत्यधिक धीमी गति से चल रही है अतः सरकार को इसे तेज गति प्रदान करना चाहिए।

चूंकि रिलाइंस, उन्नत फाइबर के माध्यम से एक ही केबल से सभी प्रकार की ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करता है जैसे आईपीटीवी लैण्डलाइन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि। यह तकनीकी रूप से उन्नत है। अतः यह बीएसएनएल को कड़ी प्रतिस्पर्धा दे रहा है हालांकि बीएसएनएल निश्चित ब्रॉडबैंड सेवा में अभी भी अग्रणी है।

अधिकांश ई-गवर्नेंस वेबसाइट और एप्स सरल और सहज नहीं हैं यहाँ तक की जो ई-साक्षर लोग हैं उनको भी इनको चलाने या नेवीगट करने में चुनौती आती है। अतः ग्रामीण भारत को डिजिटल भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए सरल और सहज उपयोग वाले अभिनव को शामिल करना होगा। सरकार राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) पहल के माध्यम से हम छात्रों, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और सरकार को एक मंच पर ला सकते हैं जहाँ सभी के अनुभवों से परस्पर गुणवत्ता सुधार हो सकेगी।

अतः सरकार को राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (NKN) जैसे विज्ञान कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि सूचनाओं और परस्पर संवाद आदि के माध्यम से कृत्रिम बुद्धिमता को आसान बनाया जा सके और इस प्रकार की पहलों से अर्ध शिक्षित एवं अशिक्षित आबादी को भी फायदा मिल सके।

अतः भारत के लिए प्रमुख डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने के लिए सरकार को प्राप्त लक्ष्यों को प्राथमिकता देने और पहल के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो-टैक्नोलॉजी, बायो-टैक्नोलॉजी और बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित विषयों के संबंध में जागरूकता।

■

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

पर्यावरण का प्रहरी NGT: कितना कारगर

प्र. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिये इसके द्वारा किये गये कार्यों का उल्लेख करते हुए, इसके सामने आने वाली चुनौतियों और उसके समाधान पर चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- एनजीटी क्या है?
- एनजीटी का उद्देश्य
- पर्यावरणीय समस्यायें
- पर्यावरण संरक्षण के लिए नियम
- एनजीटी की शक्तियाँ
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने यमुना नदी की सफाई को लेकर दिल्ली जल बोर्ड से जबाव मांगा है। उसके अनुसार पिछले तीन सालों में जमीनी स्तर पर कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है।
- एनजीटी ने गंगा नदी में प्रदूषण पर सख्त रूख अख्तियार करते हुए हरिद्वार से उन्नाव तक गंगा के किनारे से 100 मीटर के दायरे को 'नो डेवलपमेंट जोन' घोषित करने का निर्देश दिया है।

एनजीटी क्या है?

- पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने तथा मामलों की प्रभावी और शीघ्र निपटारे के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई।

एनजीटी के उद्देश्य

- एनजीटी का उद्देश्य पर्यावरण के मामलों को द्रुत गति से निपटने तथा उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करता है।
- अधिकरण आवेदनों या अपीलों के प्राप्त होने के 6 महिने के अंदर उनके निपटान का प्रयास करता है।

पर्यावरणीय समस्यायें

- प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में वन और कृषि-भूमिक्षरण, संसाधन रिक्तीकरण (पानी, खनिज, वन, रेत, पत्थर इत्यादि), पर्यावरण क्षरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, जैव विविधता में कमी आदि।
- भारत की पर्यावरणीय समस्याओं में विभिन्न प्राकृतिक खतरे, विशेष रूप से चक्रवात और वार्षिक मानसून बाढ़, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती हुई व्यक्तिगत खपत, घटिया कृषि पद्धति और संसाधनों का असमान वितरण है।

संविधान के तहत पर्यावरणीय संरक्षण

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323-B संसद को श्रम विवाद, पर्यावरण इत्यादि के संबंध में अधिकरण बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है।
- संविधान लागू होने के 28 साल बाद संसद ने 1977 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिये पर्यावरण को संरक्षण तथा बढ़ावा देना अनिवार्य कर दिया गया।

एनजीटी की शक्तियाँ एवं उसके द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्य

- न्यायाधिकरण के पास सिविल (नागरिक) प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत दीवानी न्यायालय में निहित शक्तियाँ हैं लेकिन यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।
- इस न्यायाधिकरण के पास पर्यावरण से संबंधित गंभीर प्रश्नों और प्रदूषण जैसी विशिष्ट गतिविधियों के कारण होने वाली पर्यावरण को क्षति के प्रकरणों में मूल क्षेत्राधिकार है।
- एनजीटी ने सरकार से दिल्ली से होकर उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी के 52 किलोमीटर तक के तटीय इलाके को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा है।
- ग्रेटर नोएडा समेत कम से कम सात औद्योगिक क्षेत्रों में कथित वायु प्रदूषण फैलाने वाली कई फैक्ट्रियों पर कार्रवाई के निर्देश एनजीटी की तरफ से आए।

चुनौतियाँ

- जजों की कमी और कर्मचारी की कमी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, बजट की कमी, स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अभाव, निरीक्षण में आने वाली बाधायें आदि।

आगे की राह

- सरकार को एनजीटी की जो समस्यायें हैं उस पर त्वरित कार्यवाही करनी होगी जिससे कि यह संस्था अपने उद्देश्यों में सफल हो सके।

- पर्यावरण संरक्षण का कार्य किसी एक संस्था, एनजीओ या फिर सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसके लिए आम नागरिकों को भी आगे आना होगा।
- एनजीटी का क्षेत्रीय विस्तार पूरे भारत में होना चाहिए जिससे कि लोगों को उनके गृह राज्य या जिले में ही न्याय मिल सके। ■

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2017: एक अवलोकन

प्र. भारत में वर्तमान में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिये लाये गये मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2017 का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- भारत में दुर्घटनाओं की स्थिति
- सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारण
- मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के प्रावधान
- मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को लेकर चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को राज्यसभा में लाया गया।
- इस विधेयक की आवश्यकता काफी दिनों से महसूस की जा रही थी।

भारत में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति

- वर्ष 2017 में 4 लाख 60 हजार दुर्घटनायें हुई जिनमें 1 लाख 46 हजार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारण

- सड़कों की खराब डिजाइन, उनके रख-रखाव की बुरी स्थिति, सड़कों में खड्डे।
- राजमार्गों पर वाहनों का अत्यधिक दबाव।
- वाहनों की निम्न गुणवत्ता।
- सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार जिससे लोग यातायात नियमों का उल्लंघन कर आसानी से बच जाते हैं।
- नाबालिकों को वाहन सौंपा जाना।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2017 की चुनौतियाँ

- कार्पोरेट घरानों को लाभ पहुँचाने का आरोप।
- अधिनियम तो बन जाते हैं परंतु उनको जमीन पर लागू करना मुश्किल।
- सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार।
- ठेकेदारों एवं सड़क निर्माताओं का उत्तरदायित्व कैसे निर्धारित होगा।

आगे की राह

- केवल मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के कानून बन जाने से सड़क दुर्घटनायें होना बंद हो जाएंगी पर सोचना जल्दबाजी होगी। हमें सामाजिक स्तर पर यातायात नियमों को लेकर जागरूकता तथा उनके पालन को लेकर तत्परता दिखानी होगी। भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा तभी इन अनहोनी घटनाओं से मुक्ति मिलेगी। ■

एंटीबैलिस्टिक मिसाइलः राष्ट्रों का सुरक्षा कवच

प्र. एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली क्या है? यह प्रणाली भारत की सुरक्षा प्रणाली को किस प्रकार मजबूती प्रदान कर सकता है? समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- पृष्ठभूमि
- वर्तमान परिदृश्य
- भारत में बीएमडी प्रणाली की आवश्यकता क्यों?
- बीएमडी को लेकर चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- रूस द्वारा निर्मित एस-400 ट्राएम्फ, नाटो जिसे एस ए-21 ग्रोवलर के नाम से संबोधित करता है।
- यह विश्व में तैनात सबसे खतरनाक, आधुनिक और लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली एण्टी बैलिस्टिक मिसाइल है।
- रक्षामंत्री के अनुसार 4 साल के भीतर यह मिसाइल देश की सुरक्षा में तैनात कर दी जाएगी।

परिचय

- बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने/नष्ट करने के उद्देश्य से निर्मित किसी भी मिसाइल रोधी प्रणाली को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं।
- एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें वो मिसाइलें होती हैं, जिनके साथ दिशा बताने वाला यंत्र लगा दिया जाता है।

पृष्ठभूमि

- कोई मिसाइल या रॉकेट अपने लक्ष्य को निशाना बनाये, उसके पहले ही उसे मार गिराने का विचार सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आया।
- एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम का पहला वास्तविक और सफल परीक्षण 1 मार्च, 1961 को सोवियत संघ ने किया।

वर्तमान स्थिति

- डीआरडीओ लगातार भारत को नई तकनीकों से लैस मिसाइलें प्रदान कर रहा है।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा निर्मित इस मिसाइल को एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल (AAD) के नाम से जाना जाता है।

भारत में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल की आवश्यकता क्यों?

- भारत पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की नीति का अनुसरण करता है।
- भारत के उत्तर में नाभिकीय शक्ति से संपन्न शत्रु देश हैं। इसलिए भी भारत को एक मजबूत बीएमडी की आवश्यकता है।

एंडी बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर चुनौतियाँ

- यह शस्त्रों की होड़ में वृद्धि करेगा। क्रूज मिसाइल के विरूद्ध बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली उतनी प्रभावशाली नहीं है।
- भारत की भूस्थिति बहुत व्यापक है तथा यहाँ के सभी संवेदनशील केंद्रों को बैलिस्टिक मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा आच्छादित करना बहुत ही दुष्कर है।
- अमेरिका का काटसा कानून।

आगे की राह

- सुरक्षा के वर्तमान वातावरण में भारत को दो तरफा युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।
- भारत को अपनी दिशासूचक एवं निगरानी प्रणाली भी विकसित करनी होगी।
- इसके साथ ही भारत को मल्टिपल इंडिपेंडेटली टारगेट री-एंट्री व्हीकल एवं मल्टिपल एडजस्टेबल एंड मेन्यूवरेबल टारगेटेड रि-एंट्री व्हीकल का भी विकास करना होगा। ■

गंगा की सफायी का अब तक का सफर

प्र. गंगा सफाई को लेकर किये गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- पृष्ठभूमि
- चुनौतियाँ
- प्रभाव
- समाधान
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में गंगा सफाई अभियान को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने केन्द्रीय सरकार से पिछले 4 वर्षों में किए गए कार्यों और उनसे प्राप्त परिणामों का ब्योरा मांगा है।

परिचय

- गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है जो भारत और बांग्लादेश में मिलाकर 2525 किमी. की दूरी तय करती है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो हिमालय के गोमुख नामक स्थान से निकलती है।

पृष्ठभूमि

- गंगा को प्रदूषण मुक्त करना भारत सरकार की प्रमुख चुनौती बनी हुई है। इसके लिए भारत सरकार ने कई प्रयास किए जिनमें गंगा एक्शन प्लान एवं राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के बाद हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम प्रमुख हैं।

चुनौतियाँ

- इतने प्रोग्राम और कार्यक्रमों के बावजूद भी आज भी गंगा को प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सका और इसका मुख्य कारण है कि हम आज भी सीवेज ट्रीटमेंट के लिए 50 साल पुरानी तकनीकी का इस्तेमाल करते है। कोई उपर्युक्त कानून नहीं है। लोगों में जागरुकता का अभाव है।

प्रभाव

- इन सबके चलते गंगा का जल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। गंगा का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन स्तर 3 डिग्री सामान्य से बढ़कर 6 डिग्री हो चुका है। पानी में घुलित कोलीफॉर्म का स्तर भी बढ़ गया है।

समाधान

- सरकार द्वारा चलाए गए प्रयासों को यर्थार्थ के धरातल पर लाकर ही हम गंगा को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। साथ ही लोगों में जागरुकता को फैला कर तथा कड़े कानूनों के माध्यम से ही हम गंगा को प्रदूषण मुक्त कर सकते हैं।

निष्कर्ष

- चूंकि सरकार द्वारा बहुत ही कारगर योजनाएँ गंगा सफाई के लिए लाई गई हैं पर उन सभी योजनाओं का फल उस स्तर पर हमें प्राप्त नहीं हो सका जहाँ तक हमें उम्मीद थी अतः अब इस विषय को गंभीरता से लेना होगा। ■

नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस की 100वीं वर्षगॉठ

प्र. "अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेल्सन मंडेला ने रंगभेद, मानवाधिकारों की रक्षा, लैंगिक समानता की स्थापना और नस्लभेद के खिलाफ आवाज उठाई। वे संपूर्ण मानव जाति को अपनी परिधि में लाने वाले राजनीतिक आंदोलन के जननायक थे" समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- जीवन परिचय
- नेल्सन मंडेला के कार्य
- नेल्सन मंडेला के योगदान
- नेल्सन मंडेला की प्रासंगिकता
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- 18 जुलाई, 2018 को नेल्सन मंडेला का 100वाँ जन्मदिन मनाया गया।

- उनके जन्मदिवस को संयुक्त राष्ट्रसंघ 'नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के रूप में मनाता है।
- नेल्सन मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रंगभेद, मानवाधिकारों की रक्षा, लैंगिक समानता की स्थापना और नस्लभेद के खिलाफ आवाज उठायी।

जीवन परिचय

- नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई, 1918 को म्वेजो, ईस्टर्न केप, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था।
- मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल में पूरी की। उसके बाद की स्कूली शिक्षा मेथोडिस्ट मिशनरी स्कूल से प्राप्त की।

नेल्सन मंडेला के कार्य

- नेल्सन मंडेला ने गांधीवादी विचारों से प्रेरणा लेकर रंगभेद के खिलाफ अपने संघर्ष की शुरूआत की और दक्षिण अफ्रीका के दूसरे गांधी बन गये।
- नेल्सन मंडेला ने ऐसे समय में अंहिसा, असहयोग और सत्य का रास्ता अपनाया जब दुनिया शीत युद्ध तथा सशसस्त्रीकरण की होड़ में डूबी हुई थी।

नेल्सन मंडेला का योगदान

- नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, लेकिन न तो उन्होंने खुद कभी हार मानी, न ही अपने समर्थकों को मानने दी।
- 20वीं सदी को अगर महात्मा गांधी ने बहुत कुछ दिया है तो 21वीं सदी में नेल्सन मंडेला सत्य और अहिंसा के नायक के रूप में सामने आये।

नेल्सन मंडेला की प्रासंगिकता

- अपने जन्म के 100 साल बाद भी नेल्सन मंडेला न केवल दक्षिण अफ्रीका, बल्कि दुनियाभर के विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्वप्न दर्शियों का ध्यान लगातार अपनी ओर खींचते रहे हैं।
- आज हिंसा, आर्थिक मंदी, भूख, बेरोजगारी और परस्पर विद्वेष जैसे हालातों में विश्व उलझा हुआ है ऐसे समय में विश्व को न केवल मंडेला दर्शन की आवश्यकता है, बल्कि उनके सिद्धांतों को आत्मसात करने की भी जरूरत है।

निष्कर्ष

- नेल्सन मंडेला दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताओं में से एक माने जाते हैं। वे अफ्रीका में शांति, प्रेम, अहिंसा, सत्य ईमानदारी आदि उपकरणों के सफल प्रयोगकर्ता के रूप में याद किये जाते हैं। ■

भारत में कृषि नीति की समीक्षा की आवश्यकताः OECD रिपोर्ट

प्र. ओईसीडी तथा इक्रियर के अनुसार "भारत में किसानों को जटिल घरेलु बाजार नियमन तथा आयात एवं निर्यात पाबंदी का सामना करना पड़ता है।" आप इस बात से कितना सहमत हैं? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- क्या है रिपोर्ट?
- भारतीय किसानों की चुनौतियाँ
- भारत में कृषि से संबंधित समितियाँ
- सरकारी पहल
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- ओईसीडी तथा आईसीआरईआईआर के अध्ययन के मुताबिक भारत में पिछले दो दशकों से खेती लगातार घाटे का सौदा साबित हो रही है।
- अध्ययन में शामिल किए गए 26 देशों में भारत के अलावा यूक्रेन और वियतनाम ही हैं जिनके हालात एक जैसे हैं।
- अध्ययन में कहा गया है कि 2014-16 के दौरान इन तीनों देशों का कृषि राजस्व ऋणात्मक रहा है।

क्या है रिपोर्ट?

- 'भारत में कृषि नीतियाँ' विषय पर जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद तथा बिजली आदि पर सब्सिडी देने के बावजूद वर्ष 2014 और 2016 के बीच सकल कृषि आय में सालाना 6 प्रतिशत की कमी हुई है।
- अध्ययन में यह भी कहा गया है कि सरकार ने सब्सिडी देने के बजाय कृषि में निवेश बढ़ाया होता तो स्थिति बेहतर होती।

भारतीय किसानों की समस्याएँ

- असमान भूमि का वितरण, फसल का उचित मूल्य न मिलना, अच्छे बीजों की अनुपलब्धता, सिंचाई व्यवस्था, मिट्टी का क्षरण, मशीनीकरण का अभाव, भण्डारण सुविधाओं का अभाव, परिवहन की बाधा, पूंजी की कमी।
- भारत में खाद्य सुरक्षा के संबंध में नीति निर्माताओं को दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत में कृषि से संबंधित समितियाँ

- शंकरलाल समिति, राजसमिति, वैद्यनाथ समिति, आर.वी. गुप्ता समिति, वी.एस. व्यास समिति, अभिजीत सेन समिति तथा स्वामिनाथन समिति आदि की चर्चा करें।

सरकारी पहल

- सरकार ने कृषि विकास के क्षेत्र में अनेक कदम उठाये हैं- पीएमकेवीवाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, पीएमकेएसवाई, नीम कोटेड यूरिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, के.वी.के., कृषि शोध एवं अनुसंधान आदि को दर्शाएँ।

आगे की राह

- सरकार से कृषि क्षेत्र में उच्च वृद्धि तथा किसानों की बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए नए साहसिक कदम उठाने तथा मौजूदा सुधारों में तेजी लाने का सुझाव दिया गया है।

- बाजार नियमन में सुधार तथा बाजार व्यवस्था को मजबूत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार जैसे कदम को तेजी से लागू किया जाना चाहिए।
- सरकार को राष्ट्रीय कृषक आय आयोग का गठन करना चाहिए। ■

डिजिटल इण्डिया की राह में आती चुनौतियाँ

प्र. भारत को डिजिटल इंडिया बनाने में सरकार की नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 किस प्रकार सहायक है तथा भारत में डिजिटल डिवाइड की समस्याओं और उनके समाधानों को बताइए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018
- भारत में बढ़ता डिजिटल डिवाइड
- डिजिटल इंडिया में चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- भारत सरकार एक नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को लागू करने वाली है साथ ही भारत को डिजिटल बनाने हेतु उमंग ऐप में कई सेवाएँ भी जोड़ी हैं।

राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018

- 2020 तक सभी नागरिकों को 50 Mbps की ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराना तथा 2020 तक देश की सभी ग्राम पंचायतों को 1Gbps स्पीड वाले ब्रॉडबैंड से जोड़ना एवं डिजिटल डिवाइड को खत्म कर भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना।

भारत में बढ़ता डिजिटल डिवाइड

- टेलिकोम की नियामक संस्था ट्राई को फरवरी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 90 करोड़ टेलीफोन उपभोक्ताओं में से 54 करोड़ शहरी और 35 करोड़ ग्रामीण हैं साथ ही राज्यों के बीच भी डिजिटल डिवाइड है। महिला और पुरूषों के मध्य भी डिजिटल डिवाइड मौजूद है।

चुनौतियाँ

- भारत की दूरसंचार नीतियाँ इसमें अभी तक कुछ खास नहीं कर पाई स्पेक्ट्रम आवंटन में गड़बड़ियाँ हैं इसके साथ ही सरकार का भारत नेट कार्यक्रम अत्यधिक धीमी गति से चल रहा है। दूरसंचार कंपनियों पर कर अत्यधिक है, लोगों में जागरूकता का आभाव है।

आगे की राह

- सरकार को प्रमुख खामियों को दूर करते हुए नई राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति-2018 को तत्काल लागू करना चाहिए एवं भारतनेट जैसे कार्यक्रमों में तीव्रता लानी चाहिए एवं राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए तथा डिजिटल प्रोग्राम को सरल एवं सहज बनाना चाहिए। ■

सात महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें

राष्ट्रीय

1. मानव तस्करी रोकने संबंधी विधेयक लोकसभा में पारित

लोकसभा ने मानव तस्करी रोकने तथा पीड़ितों के पुनर्वास संबंधी मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को हाल ही में ध्वनिमत से पारित कर दिया। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद भारत दक्षिण एशिया के उन गिने-चुने देशों में शामिल हो जायेगा जिनमें व्यक्तियों (विशेषकर महिलाओं और बच्चों) की तस्करी तथा उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए गये हैं।

मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018

- इस विधेयक में तस्करी के शिकार हुए लोगों के लिए राहत तथा पुनर्वास की बात भी की गयी है, लेकिन आरंभ में इसके लिए महज 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- विधेयक में पुलिस अधिकारी को मानव तस्करी के मामले पकड़ने पर मजिस्ट्रेट के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस अधिकारी को ही मजिस्ट्रेट के बराबर अधिकार दिए गए हैं इसलिए वह सीधे अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।

भारत में मानव तस्करी संबंधी आंकड़े

संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार 'किसी व्यक्ति को डराकर, बल प्रयोग कर या दोषपूर्ण तरीके से भर्ती, परिवहन या शरण में रखने की गतिविधि तस्करी की श्रेणी में आती है।' दुनिया भर में 80 प्रतिशत से ज्यादा मानव तस्करी यौन शोषण एवं बंधुआ मजदूरी के लिए की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एशिया में सबसे अधिक मानव तस्करी भारत से होती है।

- मीडिया में प्रकाशित सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक आठ मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है।
- वर्ष 2011 में लगभग 35,000 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज हुई जिसमें से 11,000 से अधिक केवल पश्चिम बंगाल से थे।
- इसके अलावा यह माना जाता है कि कुल मामलों में से केवल 30 प्रतिशत मामले ही रिपोर्ट किए गए और वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार चार सालों में कर्नाटक में मानव तस्करी के 1379 मामले रिपोर्ट हुए, तमिलनाडु में 2244 जबकि आंध्र प्रदेश में मानव तस्करी के 2157 मामले दर्ज किये गये थे। ■

2. वोडाफोन और आइडिया के प्रस्तावित विलय को अंतिम मंजूरी

केंद्र सरकार ने 26 जुलाई 2018 को वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्युवलर के प्रस्तााावित विलय को अपनी अंतिम मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही देश के सबसे बड़ी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी बनने का रास्ता भी साफ हो गया है।

जियो के आने से पहले तक भारती एयरटेल के बाद भारतीय मोबाइल सेवा बाजार में दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन थी। जबकि आइडिया तीसरे नंबर पर थी। दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन और आइडिया सेल्युलर के विलय को अंतिम मंजूरी तब दी है जब दोनों कंपनियों ने संयुक्त रूप से 7,268.78 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। दोनों कंपनियों ने नकद में 3,926.34 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और 3,322.44 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी दी है।

इससे पहले दूरसंचार विभाग ने 9 जुलाई 2018 को दोनों कंपनियों को सशर्त विलय की अनुमति दी थी। मार्च 2017 में विलय की घोषणा की गई थी।

विलय से संबंधित मुख्य तथ्य

- इन दो कंपनियों के विलय के बाद बनने वाली वोडाफोन आइडिया लिमिटेड नामक नई कंपनी की बाजार हिस्सेदारी लगभग 35 प्रतिशत होगी और इसके सब्सक्राइबर्स की संख्या लगभग 43 करोड़ होगी।
- विलय के बाद बनने वाली कंपनी देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी होगी जिसका मूल्य डेढ़ लाख करोड़ रुपए से अधिक (23 अरब डॉलर) होगा।
- नई कंपनी बनाने के बाद भारती एयरटेल देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी नहीं रह जाएगी।
- संयुक्त उद्यम में वोडाफोन की हिस्सेदारी 45.1 प्रतिशत और कुमारमंगलम बिड़ला के नेतृत्व वाले आदित्य बिड़ला समूह की हिस्सेदारी 26 प्रतिशत तथा आइडिया के शेयरधारकों की हिस्सेदारी 28.9 प्रतिशत होगी। ■

3. कारगिल विजय दिवस की 19वीं सालगिरह

भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई के दिन कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन कारगिल संघर्ष में शहीद हुए सैनिकों को पूरे देश में श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।

कारगिल विजय दिवस पर सारा देश युद्ध में जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को याद कर रहा है। सबकी आंखों में शहीदों के लिए सम्मान झलक रहा है। कारगिल संघर्ष के दौरान शहीद हुए उन सैंकड़ों सैनिकों को स्मरण किया जाता है जिनकी बदौलत हमारी सीमा और देश की सुरक्षा हो सकी। इस अवसर पर दिल्ली में इंडिया गेट पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण, सेनाध्यक्ष जनरल विपीन रावत, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा, वायुसेना अध्यक्ष बीरेन्द्र सिंह धनोआ ने शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

कारगिल युद्ध

कारगिल युद्ध 03 मई 1999 से शुरू हुआ और लगभग ढाई महीने चला और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। देशभर में सैनिक, पुलिस और आम लोग भी कारगिल विजय दिवस के दिन देशभक्ति कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

युद्ध के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा (मरणोपरांत), लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडेय (मरणोपरांत), रायफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेन्द्र सिंह यादव को भारत के उच्चतम वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

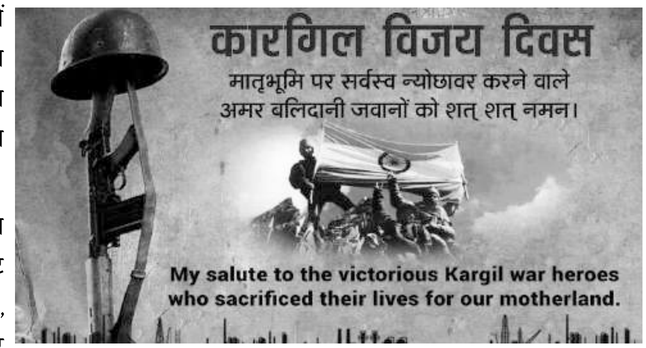

पृष्ठभूमि

वर्ष 1999 में पाकिस्तानी सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने कारगिल में नियंत्रण रेखा पार कर भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी जिससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। यह युद्ध मई से लेकर जुलाई तक चला। इसमें 26 जुलाई को भारत ने जीत हासिल की।

उसी दिन से 26 जुलाई के दिन कारगिल शहीदों को पूरे देश में श्रद्धांजलि दी जाती है तथा इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में याद किया जाता है। वर्ष 2018 को 19वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है।

- भारत की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था कि इस कार्यवाई में सेना के 527 जवान शहीद हुए और लगभग 1363 घायल हुए थे।■

4. 'चाइल्डलाइन 1098' प्रतियोगिता

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चाइल्डलाइन 1098 का शुभारंभ किया है। इस प्रतियोगिता के तहत सामान्यजनों तथा बच्चों से 'चाइल्डलाइन 1098' के लोगों को स्पॉट करने, शेयर करने तथा इसके साथ एक टैगलाइन लिखकर भेजने के लिए कहा गया है। यह प्रतियोगिता 30 जुलाई 2018 को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के अवसर पर आयोजित की जायेगी।

चाइल्डलाइन क्या है?

चाइल्डलाइन बच्चों की सहायता के लिए आपात फोन सेवा है। यह सेवा निशुल्क है और 24 घण्टे उपलब्ध है। यह सेवा वर्तमान में कुल 450 स्थानों पर कार्य कर रही है। ज्ञात हो कि अक्सर रेल सेवा के माध्यम से ही बच्चों की तस्करी होती है। इसे

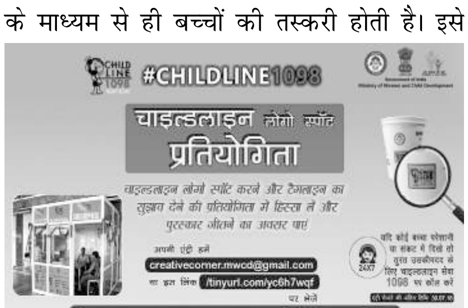

ध्यान में रखकर मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। जिससे बच्चों की तस्करी पर रोंक लगाई जायेगी।

इस समझौते के तहत घर से भागे हुए बच्चे, छोड़ दिये गये बच्चे, अपहृत बच्चे, और तस्करी से छुड़ाये गये बच्चों को संरक्षित किया जायेगा और उनका पुर्नवास भी किया जायेगा। नवंबर 2015 में रेल मंत्रालय ने रेल के कोचों में पोस्टर चिपकाकर जागरूकता अभियान फैलाया था। उस दौरान लगभग 2 लाख पोस्टर ट्रेनों में लगाये गये थे।

- इसमें यात्रियों को अपने आसपास के बच्चों जिन्हें सहायता की जरूरत है, के संदर्भ में सावधानी बरतने की सलाह दी गई थी।
- टोल फ्री नंबर 1098 बच्चों की केवल आपात जरूरतों का ही ख्याल नहीं रखते, बल्कि उन्हें लबीं अवधि तक देखभाल और पुनर्वास करने वाली संस्थाओं से भी जोड़ते हैं।
- ऑनलाइन प्रतियोगिताएं नागरिकों से जुड़ने का एक साधन है। इसके माध्यम से तस्करी रोकने से जुड़ी गतिविधियों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए उन्हें जोड़ा जा सकता है।
- चाइल्डलाइन 1098 से बच्चों को परिचित कराने के लिए मेनका गांधी ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से अनुरोध किया था कि वे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के प्रकाशनों के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाएं और बच्चों के यौन शोषण पर आधारित शैक्षिक फिल्में स्कूलों में दिखाएं।
- इस अनुरोध के आधार पर एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तकों के ऊपरी कवर के पीछे वाले पन्ने पर चाइल्डलाइन (1098) के बारे में जानकारी प्रकाशित की है।
- तस्करी के पीड़ितों की रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास के विभिन्न आयामों को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने मानव तस्करी (रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 का मसौदा तैयार किया था। मानसून सत्र में इस अधिनियम को संसद द्वारा पारित किए जाने की उम्मीद है। ■

5. 'ग्रीन महानदी मिशन' आरंभ

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 24 जुलाई 2018 को 'ग्रीन महानदी मिशन' लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने पश्चिमी ओडिशा स्थित संबलपुर जिले के दौरे के दौरान महानदी के किनारे पौधारोपण करके इस मिशन की शुरुआत की। इस अवसर पर संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से मानसून के दौरान अधिक से अधिक वृक्षारोपण का आग्रह किया।

ग्रीन महानदी मिशन

ग्रीन महानदी मिशन वृक्षारोपण अभियान है जिसके तहत महानदी के किनारे लगभग 2 करोड़ पौधारोपण किये जाने हेतु लोगों को प्रेरित किया जा रहा है।

उद्देश्य

- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महानदी के किनारे हो रहे मृदा अपरदन को रोकना तथा भूमिगत जल भंडार में वृद्धि करना है।
- इस मिशन का उद्देश्य महानदी के अस्तित्व को बनाये रखना तथा उसकी जैव विविधता को संरक्षित करना भी है।

मिशन के मुख्य बिंदु

- वर्ष भर तक चलने वाले इस अभियान में संबलपुर, बुर्ला, हीराकुंड समेत रेंगाली से लेकर देवगांव तक करोड़ों पौधे लगाए जायेंगे।
- महानदी तट पर भी पौधरोपण करने समेत इन पौधों की सुरक्षा के लिए कर्मचारी नियुक्त किये जाएंगे।
- इसी के तहत अब पौधरोपण के बाद पौधों के चारों तरफ ट्री गार्ड लगाया जाएगा जिसमें बीजू युवा वाहिनी सहयोग करेगी।
- इस मिशन का उद्देश्य महानदी की सुरक्षा व इसे पुनर्जीवित करने और हरा भरा बनाना है।
- इस अवसर पर सैकड़ों महिला-पुरुष समेत युवाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर राज्य की जीवनधारा की सुरक्षा व स्वच्छ बनाने के साथ-साथ शहर को हराभरा बनाने के लिए निरंतर पौधरोपण करने का संकल्प लिया।

महानदी के बारे में जानकारी

- महानदी का उद्गम धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है।
- महानदी का प्रवाह दक्षिण से उत्तर की तरफ है। यह प्रवाह प्रणाली के अनुरुप स्थलखंड के ढाल के स्वभाव के अनुसार बहती है इसलिए एक स्वयंभू जलधारा है।
- नदियों की जलक्षमता के हिसाब से यह गोदावरी नदी के बाद दूसरे क्रम पर है। छत्तीसगढ़ में 286 कि.मी. की यात्रा के इस पड़ाव में महानदी सीमांत सीढ़ियों से उतरते समय छोटी-छोटी नदियाँ प्रपात भी बनाती हैं।
- महानदी की अनेक सहायक नदियाँ हैं। शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो महानदी में शिवरीनारायण में मिलती है।

इतिहासकार उल्लेख करते हैं कि पहले इस नदी के जलमार्ग से कलकत्ता तक वस्तुओं का आयात-निर्यात हुआ करता था। ■

6. ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना

सार्वजनिक क्षेत्र के पांच केंद्रीय लोक उपक्रमों (पीएसयू) आईओसीएल, ओएनजीसी, गेल, आयल इंडिया तथा एनआरएल ने पूर्वोत्तर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड के क्रियान्वयन के लिये संयुक्त उद्यम के लिये समझौता किया। इन कंपनियों ने यह कदम ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना की दिशा में उठाया है।

पूर्वोत्तर गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना

प्रस्तावित गैस पाइपलाइन ग्रिड गुवाहाटी को प्रमुख पूर्वोत्तर शहरों और प्रमुख लोड सेंटर से जोड़ देगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना के तहत लागू की जा रही है।

संयुक्त उद्यम कंपनी गुवाहटी से पूर्वोत्तर के अन्य प्रमुख शहरों तथा नुमालीगढ़ रिफाइनरी जैसे 'माल-केंद्रों' को जोड़ने वाली प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का विकास, निर्माण, परिचालन और उसका रखरखाव करेगी। इस ग्रिड को जहां भी व्यावहारिक होगा, क्षेत्र में गैस उत्पादक फील्डों से जोड़ा जाएगा। कुल 6,000 करोड़ रुपये की लागत वाले ग्रिड की लंबाई 1500 किलोमीटर होगी। इसे लगभग चार साल में क्रियान्वित करने की योजना है।

संयुक्त उद्यम में सभी भागीदारों की बराबर-बराबर हिस्सेदारी होगी। परियोजना पूर्वोत्तर के राज्यों अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, सिक्कम तथा त्रिपुरा को जोड़ेगी। पूर्वोत्तर गैस ग्रिड परियोजना पूर्वोत्तर राज्यों को बरौनी-गुवाहाटी गैस पाइपलाइन के जरिये राष्ट्रीय गैस ग्रिड से जोड़ेगी।

प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के बारे में

गैस पाइपलाइन परियोजना का उद्देश्य वाराणसी के निवासियों और बाद में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे राज्यों में लाखों लोगों को पाइपयुक्त खाना पकाने के लिए गैस प्रदान करना है। वाराणसी के परिप्रेक्ष्य से 800 किलोमीटर लंबी एमडीपीआई पाइपलाइन बनाई जाएगी और 50,000 घरों और 20,000 वाहनों को क्रमशः पीएनजी और सीएनजी गैस मिलेगी। सरकार का अनुमान है कि सालाना ग्रामीण इलाकों में लगभग 5 लाख गैस सिलेंडरों को भेजा जाएगा।

गेल के अनुसार, उर्जा गंगा परियोजना के साथ, 20 लाख परिवारों को पीएनजी कनेक्शन मिलेगा। परियोजना को भारत के पूर्वी क्षेत्र के सामूहिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गेल ने ट्रंक पाइपलाइनों का एक नेटवर्क बनाया है जो लगभग 11,000 किमी की लंबाई को कवर करता है। ऊर्जा गंगा परियोजना के साथ, यह संख्या 2540 किमी तक बढ़ जाएगी। ■

7. 'इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म' लांच

अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और माईगव (My Gov) ने 26 जुलाई 2018 को 'इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म' लांच किया। अटल नवाचार मिशन के निदेशक आर. रमणन और माईगव के सीईओ अरविंद गुप्ता ने 'इनोवेट इंडिया प्लेटफॉर्म' लांच किया। जो अटल नवाचार मिशन और भारत सरकार के नागरिक केंद्रित प्लेटफॉर्म माईगव के बीच गठबंधन है।

इनोवेट इंडिया पोर्टल से संबंधित मुख्य तथ्य

- इनोवेट इंडिया पोर्टल देश में होने वाले समस्त अभिनव कदमों के लिए एक साझा केंद्र के रूप में काम करेगा।
- इनोवेट इंडिया माईगव-एआईएम पोर्टल राष्ट्रीय स्तर पर बुनियादी एवं गहन तकनीक वाले अन्वेषकों दोनों को ही पंजीकृत करने के लिए अत्यंत आवश्यक नवाचार प्लेटफॉर्म का सृजन करता है।
- ऐसे लोग जो किसी महत्वपूर्ण नवाचार की तलाश में हैं वे अर्थव्यवस्था के फायदे के साथ-साथ राष्ट्रीय सामाजिक जरूरतों की पूर्ति के लिए इस पोर्टल से लाभ उठा सकते हैं।

प्रमुख विशेषताएँ

- यह प्लेटफॉर्म सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला हुआ हैं।
- इसके उपयोगकर्ता इनोवेट इंडिया पोर्टल पर एकत्रित नवाचारों को देख सकते हैं, टिप्पणी एवं साझा कर सकते हैं और इसके साथ ही इनकी रेटिंग भी कर सकते हैं।
- नागरिक माईगव वेबसाइट पर लॉग-इन करके अपने अथवा किसी और के नवाचार को इस प्लेटफॉर्म पर साझा कर सकते हैं।
- इन नवाचारों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर भी साझा किया जा सकता है।
- इस प्लेटफॉर्म को लांच करने के साथ ही भारत के लोग अब अपने/संगठन के नवाचार को इस प्लेटफॉर्म पर अपलोड एवं उसकी रेटिंग करने में समर्थ हो जाएंगे।

अटल नवाचार मिशन

- अटल नवाचार मिशन (एआईएम) देश में नवाचार और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की प्रमुख पहल है। इसको तहत एक ऐसे सहयोगात्मक परितंत्र की परिकल्पना की गई है जिसके तहत विद्यार्थी, शिक्षक, मार्गदर्शक एवं औद्योगिक साझेदार आपस में सहयोग कर नवाचार को सुविधाजनक बनाएंगे, वैज्ञानिक सोच के साथ-साथ आज के बच्चों में उद्यमिता की भावना को भी बढ़ावा देंगे और जो आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में सफलतापूर्वक योगदान करेंगे।

माईगव (MyGov) पोर्टल क्या है?

- माईगव (MyGov) भारत सरकार का एक पोर्टल है जिसका शुभारंभ 26 जुलाई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया।इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों को सरकार के साथ जोड़ना तथा राष्ट्र के विकास में हाथ बंटाने के माध्यम के रूप में कार्य करना है।
- माईगव नागरिकों को अनेक विषयों पर चर्चा एवं विचार-विमर्श में भाग लेने का अवसर देता है तथा अनेक लोगों के साथ विचारों के आदान-प्रदान का मौका देता है।
- नागरिक इस मंच पर कागजात, केस स्टडी, चित्र, वीडियो और अन्य कार्य योजनाएं अपलोड कर सकते हैं। वे ऐच्छिक रूप से विविध कार्य कर सकते हैं और अपनी प्रविष्टियां जमा करा सकते हैं।
- राष्ट्रीय सूचना केंद्र -एनआईसी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इस पोर्टल का प्रबंधन करेंगे।

जो लोग विचार-विमर्श से आगे बढ़कर जमीनी योगदान देना चाहते हैं उनके लिए माई गवर्नमेंट पोर्टल अनेक अवसर देता है। नागरिक विभिन्न कार्यों के लिए स्वयं आगे बढ़ सकते हैं और अपनी प्रवृष्टियाँ दे सकते हैं। ■

अंतर्राष्ट्रीय

1. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 आयोजित

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का 10वाँ संस्करण जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 25 जुलाई 2018 को शुरू हुआ। यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन है और सभी ब्रिक्स नेता इसमें शामिल होंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अफ्रीका का तीन-राष्ट्र दौरा दक्षिण अफ्रीका में खत्म हो जाएगा।

इस शिखर सम्मेलन का विषय 'BRICS in Africa: Collaboration for inclusive growth and shared prosperity in the 4th Industrial Revolution' है। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका कर रहा है।

भारत द्वारा उठाये गये मुद्दे

- भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो रहे आतंकवाद के मुद्दे को उठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सभी राष्ट्रों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि उनकी धरती से कोई भी आतंकी गतिविधि न होने पाए।
- प्रधानमंत्री मोदी ने बहुपक्षवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और नियम-आधारित विश्व व्यवस्था के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- सहयोगी ब्रिक्स नेताओं के साथ मोदी ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों जैसे प्रौद्योगिकी के महत्व, कौशल विकास और प्रभावी बहुपक्षीय सहयोग पर एक बेहतर दुनिया बनाने पर अपने विचार साझा किए।
- इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राजील के राष्ट्रपति मिशेल टेमर और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सेरिल रामाफोसा से भी मिले।
- अपने समापन संबोधन में, प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों को साझा करने की आवश्यकता है।

ब्रिक्स की पृष्ठभूमि

ब्रिक्स दुनिया की पांच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें B-ब्राजील, R-रूस, I-इंडिया, C-चीन और S-साउथ अफ्रीका शामिल है। जुलाई, 2006 में G-8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के मौके पर रूस, भारत, चीन के नेताओं की बैठक में इस ग्रुप को बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई।

ब्रिक्स की स्थापना का उद्देश्य

ब्रिक्स की स्थापना का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्य देशों की सहायता करना है। ये देश एक दूसरे के विकास के लिए वित्तीय , तकनीक और व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे की सहायता करते हैं। ब्रिक्स देशों के पास खुद का एक बैंक भी है। इस बैंक का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक है। इसका कार्य सदस्यों देशों और अन्य देशों को कर्ज के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

वर्तमान परिदृश्य में ब्रिक्स का महत्व

- पिछले 10 वर्षों में उभरते बाजारों और विकासशील देशों के बीच सहयोग के लिए ब्रिक्स एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है।
- ब्रिक्स सदस्य देशों में एशिया, अफ्रीका, यूरोप एवं अमेरिका के देश शामिल हैं एवं जी20 के देश शामिल हैं।
- ब्रिक्स देशों के पास दुनिया की जीडीपी का 22.53 फीसदी हिस्सा है। विश्व का 18 प्रतिशत व्यापार यही देश करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्षों ने इन देशों ने वैश्विक आर्थिक विकास में 50 प्रतिशत भागीदारी निभाई है।■

2. इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस ने भारत एवं फ्रांस के स्टार्ट अप्स के बीच सहयोग बढ़ाने तथा निवेश में सहूलियत के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसका मुख्य उद्देश्य उद्यमों को व्यावहारिक निवेश सूचनाएं सुलभ कराते हुए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाना और दोनों देशों के आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान करने वाले अवसरों पर अपना ध्यान केन्द्रित करने वाली कम्पनियों को आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी है, जिसे देश में निवेश को सुविधाजनक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह देश में संभावित वैश्विक निवेशकों के लिए सबसे पहला केन्द्र है।

बिजनेस फ्रांस आर्थिक मामलों एवं वित्त मंत्री और विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री के पर्यवेक्षण में फ्रांस सरकार की एक कार्यकारी एजेंसी है। यह 80 व्यापार आयोगों के एक विश्वव्यापी नेटवर्क के जरिए फ्रांस की कम्पनियों और प्रोफेशनलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय विकास को बढ़ावा देती है।

- फ्रांस के उद्यमियों और भारत के निजी क्षेत्र के बीच अवसरों की पहचान करने और संस्थागत ज्ञान को मजबूत करने संबंधी अनुभवों के आदान-प्रदान और संयुक्त गतिविधियों के जरिए व्यवसाय और स्टार्ट-अप्स परितंत्र में सहयोग को बढ़ावा देने हेतु इन्वेस्ट इंडिया और बिजनेस फ्रांस आपस में गठबंधन करेंगी।
- भारत और फ्रांस के बीच निवेश में साझेदारी के परिणामस्वरूप, भारत और फ्रांस के स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के बीच विचारों, प्रतिभा और प्रौद्योगिकियों के परिणाम को जोड़ेगा। ■

3. FDI विश्वास सूचकांक में भारत तीन स्थान फिसलकर 11वें पर

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) विश्वास सूचकांक-2018 में भारत तीन स्थान फिसलकर 11वें स्थान पर पहुंच गया। यह सूचकांक वैश्विक सलाहकार कंपनी ए. टी. कीर्ने ने तैयार किया है। यह एक वार्षिक सर्वेक्षण है जो मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और मुख्य वित्तीय अधिकारियों की एफडीआई वरीयताओं पर संभावित राजनीतिक, आर्थिक और नियामक परिवर्तनों के प्रभाव को ट्रैक करता है।

इस रिपोर्ट के अनुसार दो साल रैंकिंग में सुधार के बाद इस साल भारत तीन स्थान लुढ़क गया है। यह 2015 के बाद पहली बार है जब भारत शीर्ष दस की सूची से बाहर गया है। इस सूचकांक में 25 देशों/अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। यह सूचकांक किसी देश विशेष के संदर्भ में आगामी तीन वर्षों में होने वाले प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की संभाव्यता पर उच्च, मध्य एवं निम्न प्रतिक्रिया के भारात्मक माध्य द्वारा आकलित किया गया है।

इस सूची में भारत के अलावा चीन की रैंकिंग भी गिरी है। वह पांचवे स्थान पर रहा है जबकि सिंगापुर गिरकर 12 वें स्थान पर आ गया है। इसके अलावा सूची में ऑस्ट्रेलिया की रैकिंग सुधरकर आठ एवं न्यूजीलैंड की 16 रही। जापान और दक्षिण कोरिया का स्थान इस सूची में क्रमश- छठे और 18 वें स्थान पर स्थिर रहा है। वर्ष 2017 में भारत का स्थान आठवां और 2016 में नौंवा था। भारत के स्थान में गिरावट के लिये GST तथा विमुद्रीकरण को जिम्मेदार माना गया है।

2017 में लागू किये गए वस्तु एवं सेवा कर के कारण राष्ट्रव्यापी चुनौतियों का सामना करना पड़ा और 2016 के विमुद्रीकरण की पहल ने व्यावसायिक गतिविधियों को बाधित कर दिया जिसके कारण आर्थिक विकास प्रभावित हुआ। रिपोर्ट के अनुसार, एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रति निवेशकों का विश्वास घटा है लेकिन अपने विशाल बाजार और अर्थव्यवस्था के मजबूत प्रदर्शन की वजह से भारत के प्रति निवेशकों का विश्वास बना रहेगा। ■

4. मंगल ग्रह पर भूमिगत झील की खोज

शोधकर्ताओं ने मंगल ग्रह पर पहली बार भूमिगत झील की खोज की। अमेरिकी जर्नल 'साइंस' में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने कहा है कि मंगल पर बर्फ के नीचे स्थित झील करीब 20 किलोमीटर चौड़ी है और यहां बर्फ की परत जमी है। ये नई खोज मार्सिस की मदद से संभव हो सकी है। मार्सिस मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर पर मौजूद एक रडार उपकरण है। इस यान को 2003 में लॉन्च किया गया था।

ऑस्ट्रेलिया के स्विनबर्न विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर एलन डफी ने कहा कि इससे जीवन के अनुकूल परिस्थितियों की संभावनाएं खुलती हैं।

मुख्य तथ्य

- इससे मंगल ग्रह पर अधिक पानी और यहां तक कि जीवन की उपस्थिति की संभावना पैदा हो गयी है।
- यह मंगल ग्रह पर पाया गया अब तक का सबसे बड़ा जल निकाय है।
- शोधकर्ता मंगल पर अतीत और वर्तमान में जीवन की संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं।
- हालांकि क्षीण वायुमंडल की वजह से मंगल की जलवायु पहले के मुकाबले ठंडी हुई है जिससे परिणामस्वरूप यहां मौजूद जल बर्फ में बदल गया है।
- पहले के शोध में मंगल के धरातल पर तरल जल के संभावित चिन्ह मिले थे, लेकिन ये जल के पाए जाने का पहला ऐसा प्रमाण है, जो वर्तमान में मौजूद है।
- अध्ययन में जिस झील के मिलने की बात है, उसका पानी पीने लायक नहीं है। यह बहता पानी बर्फीली सतह के करीब 1.5 किलोमीटर नीचे मौजूद है।
- यह झील बहुत ठंडी है और इसमें बहुत सा नमक और अन्य मिनरल घुले हैं।
- इसका तापमान शुद्ध जल के हिमांक (जिस तापमान पर पानी बर्फ बन जाता है) से कम है, फिर भी मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम की उपस्थिति के कारण झील का पानी जमा नहीं है।

अन्य जानकारी

गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की कि मंगल ग्रह पर 2012 में उतरे खोजी रोबोट क्यूरियोसिटी को चट्टानों में तीन अरब साल पुराने कार्बनिक अणु मिले हैं। यह खोज इशारा करती है कि उस समय इस ग्रह पर जीवन रहा होगा।

- मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती है। इस गृह पर जीवन होने की संभावना है। ■

5. अमेरिका भारत के विरुद्ध CAATSA प्रतिबंध नहीं लगाएगा

अमेरिकी कांग्रेस और हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी ने वॉशिंगटन में राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम - 2019 को जॉइंट कॉन्फ्रेंस रिपोर्ट में सीएएटीएसए (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act & CAATSA) की धारा 231 में एक संशोधन कर छूट प्रदान की है

'रूस के साथ सैन्य सौदा करने पर अमेरिका भारत पर CAATSA के तहत प्रतिबन्ध लगाने की योजना बना रहा था। भारत के अतिरिक्त इंडोनेशिया और वियतनाम को भी इस प्रतिबन्ध से छूट दी गयी है। रूस से हथियार और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर यह प्रतिबंध लगाया गया था।

अमेरिकी निर्णय के प्रमुख कारण

- भारत विश्व के सबसे बड़े सैन्य उपकरण व हथियार खरीदने वाले देशों में से एक है।
- भारत पर प्रतिबन्ध लगाने के फलस्वरूप अमेरिका भारत के विशाल बाजार से वंचित रह जाता।

- भारत अमेरिका से वायुसेना के लिए 110 जेट, नौसेना के लिए 57 जेट तथा 120 हेलीकाप्टर खरीदने की योजना बना रहा है, इन सभी सौदों की कुल लागत 2,75,320 करोड़ रुपये (40 अरब डॉलर) है।
- इससे पहले भारत 22 अपाचे हेलीकाप्टर, 15 बोइंग चिनूक हेलीकाप्टर, 145 होवित्जर तोप का आर्डर दे चुका है।

काट्सा (CAATSA) कानून क्या है?

- काट्सा का पूरा नाम 'काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट' है।
- इस अमेरिकी कानून के तहत रूस से कोई बड़ी रक्षा खरीद करने वाले देश पर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने का प्रावधान है।
- अमेरिका ने सबसे पहले यह प्रतिबन्ध ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के खिलाफ लगाया।
- इस कानून द्वारा रूस के खिलाफ साइबर सुरक्षा, कच्चे तेल की परियोजनाएं, भ्रष्टाचार, रूसी रक्षा या खुफिया क्षेत्रों के साथ लेनदेन, हथियारों की खरीद, हथियारों को सीरिया में स्थानांतरित करने आदि मामलों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
- यह विधेयक 115वीं अमेरिकी संसद की बैठक में 2 अगस्त 2017 को पारित किया गया था।

भारत-रूस सैन्य सहयोग

अमेरिका के अलावा भारत रूस से भी बड़े पैमाने पर सैन्य उपकरण खरीदता है। भारत रूस से वायुसेना के लिए सुखोई-30 MKI लड़ाकू विमान, थल सेना के लिए T-90 टैंक इत्यादि खरीद चुका है। जबकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से निर्मित की गयी है। इसके अलावा कामोव हेलीकाप्टर का निर्माण भी भारत में संयुक्त रूप से किया जा रहा है। भारत की 62% सैन्य आवश्यकताएं रूस द्वारा पूरी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त Mi-17 हेलीकाप्टर, MiG-29 लड़ाकू विमान के पुर्जे तथा कई बख्तरबंद वाहन इत्यादि रूस से प्राप्त किये जाते हैं।

- भारत ने रूस के साथ एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए समझौता किया है। यह विश्व का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम माना जाता है।
- भारत रूस के साथ 48 एमआई-17-वी5 हेलिकॉप्टर खरीदने के लिए अंतिम चरण की वार्ता कर रहा है।
- इसके अतिरिक्त भारत और रूस के सहयोग से ब्रह्मोस मिसाइल का अत्याधुनिक संस्करण भी तैयार किया जा रहा है। ■

6. भारत और रवांडा के बीच आठ समझौतों पर हस्ताक्षर

भारत को अफ्रीकी देशों के करीब लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन अफ्रीकी देशों के दौरे के पहले चरण पर 23 जुलाई 2018 को रवांडा पहुंचे। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी रवांडा का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। भारत रवांडा के ट्रेनिंग, तकनीक, आधारभूत विकास और प्रोजेक्ट असिस्टेंस के क्षेत्र में सहयोग करता रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे के साथ विस्तृत बातचीत की और व्यापार एवं कृषि के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे के बीच किगाली में प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद आठ समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

समझौतों से संबंधित मुख्य तथ्य

- भारत ने किंगाली में विशेष आर्थिक क्षेत्र और तीन कृषि परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डॉलर ऋण देने की पेशकाश की।
- भारत कई औद्योगिक पार्क के विकास और रवांडा में किंगाली विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिये 10 करोड़ डॉलर तथा कृषि के लिये 10 करोड़ डॉलर रवांडा को कर्ज देगा।
- दोनों देशों ने चमड़ा एवं इससे संबद्ध क्षेत्रों और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं।
- यह समझौता अनुसंधान, तकनीकी विकास और मानव संसाधन विकास के साथ-साथ निवेश संगठनात्मकता पर जोर देने के साथ कृषि और पशुधन में सहयोग को गहरा कर देगा।
- राष्ट्रपति कागमे के साथ बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि भारत जल्द रवांडा में अपना दूतावास खोलेगा। इससे दोनों देशों की संबंधित सरकारों के बीच ना सिर्फ संवाद स्थापित होगा बल्कि वाणिज्य संबंधी, पासपोर्ट, वीजा के लिये सुविधाएं भी सुनिश्चित होंगी।
- प्रधानमंत्री मोदी ने कहा की रवांडा के आर्थिक विकास की यात्रा में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना भारत के लिए गौरव की बात है। इस देश की विकास यात्रा में भारत की मदद कायम रहेगी।
- प्रधानमंत्री मोदी ने रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे को सामाजिक योजना में मदद के तौर पर तोहफे में 200 गाय दीं। ■

7. "पिच ब्लैक" युद्धाभ्यास में पहली बार भाग लेगी भारतीय वायुसेना

ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसैनिक अभ्यास पिच ब्लैक-2018 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग लेने जा रहा है।

इस वायुसैनिक अभ्यास में भारत अपना लड़ाकू विमान सुखोई-30 एमकेआई के अलावा हर्क्यूलस और ग्लोब मास्टर विमानों को भी उतार रहा है। यह युद्धाभ्यास 27 जुलाई 2018 से 17 अगस्त 2018 तक चलेगा।

- यह पहला अवसर है जिसमें भारतीय वायुसेना दल रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास में भाग ले रहा है।
- पूरे विश्व के 100 से अधिक विमान इस अभ्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे और वायु सैनिकों को युद्ध जैसी परिस्थिति में संचालन का अनूठा अवसर प्रदान करेंगे।

महत्व

- राष्ट्रमंडल देशों के सदस्यों के रूप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हमेशा से अच्छे द्विपक्षीय संबंध रहे हैं। दोनों देशों की वायु सेनाओं ने दूसरे विश्व युद्ध में भाग लिया था।
- एसयू-30 एमकेआई विमान ने समुद्र पार करके हमारी रणनीतिक पहुंच और व्यवसायिकता को प्रदर्शित किया है।
- गगन शक्ति अभ्यास 2018 के तहत भारतीय वायुसेना ने इंडोनेशिया और मलेशिया की वायु सेनाओं के साथ अभ्यास किया था। अब भारतीय वायुसेना ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना के साथ पहली बार पिच ब्लैक-18 अभ्यास में भाग ले रही है। यह भारतीय वायुसेना की क्षमता को दर्शाता है।
- भारत से ऑस्ट्रेलिया की उड़ान के दौरान, सुखोई-30 एमकेआइ जेट, आइएल-78 टैंकर विमान के साथ एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग करेंगे। पहली बार सुखोई-30 एमकेआई विमान आरएएएफ के केसी-30ए टैंकर विमान द्वारा हवा में रिफ्यूलिंग करेगा ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

संसदीय विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव
पृष्ठभूमि
कांग्रेस का कहना है वर्ष 2008 के भारत व फ्रांस के बीच के रक्षा समझौते में विमान की कीमत को उजागर न करने से सम्बन्धित कोई प्रावधान नहीं है।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राफेल विमान सौदे के वाणिज्यिक मूल्य पर सदन को गुमराह किया गया।
संसदीय विशेषाधिकार के बारे में
जब इनमें से किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है तो उसे संसदीय विशेषाधिकार का हनन कहा जाता है। यह संसद के कानून के तहत दंडनीय है।
संसदीय विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव किसी भी सदन के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है।
यह प्रस्ताव मंत्रीपरिषद को इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं करता।
यह सांसदों को मिलने वाले कुछ व्यक्तिगत एवं कुछ सामूहिक विशेषाधिकार हैं।
चर्चा में क्यों?
कांग्रेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ यह प्रस्ताव लाया गया
यह प्रस्ताव राफेल लड़ाकू विमान खरीद सौदे के मुद्दे पर रक्षामंत्री द्वारा संसद को गुमराह करने के विरोध स्वरूप लाया गया।
नियम
कोई भी संसदीय सदस्य, सदन के अध्यक्ष या सभापति की अनुमति से किसी सदस्य, सदन या किसी संसदीय समिति के विशेषाधिकारों के हनन का प्रस्ताव ला सकता है।
इसके लिये अध्यक्ष अथवा सभापति को सुबह 10 बजे से पहले नोटिस देना होता है।
इस प्रकार का कोई भी मुद्दा हाल की घटना से सम्बन्धित होना चाहिये।
अध्यक्ष अथवा सभापति की भूमिका
संसदीय विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव को सबसे पहले अध्यक्ष या सभापति द्वारा ही जांचा जाता है।
अध्यक्ष अथवा सभापति इस प्रस्ताव पर स्वयं से निर्णय ले सकते हैं अथवा उसे संसदीय विशेषाधिकार समिति को भेज सकते हैं।
यदि अध्यक्ष/सभापति नियम 222 के तहत सहमति देते हैं, तो संबंधित सदस्य को एक संक्षिप्त बयान देने का अवसर दिया जाता है।
विशेषाधिकार समिति
लोकसभा में, अध्यक्ष एक 15 सदस्यीय समिति बनाता है। ये सदस्य सभा में विभिन्न पार्टियों के सदस्य संख्या के अनुपात में उन्हीं के बीच से चुने जाते हैं।
राज्यसभा में उपसभापति के नेतृत्व में 10 सदस्यीय समिति का निर्माण होता है।
सदन को इसके विचार के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।
रिपोर्ट पर विचार करते समय अध्यक्ष आधे घंटे की बहस की अनुमति दे सकता है।

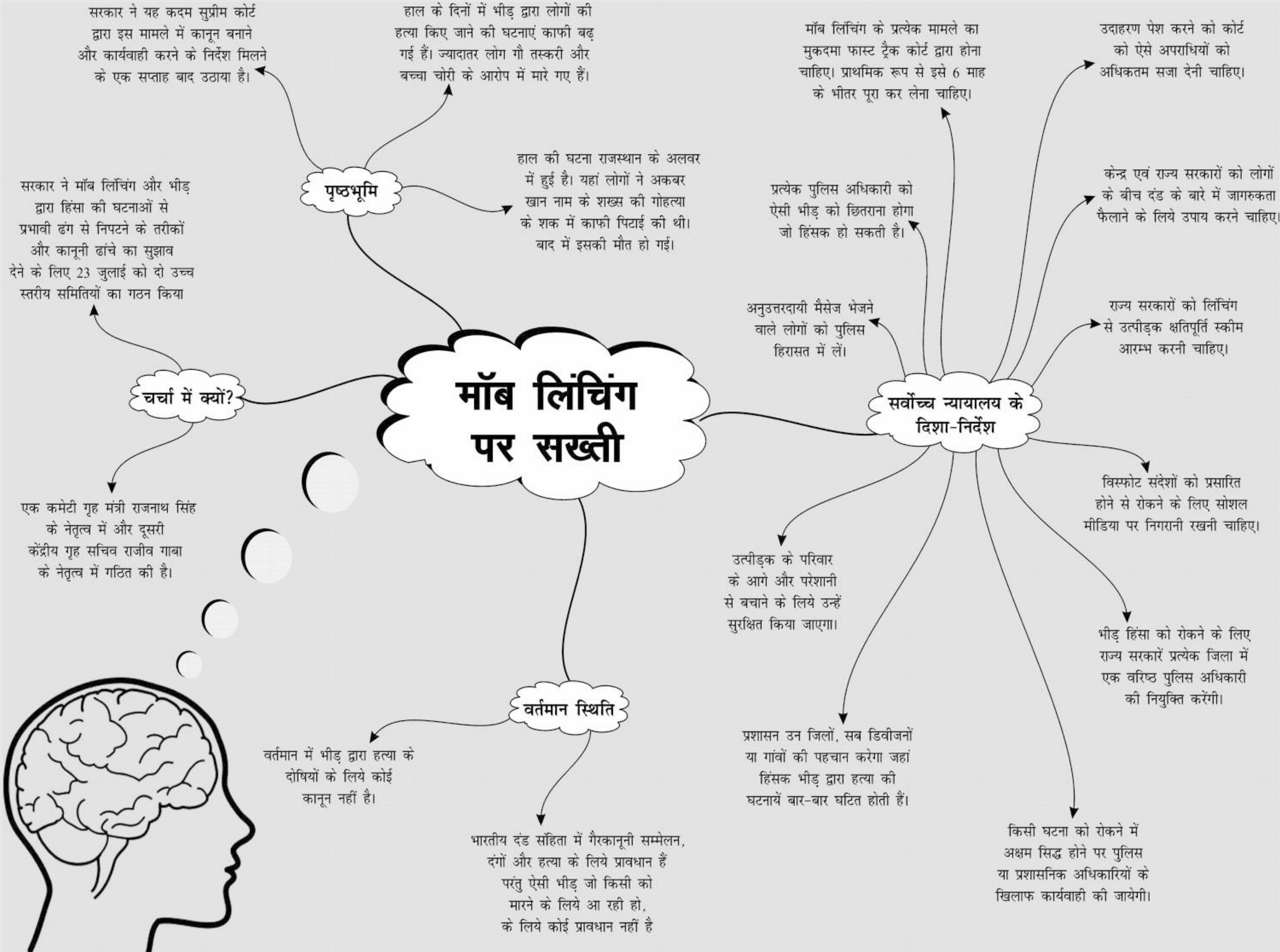
मॉब लिंचिंग पर सख्ती
पृष्ठभूमि
हाल के दिनों में भीड़ द्वारा लोगों की हत्या किए जाने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। ज्यादातर लोग गौ तस्करी और बच्चा चोरी के आरोप में मारे गए हैं।
हाल की घटना राजस्थान के अलवर में हुई है। यहां लोगों ने अकबर खान नाम के शख्स की गोहत्या के शक में काफी पिटाई की थी। बाद में इसकी मौत हो गई।
सरकार ने यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में कानून बनाने और कार्यवाही करने के निर्देश मिलने के एक सप्ताह बाद उठाया है।
चर्चा में क्यों?
सरकार ने मॉब लिंचिंग और भीड़ द्वारा हिंसा की घटनाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के तरीकों और कानूनी ढांचे का सुझाव देने के लिए 23 जुलाई को दो उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया
एक कमेटी गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में और दूसरी केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा के नेतृत्व में गठित की है।
वर्तमान स्थिति
वर्तमान में भीड़ द्वारा हत्या के दोषियों के लिये कोई कानून नहीं है।
भारतीय दंड संहिता में गैरकानूनी सम्मेलन, दंगों और हत्या के लिये प्रावधान हैं परंतु ऐसी भीड़ जो किसी को मारने के लिये आ रही हो, के लिये कोई प्रावधान नहीं है
सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश
मॉब लिंचिंग के प्रत्येक मामले का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा होना चाहिए। प्राथमिक रूप से इसे 6 माह के भीतर पूरा कर लेना चाहिए।
प्रत्येक पुलिस अधिकारी को ऐसी भीड़ को छितराना होगा जो हिंसक हो सकती है।
अनुउत्तरदायी मैसेज भेजने वाले लोगों को पुलिस हिरासत में लें।
उदाहरण पेश करने को कोर्ट को ऐसे अपराधियों को अधिकतम सजा देनी चाहिए।
केन्द्र एवं राज्य सरकारों को लोगों के बीच दंड के बारे में जागरुकता फैलाने के लिये उपाय करने चाहिए।
राज्य सरकारों को लिंचिंग से उत्पीड़क क्षतिपूर्ति स्कीम आरम्भ करनी चाहिए।
विस्फोट संदेशों को प्रसारित होने से रोकने के लिए सोशल मीडिया पर निगरानी रखनी चाहिए।
भीड़ हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकारें प्रत्येक जिला में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करेंगी।
उत्पीड़क के परिवार के आगे और परेशानी से बचाने के लिये उन्हें सुरक्षित किया जाएगा।
प्रशासन उन जिलों, सब डिवीजनों या गांवों की पहचान करेगा जहां हिंसक भीड़ द्वारा हत्या की घटनायें बार-बार घटित होती हैं।
किसी घटना को रोकने में अक्षम सिद्ध होने पर पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक

पृष्ठभूमि

- भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 वर्ष 1988 में अधिनियमित किया गया था। भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) अधिनियम, 2013 को इसी उद्देश्य के अंतर्गत 19 अगस्त, 2013 को राज्यसभा में पेश किया गया।
- विधेयक में घूसखोरी से संबंधित अपराधों को परिभाषित करने के एक महत्वपूर्ण बदलाव के चिंतन को देखते हुए प्रस्तावित संशोधनों पर भारतीय विधि आयोग के विचारों को भी मांगा गया था।
- भारतीय विधि आयोग की 254वीं रिपोर्ट के द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुरूप इस विधेयक में आगामी संशोधन प्रस्तावित हैं।

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में संसद ने को भ्रष्टाचार रोधी (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया।
- इस विधेयक में रिश्वत देने और लेने वालों के लिए दंड का प्रावधान है और साथ ही में अभियोजन पक्ष से लेकर सरकार के पूर्व अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई को मंजूरी दी गई है।

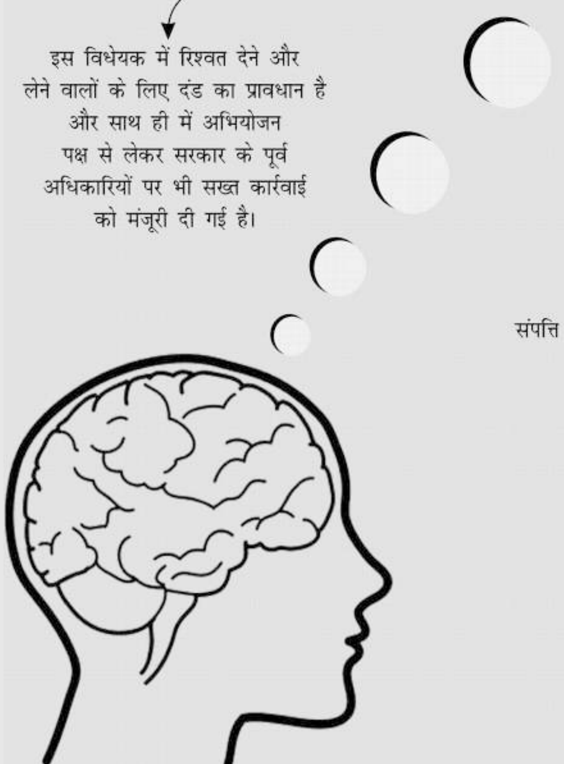

प्रमुख प्रावधान

- यह विधेयक उन अधिकारियों को सुरक्षा प्रदान करेगा, जो अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं। जिससे ईमानदारी के साथ कार्य करने वाले अधिकारियों को न तो धमकाया जा सकेगा और न ही उनकी पहल को दबाया जा सकेगा।
- इस कानून में भ्रष्टाचार के मामलों में शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने का प्रावधान है।
- विधेयक में रिश्वत लेने के दोषियों पर जुर्माने के साथ तीन से लेकर सात साल जेल की सजा का प्रावधान कर दिया गया है।
- इस विधेयक में रिश्वत देने वालों को पहली बार शामिल किया गया है और उन पर भी सात साल तक की जेल और जुर्माना या फिर दोनों लगाया जाएगा।
- विधेयक में रिश्वत देने को प्रत्यक्ष अपराध माना गया है।
- रिश्वत देने के लिए मजबूर किए जाने वाले व्यक्ति को अधिकारियों को सात दिन के भीतर सूचना देने की स्थिति में इस कानून के दायरे से मुक्त रखा जाएगा।
- यह विधेयक भ्रष्टाचार की परिभाषा को विस्तृत करता है। अब "कानूनी तनख्वाह के अलावा कुछ भी" को भ्रष्टाचार माना जायेगा।
- सरकारी कर्मचारियों द्वारा धन संवर्धन, आपराधिक दुराचार और आय से अधिक संपत्ति को भ्रष्टाचार के सबूत के रूप में लिया जाएगा।

इंटरक्रेडिटर समझौता

चर्चा में क्यों?

- वर्षों पुराने फंसे कर्जे (एनपीए) को कम करने की जद्दोजहद में हाल में 22 सार्वजनिक बैंकों, 19 निजी बैंक, 32 विदेशी बैंक और एलआइसी, हुडको, पीएफसी व आरईसी समेत 12 प्रमुख वित्तीय संस्थानों ने आपस में इंटर क्रेडिटर समझौता (आइसीए) पर हस्ताक्षर किए।
- सरकारी बैंकों के गले की फांस बने एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) की समस्या को दूर करने के लिए एक समग्र नीति प्रोजेक्ट 'सशक्त' के नाम से लागू होगी।

क्या है समझौता?

- इसके तहत बैंकों के कंसोर्टियम में से सबसे बड़े कर्जदाता को दबाव वाली संपदा के लिए समाधान योजना बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।
- इस कंसोर्टियम में कुल 24 बैंक शामिल हैं, जिसे सशक्त नाम दिया गया है।
- आईसीए उन सभी कार्पोरेट उधार लेने वालों पर लागू होती है जिन्होंने कंसोर्टियम या बहु बैंकिंग व्यवस्था के तहत 50 करोड़ रु. या उससे अधिक का कर्ज लिया है।
- 500 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि के अन्य एनपीए खाते जिनका निपटारा इसके जरिए नहीं होगा उन्हें दिवालिया कानून के तहत निपटाया जायेगा।
- यदि 66 प्रतिशत (दो तिहाई) कर्जदाता रिजोल्यूशन योजना पर सहमत हो जाते हैं तो यह सभी कर्ज दाताओं पर बाध्यकारी होगा।

महत्व

- पूरे बैंकिंग संघ के लिये एनपीए (NPA) से निपटने के लिए बड़ा कदम है।
- बैंकों के एनपीए से निपटने के लिए एक सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करता है।
- यह ऐसे उधारदाताओं के विरुद्ध कार्य करेगा जो अधिक लाभ के लिये अत्यधिक कर्ज दे देते हैं।

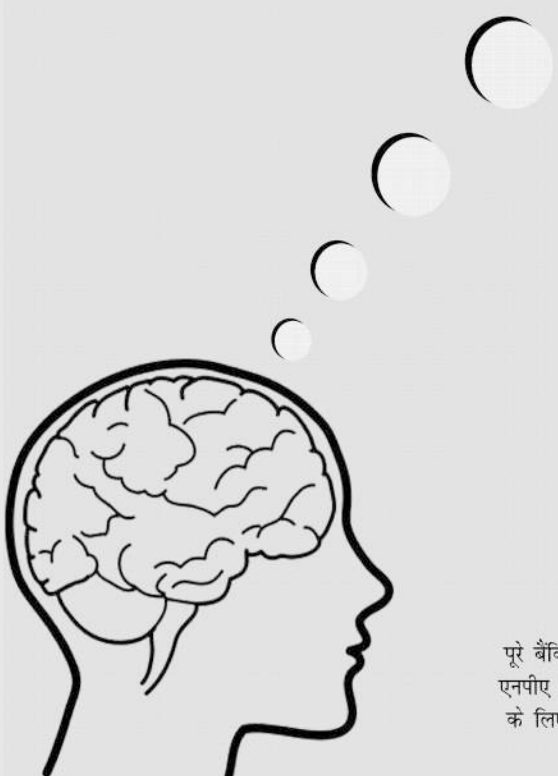

विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों के लिए आयोग

जनजातियों के बारे में

- सेमी-नोमैडिक वे लोग है जो साल भर में एक बार निश्चित स्थान पर लौटते हैं। मुख्यत: व्यवसाय करने के लिये।
- नोमैडिक जनजातियाँ वे हैं जो भौगोलिक रूप से निरंतर स्थानान्तरण करते हैं। स्थायी निवास नहीं बनाते।
- डिनोटीफाइड (Denotified) जनजातियाँ वे है जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा कानूनी रूप से अपराधिक चिह्नित किया गया था।

चर्चा में क्यों?

- नीति आयोग ने विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों के लिए स्थायी आयोग का गठन का समर्थन किया।

इबाते आयोग की प्रमुख सिफारिशें

- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ा वर्ग आयोगों की तर्ज पर इन समुदायों के लिए भी एक स्थायी आयोग बनाने की सिफारिश की।
- इस स्थायी आयोग का अध्यक्ष समुदाय का एक प्रमुख नेता होना चाहिए।
- एक वरिष्ठ केन्द्रीय अधिकारी, एक मानवविज्ञानी और एक समाजशास्त्री इसके सदस्य होंगे।
- आयोग ने जनवरी 2018 में सामाजिक न्याय मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
- अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों से अलग अनुसूची बनाकर इन्हें संवैधानिक संरक्षण दिया जाये।
- इन्हें आरक्षण से प्राप्त लाभ के योग्य बनाना तथा अत्याचार से बचने के लिए वर्तमान अधिनियम की जानकारी प्राप्त कराना।

चिंतायें

- ये समुदाय अत्यंत पिछड़े व वंचित हैं।
- लम्बे समय से इनकी जनगणना नहीं की गई है।
- रेन्के आयोग (2008) की रिपोर्ट के अनुसार इनकी आबादी 10-12 करोड़ है।
- इन समुदायों पर हाल में हमलों में वृद्धि हुई है।

नीति आयोग का दृष्टिकोण

- इन समुदायों के लिये एक कार्यकारी समूह का गठन करने की पेशकश की है।
- इस समुदायों के बच्चों के शिक्षण शुल्क कम करने व स्कूल में प्रवेश शर्तों में राहत देने का समर्थन किया है।
- इनको भूमि और आवास आवंटन करने को कहा है।
- इनके लिये समर्पित राष्ट्रीय वित्त विकास निगम बनाने के लिए पैनल के सुझाव का समर्थन किया।

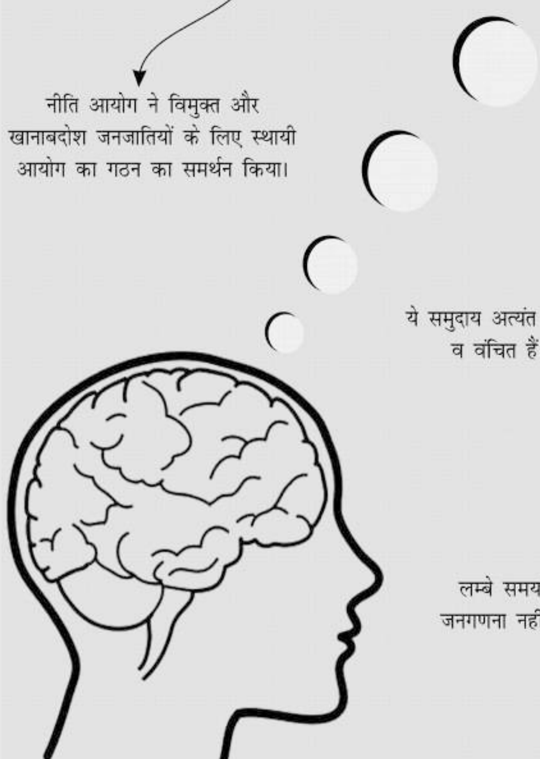

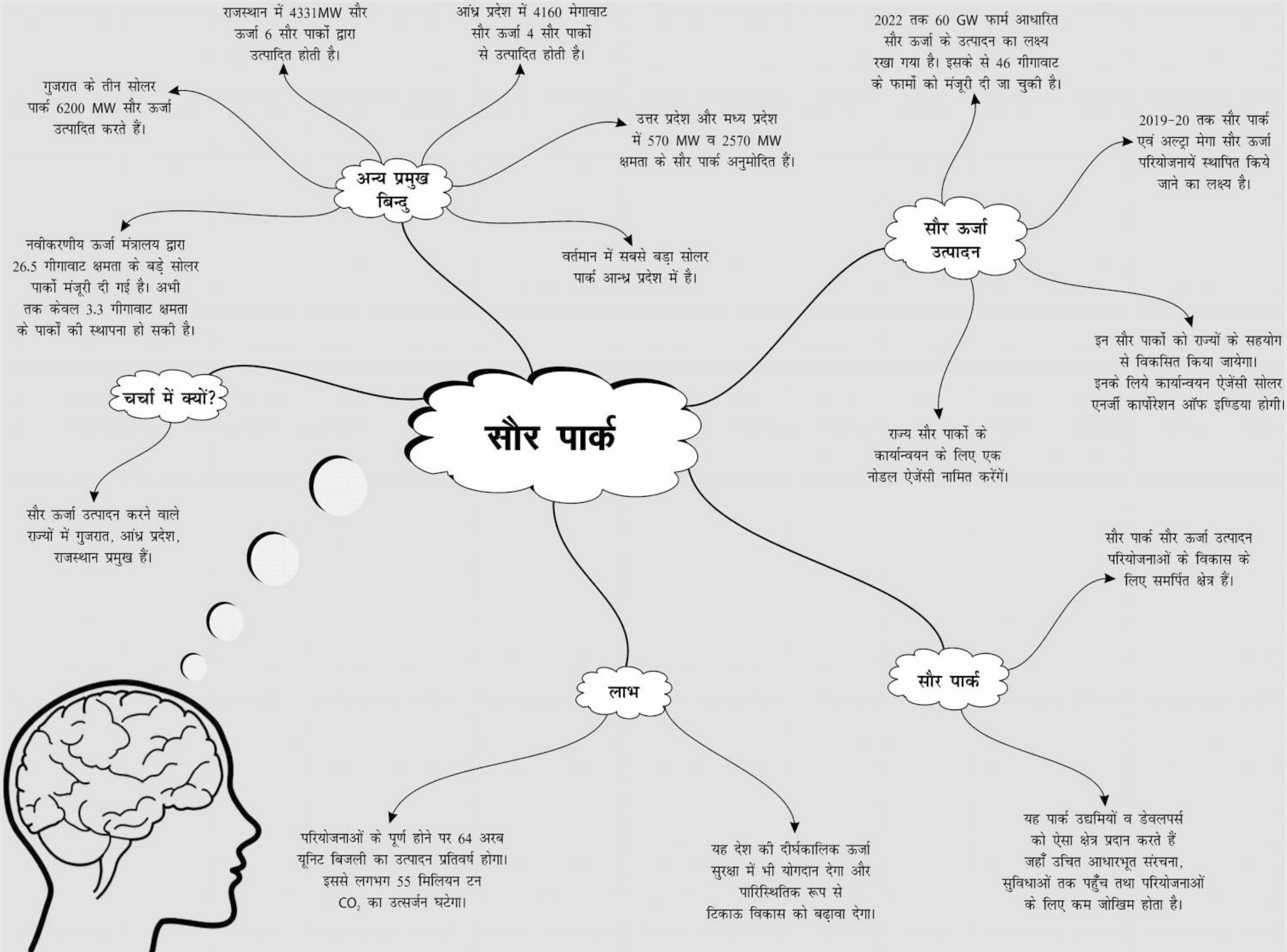
सौर पार्क
सौर ऊर्जा उत्पादन
2022 तक 60 GW फार्म आधारित सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके से 46 गीगावाट के फार्मों को मंजूरी दी जा चुकी है।
2019-20 तक सौर पार्क एवं अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनायें स्थापित किये जाने का लक्ष्य है।
इन सौर पार्कों को राज्यों के सहयोग से विकसित किया जायेगा। इनके लिये कार्यान्वयन ऐजेंसी सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया होगी।
राज्य सौर पार्कों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल ऐजेंसी नामित करेंगें।
सौर पार्क
सौर पार्क सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं के विकास के लिए समर्पित क्षेत्र हैं।
यह पार्क उद्यमियों व डेवलपर्स को ऐसा क्षेत्र प्रदान करते हैं जहाँ उचित आधारभूत संरचना, सुविधाओं तक पहुँच तथा परियोजनाओं के लिए कम जोखिम होता है।
लाभ
परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 64 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन प्रतिवर्ष होगा। इससे लगभग 55 मिलियन टन CO_2 का उत्सर्जन घटेगा।
यह देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा में भी योगदान देगा और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ विकास को बढ़ावा देगा।
चर्चा में क्यों?
सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाले राज्यों में गुजरात, आंध्र प्रदेश, राजस्थान प्रमुख हैं।
अन्य प्रमुख बिन्दु
गुजरात के तीन सोलर पार्क 6200 MW सौर ऊर्जा उत्पादित करते हैं।
राजस्थान में 4331MW सौर ऊर्जा 6 सौर पार्कों द्वारा उत्पादित होती है।
आंध्र प्रदेश में 4160 मेगावाट सौर ऊर्जा 4 सौर पार्कों से उत्पादित होती है।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 570 MW व 2570 MW क्षमता के सौर पार्क अनुमोदित हैं।
वर्तमान में सबसे बड़ा सोलर पार्क आन्ध्र प्रदेश में है।
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 26.5 गीगावाट क्षमता के बड़े सोलर पार्कों मंजूरी दी गई है। अभी तक केवल 3.3 गीगावाट क्षमता के पार्कों की स्थापना हो सकी है।

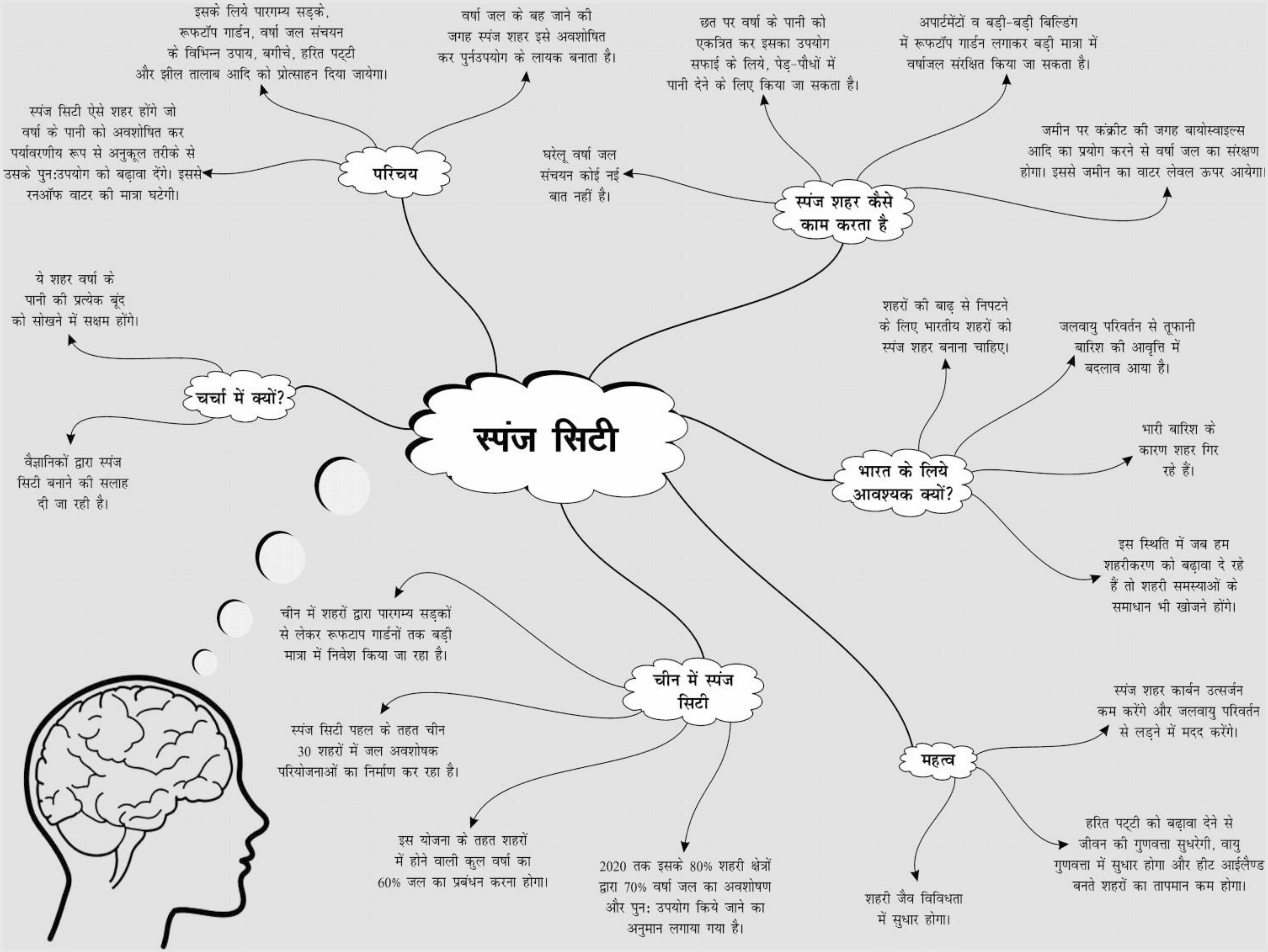
स्पंज सिटी
परिचय
इसके लिये पारगम्य सड़के, रूफटॉप गार्डन, वर्षा जल संचयन के विभिन्न उपाय, बगीचे, हरित पट्टी और झील तालाब आदि को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
वर्षा जल के बह जाने की जगह स्पंज शहर इसे अवशोषित कर पुर्नउपयोग के लायक बनाता है।
स्पंज सिटी ऐसे शहर होंगे जो वर्षा के पानी को अवशोषित कर पर्यावरणीय रूप से अनुकूल तरीके से उसके पुन:उपयोग को बढ़ावा देंगे। इससे रनऑफ वाटर की मात्रा घटेगी।
स्पंज शहर कैसे काम करता है
छत पर वर्षा के पानी को एकत्रित कर इसका उपयोग सफाई के लिये, पेड़-पौधों में पानी देने के लिए किया जा सकता है।
अपार्टमेंटों व बड़ी-बड़ी बिल्डिंग में रूफटॉप गार्डन लगाकर बड़ी मात्रा में वर्षाजल संरक्षित किया जा सकता है।
घरेलू वर्षा जल संचयन कोई नई बात नहीं है।
जमीन पर कंक्रीट की जगह बायोस्वाइल्स आदि का प्रयोग करने से वर्षा जल का संरक्षण होगा। इससे जमीन का वाटर लेवल ऊपर आयेगा।
चर्चा में क्यों?
ये शहर वर्षा के पानी की प्रत्येक बूंद को सोखने में सक्षम होंगे।
वैज्ञानिकों द्वारा स्पंज सिटी बनाने की सलाह दी जा रही है।
भारत के लिये आवश्यक क्यों?
शहरों की बाढ़ से निपटने के लिए भारतीय शहरों को स्पंज शहर बनाना चाहिए।
जलवायु परिवर्तन से तूफानी बारिश की आवृत्ति में बदलाव आया है।
भारी बारिश के कारण शहर गिर रहे हैं।
इस स्थिति में जब हम शहरीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं तो शहरी समस्याओं के समाधान भी खोजने होंगे।
चीन में स्पंज सिटी
चीन में शहरों द्वारा पारगम्य सड़कों से लेकर रूफटाप गार्डनों तक बड़ी मात्रा में निवेश किया जा रहा है।
स्पंज सिटी पहल के तहत चीन 30 शहरों में जल अवशोषक परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है।
इस योजना के तहत शहरों में होने वाली कुल वर्षा का 60% जल का प्रबंधन करना होगा।
2020 तक इसके 80% शहरी क्षेत्रों द्वारा 70% वर्षा जल का अवशोषण और पुन: उपयोग किये जाने का अनुमान लगाया गया है।
महत्व
स्पंज शहर कार्बन उत्सर्जन कम करेंगे और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करेंगे।
हरित पट्टी को बढ़ावा देने से जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी, वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और हीट आईलैण्ड बनते शहरों का तापमान कम होगा।
शहरी जैव विविधता में सुधार होगा।

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. संसदीय विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव

प्र. संसदीय विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है।
2. यह प्रस्ताव मंत्रिमण्डल को इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं करता है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: दोनों कथन सही हैं। यह प्रस्ताव संसद में सदस्यों द्वारा गलत जानकारी, आँकड़ों को प्रस्तुत करने के विरोध में लाया जाता है। यह दोनों सदनों में से किसी में भी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है। सदन में इस प्रस्ताव के पारित होने पर मंत्रीपरिषद इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं होती। ■

2. मॉब लिंचिंग पर सख्ती

प्र. मॉब लिंचिंग पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों पर विचार करें-

1. मॉब लिंचिंग का प्रत्येक मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा 1 वर्ष के अंदर निपटाना होगा।
2. भीड़ द्वारा हिंसा को रोकने के लिए राज्य सरकारें प्रत्येक जिला में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की नियुक्ति करें।
3. प्रशासन उन जिलों, सब डिवीजनों या गाँवों की पहचान करेगा जहाँ हिंसक भीड़ द्वारा हत्या की घटनायें बार-बार घटित होती हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1, 2 (b) केवल 2, 3
(c) केवल 1, 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (b)

व्याख्या: मॉब लिंचिंग पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि मॉब लिंचिंग के प्रत्येक मामले को फास्ट कोर्ट द्वारा 6 माह के अंदर निपटाया जाये। कथन 2 व 3 सही हैं। ■

3. भ्रष्टाचार निरोधक (संशोधन) विधेयक

प्र. भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम (संशोधन) विधेयक 2018 के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. पहली बार 'रिश्वत देने' को अब 'रिश्वत लेने' के बराबर प्रत्यक्ष अपराध माना गया है।
2. 'अनुचित लाभ' की पुरानी परिभाषा को विस्तारित करके 'कानूनी परिश्रमिक के अलावा कुछ भी' कर दिया गया।

उपर्युक्त कथनों में कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 व 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: लोकसभा द्वारा पारित भ्रष्टाचार रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2018 पारित किया गया। यह रिश्वत देने वाले व रिश्वत लेने वाले दोनों को अपराधी को विस्तारित किया गया है। नयी परिभाषा के अन्तर्गत कानूनी पारिश्रमिक के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त करना भ्रष्टाचार होगा। ■

4. इंटरक्रेडिटर समझौता

प्र. इंटरक्रेडिटर समझौते के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. यह एक फ्रेमवर्क है जिसके तहत विभिन्न उधारकर्ता अपने एनपीए को कम करना चाहते हैं।
2. यह कानूनी दस्तावेज नहीं है अतः इसे कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1, 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (a)

व्याख्या: तनावग्रस्त परिसंपत्तियों (NPA) का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक इंटर-क्रेडिट एग्रीमेंट एनपीए के मामलों में संबंधित अग्रणी बैंकों पर कार्यवाई करने का निर्णय लेने का काम करेगा। इस समझौते की संस्तुति हाल ही में जारी मेहरा समिति की सिफारिशों में की गई थी। यह समझौता एक कानूनी फेमवर्क है तथा कानूनी रूप से लागू किया जा सकता है। ■

5. विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों के लिए आयोग

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. डिनोटीफाइड जनजातियाँ वे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा कानूनी रूप से अपराधिक चिह्नित किया गया था।
2. नोमैडिक जनजातियाँ वे समुदाय हैं जो भौगोलिक रूप से निरंतर स्थानांतरण करते हैं एवं स्थायी निवास नहीं बनाते।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 व 2 दोनों (d) कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। नीति आयोग ने विमुक्त और खानाबदोश जनजातियों के लिए स्थायी आयोग के गठन का समर्थन किया है। डिनोटिफाइड जनजातियाँ अपने खूँखार स्वभाव व लड़ाकू प्रवृत्ति के कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा अपराधिक चिह्नित की गयी थी। जबकि नोमैडिक जनजातियाँ वे समुदाय हैं जो भौगोलिक रूप से निरंतर स्थानांतरण करते हैं। ■

6. सौर पार्क

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. सौर पार्क सौर ऊर्जा उत्पादन के बड़े-बड़े क्षेत्र हैं जहाँ आधारभूत ढांचा व सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये कम जोखिम होता है।
2. भारत ने 2022 तक 100 GW फार्म आधारित सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 व 2 दोनों (d) कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: कथन 1 सही है। भारत ने वर्ष 2022 तक 100 GW सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसमें से 60 GW फार्म आधारित सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य है शेष 40 GW सौर ऊर्जा रूफ टॉप सोलर पैनलों व अन्य माध्यमों से उत्पादित की जायेगी। ■

7. स्पंज सिटी

प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. स्पंज सिटी ऐसे शहरी क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में स्पंज का उत्पादन किया जाता है।
2. चीन द्वारा बड़ी मात्रा में स्पंज सिटी विकसित किये जा रहे हैं।
3. स्पंज सिटी जलवायु परिवर्तन से लड़ने एवं विभिन्न शहरी समस्याओं से निपटने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) 1, 2 (b) 2, 3

(c) 1 व 3 (d) 1, 2, 3

उत्तर: (b)

व्याख्या: कथन 2 व 3 सही हैं। स्पंज सिटी ऐसे शहर हैं जो वर्षा जल के संचयन व उसके पुन: उपयोग पर केंद्रित होते हैं। इससे जल की समस्याओं को लेकर शहरों में होने वाली दिक्कतों को दूर किया जा सकता है। ग्रीन वेल्ट के बढ़ने से जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी ये शहर सहायक हैं। चीन द्वारा 2020 तक 80% शहरी क्षेत्र को स्पंज सिटी में परिवर्तित करने का अनुमान लगाया गया है।■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. वह स्थान जहाँ पर्यावरण मंत्री ने वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान की सर्वाधिक उन्नत प्रणाली (सफर) का अनावरण किया।

   - ***दिल्ली***

2. सूर्य का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा छोड़ा जाने वाला मिशन।

   - ***पार्कर सोलर प्रोब***

3. वह राज्य जहाँ कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कम्पनियों ने खाली प्लास्टिक की बोतलों को वापिस खरीदना आरंभ कर दिया है।

   - ***महाराष्ट्र***

4. पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे के हाई कोर्ट में इस महिला को पहली बार चीफ जस्टिस बनाया गया है।

   - ***सैयद ताहिरा***

5. पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 26 जुलाई 2018 को राज्य का नाम बदलकर जिस नाम को रखने का प्रस्ताव पास कर दिया।

   - ***बांग्ला***

6. जिस शहर में कबीर महोत्सव 2018 का तीसरा संस्करण आयोजित होगा।

   - ***वाराणसी***

7. इन्हें हाल ही में अभूतपूर्व समाजसेवी कार्य के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार हेतु चुना गया।

   - ***सोनम वांगचुक***

सात महत्वपूर्ण सूचकांक

क्र.सं.	इंडेक्स	संबंधित संस्थाएँ	सर्वोच्च	निम्नतम	भारत की स्थिति (2018)	भारत की स्थिति (2017)
1.	विश्व प्रसन्नता सूचकांक-2018	यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट साल्यूशन नेटवर्क	फिनलैंड	बुरूंडी	133वाँ	122वाँ
2.	वैश्विक शांति सूचकांक-2018	इंस्टिट्यूट फॉर इकनॉमिक्स ऐंड पीस (आईईपी)	आइसलैण्ड	सीरिया	136वाँ	137वाँ
3.	व्यापार सुगमता सूचकांक-2018	विश्व बैंक	न्यूजीलैण्ड	सोमालिया	100वाँ	130वाँ
4.	विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक-2018	रिपोर्टर्स विद्‌आउट बॉर्डर्स (आरएसएफ)	नार्वे	उत्तर कोरिया	138वाँ	136वाँ
5.	वैश्विक नवाचार सूचकांक	कार्नेल यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइज़ेशन एवं बिजनेस स्कूल फॉर द वर्ल्ड	स्विटजरलैण्ड	यमन	57वाँ	60वाँ
6.	करप्सन परसेप्सन इंडेक्स (भ्रष्टाचार बोध सूचकांक)-2018	ट्रॉसपरेंसी इंटरनेशनल (टीआई)	न्यूजीलैण्ड	सोमालिया	81वाँ	79वाँ
7.	मानव विकास सूचकांक-2018	संयुक्त राष्ट्र विकास परियोजना (यूएनडीपी)	नार्वे	मध्य अफ्रीका गणराज्य	131वाँ	130वाँ

सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु)

1. आपदा प्रबंधन में बिग-डाटा का प्रयोग कितना सहायक हो सकता है? चर्चा करें।

2. युवाओं की ऊर्जा और साहस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुए छात्र आंदोलनों पर प्रकाश डालें।

3. भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में 'संसदीय विशेषाधिकार' और 'कानून के समक्ष समता का अधिकार' एक दूसरे के विरोधी हैं। जाँच करें।

4. ट्रम्प की विदेश नीति भारत को कैसे प्रभावित कर रही है? विश्लेषण करें।

5. हमारा सड़क सुरक्षा कानून खड्डों की समस्या से निपटने के लिए अपर्याप्त है। चर्चा करें और इससे निपटने के उपाय सुझाएँ।

6. महिलाएँ स्वयं को संरक्षित और सुरक्षित महसूस करने पर ही सार्वजनिक जीवन में प्रभावी ढंग से भाग ले सकती हैं और देश के आर्थिक विकास में योगदान दे सकती हैं। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों पर चर्चा करें।

7. भारतीय व अमेरिकी राष्ट्रपतियों की वीटो शक्तियों की तुलना करें।

CALL US

FACE-TO-FACE CENTRES

MUKHERJEE NAGAR

635, Ground Floor, Main Road Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009, Ph: 011-47354625/26, +91 9205274741 / 42

RAJENDRA NAGAR

25B, 2nd Floor, Pusa Road, Old Rajendra Nagar, Metro Pillar Number 117, Ph: +91 9205274745 / 43

LAXMI NAGAR

1/53, 2nd Floor, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi 110092, Ph: 011 43012556, +91 9311969232

ALLAHABAD

2nd & 3rd Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Allahabad-211001, Ph: 0532 2260189, +91 8853467068

LUCKNOW

A-12, Sector-J, Aliganj Lucknow, U.P., Ph: 0522 4025825, +91 9506256789

GREATER NOIDA

Plot No. 28/1A Knowledge Park lll, Greater Noida, U.P. 201306, Ph: +91 9205336037, 38

LIVE STREAMING CENTRES

BIHAR – PATNA 9334100961, **CHANDIGARH**- 8146199399 **DELHI & NCR**- FARIDABAD 9711394350, 01294054621, HARYANA-KURUKSHETRA 8950728524, 8607221300, YAMUNANAGAR 9050888338, **MADHYA PRADESH** - GWALIOR 9098219190, JABALPUR 8982082023, 8982082030, REWA 9926207755, 7662408099 **PUNJAB**- PATIALA 9041030070, **RAJASTHAN**- JODHPUR 9928965998, **UTRAKHAND**- HALDWANI 7060172525 **UTTAR PRADESH**- BAHRAICH 7275758422, BAREILLY 9917500098, GORAKHPUR 7080847474, 7704884118, KANPUR 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) 7570009004, 7570009006, LUCKNOW (GOMTI NAGAR) 7570009003, 7570009005, MORADABAD 9927622221, VARANASI 7408098888

FOR DETAILS, VISIT US ON
DHYEYAIAS.COM
011-49274400

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

ध्येय IAS की स्थापना श्री विनय सिंह और श्री क्यू.एच. खान द्वारा एक दशक पूर्व की गयी थी। अपनी स्थापना के समय से ही इस संस्थान की सफलता की कहानी अद्वितीय रही है। आज यह संस्थान सिविल सेवा की कोचिंग प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च स्थान रखता है। संस्थान योग्य उम्मीदवारों द्वारा उनके सपनों को साकार कराने में काफी सफल रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण इसकी पिछले वर्षों की सफल कहानियाँ हैं।

बड़ी संख्या में ऐसे छात्र, जो इस कठिन परीक्षा में शामिल होकर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास उचित संसाधनों की कमी है जबकि कई अन्य छात्र जिनके पास एक मेधावी अकादमिक पृष्ठभूमि तो है लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं और अकादमिक परीक्षाओं में एक बड़ा अंतर है और यह परीक्षा विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से सुनियोजित मार्गदर्शन की अपेक्षा करती है। यहाँ सही दिशा में रखा गया एक कदम किसी को भी निरपवाद रूप से कईयों से आगे कर सकता है। ध्येय IAS अनुभवी एवं योग्य मार्गदर्शकों की टीम तथा विशेष रूप से तैयार की हुई पाठ्य सामग्री से सुसज्जित है, जो छात्रों को उनके ऐच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है।

सिविल सेवा परीक्षा निर्दिष्ट विषयों के आधारभूत ज्ञान की मांग करती है। यद्यपि ये विषय स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाये जाते हैं लेकिन उनका दृष्टिकोण इस परीक्षा की दिशा में नहीं होता है। ध्येय IAS की कक्षाएँ दृष्टिकोण के मामले में स्कूल और कॉलेजों की कक्षाओं से भिन्न होती हैं। ये कक्षाएँ इस विशेष परीक्षा पर केंद्रित होती हैं। ध्येय IAS में प्रदान की जाने वाली मार्गदर्शक कक्षाएँ छात्र के केंद्रित रहने, सीखने और अन्वेषण की क्षमता की अभिवृद्धि करती हैं, क्योंकि हम इस बात से पूर्णत: अवगत हैं कि आप किसी व्यक्ति को शिक्षा नहीं दे सकते बल्कि अपने अंदर उसे खोजने में उसकी मदद कर सकते हैं।

DSDL Prepare yourself from distance

जिस प्रकार **ध्येय IAS** अपनी क्लासरूम परिचर्चा कार्यक्रम की गुणवत्ता एवं सही रणनीति के साथ मार्गदर्शन के लिए प्रतिभागियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनायी है, उसी प्रकार एक नए उद्देश्य के साथ ऐसे कार्यक्रम को प्रारम्भ किया है जो विशेष रूप से उन प्रतिभागियों के लिए संरचित है जो अपनी व्यक्तिगत सीमाओं के कारण क्लासरूम कार्यक्रम का लाभ नहीं उठा पाते हैं। ऐसे प्रतिभागियों को यदि समय-समय पर सही मार्गदर्शन के साथ दिशा-निर्देश दिया जाए, तो वे अपनी सीमाओं के बावजूद सफलता को आसानी से सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी उद्देश्य पर आधारित यह कार्यक्रम केवल संस्था के नाम पर नोट्स उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है बल्कि प्रतिभागियों एवं शिक्षक के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने की एक कड़ी भी है। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है सारगर्भित, वस्तुनिष्ठ एवं विस्तृत अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना। इस अध्ययन सामग्री निर्माण का लक्ष्य है कि हमसे कोई भी तथ्य छूटे नहीं बल्कि सही दिशा में सम्पूर्ण सामग्री का निर्माण हो। इस कार्यक्रम के तहत निर्मित अध्ययन सामग्री प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में समान रूप से उपयोगी है। **हमारा विश्वास है गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सामग्री निर्माण करना जो आपके सिविल सेवा के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक बन सके।**